The U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

[U.P. Act No. 1 of 1951]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951)

उत्तराखण्ड संशोधन सहित

ALONGWITH

- The U. P. Land Revenue Act, 1901
  उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901
- उत्तर प्रदेश नगरीय-क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956
  U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956
- उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 (U. P. Bhoodan Yagna Act, 1952)
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 (The U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms (Special Provisions) Act, 2010)

DIGLOT
द्विभाषी संस्करण
EDITION

P.K. Kakkar

EKTA LAW AGENCY

THE U.P. ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950

[U.P. Act No. 1 of 1951]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951]

As amended by

(U.P. Act No. 28 of 2008)

उत्तराखण्ड संशोधन सहित

ALONGWITH

- The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901
  उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901
- उत्तर प्रदेश नगरीय-क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 (Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956)
- उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 (U. P. Bhoodan Yagna Act, 1952)
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Special Provisions) Act, 2010)

By

P.K. KAKKAR

Advocate

DIGLOT EDITION

द्विभाषी संस्करण

EKTA LAW AGENCY

CONTENTS
विषय–सूची

THE U.P. ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950

PART I
भाग 1
CHAPTER I
अध्याय 1
PRELIMINARY
प्रारम्भिक

1. Short title, extent and commencement 4
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ
2. Modification of the Act, in its application to certain areas 5
कतिपय क्षेत्रों में प्रचलित करने के लिये अधिनियम का परिष्कार
2-A. Extension of the Act to new territories 7
नये क्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार
3. Definitions 7
परिभाषायें

CHAPTER II
अध्याय 2
ACQUISITION OF THE INTEREST OF INTERMEDIARIES AND ITS CONSEQUENCES
मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम

4. Vesting of estates in the State 11
राज्य में आस्थानों का निहित होना
5. Notification to be published in the Gazette 12
अधिसूचना का गजट में प्रकाशित किया जाना
6. Consequences of the vesting of an estate in the State 12
राज्य में आस्थान् के निहित होने के परिणाम
7. Saving in respect of certain rights 14
कतिपय अधिकारों के संबंध में व्यावृत्ति
8. Contract entered into after August 8, 1946, to become void from the date of vesting 14
8 अगस्त, 1946 से बाद की संविदाओं का निहित होने के दिनांक से व्यर्थ हो जाना
9. Private wells, trees in *abadi and* buildings to be settled with the existing owners or occupiers thereof 14
निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और भवनों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों या अधिभोगियों के साथ होगा
10. Tenants of sir 15
सीर के काश्तकार

11. Sir or khudkasht allotted in lieu of maintenance allowance 15
भरण-पोषण हेतु दी गई सीर या खुदकाश्त
12. Thekedars to be hereditary tenants in certain circumstances 16
ठेकेदार का कुछ परिस्थितियों में परम्परागत काश्तकार समझा जाना
13. Estate in possession of a thekedar 16
ठेकेदार के कब्जे का आस्थान
14. Estate in possession of a mortgagee with possession 17
भोगबन्धकी के कब्जे का आस्थान
15. Demarcation of sir, khudkasht, etc. in joint estates 18
संयुक्त आस्थानों में सीर, खुदकाश्त आदि का सीमांकन
16. Occupant of land in which no superior rights exist to be a hereditary tenant 18
ऐसी भूमि के काबिज का परम्परागत काश्तकार होना जिसमें प्रवर अधिकार न हो
17. Sir land held by tenant on Patta Dawami or Istamrari 19
काश्तकार के अधिकार में सीर की भूमि जो पट्टा दवामी या इस्तमरारी के रूप में हो
18. Settlement of certain lands with intermediaries or cultivators as Bhumidhar 19
कुछ भूमि का मध्यवर्तियों या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किया जाना
19. Land in the holdings to be settled with the tenants thereof as sirdar 20
जोत की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बन्दोबस्त होना
20. 21
21. Non-occupancy tenants, sub-tenants of grove-lands and tenant's mortgagees to be asamis 22
गैर दखीलकार काश्तकारों, बाग भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बंधकियों का असामी होना
22. Variation in rent on or after July 1, 1948 not to be recognized 23
1 जुलाई, 1948 को या इसके बाद हुए लगान का परिवर्तन मान्य न होगा
23. Transfer by way of sale or gift not to be recognized 24
विक्रय या दान द्वारा अन्तरण का मान्य न होना
24. Contract of agreement to defeat provisions of this Act to be void 24
इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने वाली करार संविदा का व्यर्थ होना
25. Collector to take over estates 24
कलेक्टर द्वारा आस्थानों का ग्रहण करना
26. Power to make rules 25
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER II-A
अध्याय 2-क
EVACUEE PROPERTY
निष्क्रान्त सम्पत्ति

26-A. Definitions 25
परिभाषाएँ
26-B. Application of the Act to evacuee property 25
अधिनियम का निष्क्रान्त सम्पत्ति को लागू होना

CHAPTER III
अध्याय 3
ASSESSMENT OF COMPENSATION
मुआवजे का निर्धारण

27. Intermediary entitled to receive compensation for acquisition of his estate 25
आस्थानों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का मुआवजा पाने का अधिकारी होना
28. Date from which compensation shall be due 25
मुआवजा देय होने की तिथि
29. Interim compensation 25
अन्तरिम मुआवजा
30. Adjustment of interim compensation 26
अन्तरिम मुआवजे का समायोजन
31. Proceedings relating to assessment and payment of compensation 26
मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से सम्बन्धित प्रक्रिया
32. Presumption regarding entries in the record of rights 26
अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा
33. Correction of clerical error or arithmetical mistake in the record of rights 26
अधिकार अभिलेखों में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल का ठीक किया जाना
34. Right to establish claim in the Civil Court 27
दीवानी न्यायालय में दावा स्थापित करने का अधिकार
35. Pending suit or proceeding regarding entries in the record of rights 27
अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंध रखने वाले लम्बित वाद और कार्यवाही
36. Plaint or objection to form part of the record of compensation proceedings 27
वाद पत्र या आपत्ति पत्र का मुआवजा संबंधी कार्यवाही के अभिलेख का अंग होना
37. Every intermediary to be treated as a separate unit 27
प्रत्येक मध्यवर्ती का अलग इकाई माना जाना
38. Statement of gross assets of a *mahal* 27
महाल की सकल आस्तियों का विवरण
39. Gross assets of a *mahal* 27
महाल की सकल आस्तियाँ
40. Draft Compensation Assessment Roll 29
प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका
41. Statement and the Compensation Assessment Roll to be signed by the Compensation Officer 29
विवरण और मुआवजा निर्धारण तालिका पर मुआवजा अधिकारी के हस्ताक्षर होना

42. Gross assets of an intermediary 29
मध्यवर्ती की सकल आस्तियाँ
43. Gross assets of the estate held by a *thekedar* 29
ठेकेदार के कब्जे के आस्थान की सकल आस्तियाँ
44. Net assets of an intermediary 30
मध्यवर्ती की शुद्ध आस्तियाँ
45. Calculation of gross assets and net assets of under-proprietors, sub-proprietors, permanent tenure-holders and permanent lessees in Avadh 31
मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तेमरारी की सकल और शुद्ध आस्तियाँ निकालना
46. Preliminary publication of the Draft Compensation Assessment Roll 31
प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन
47. Date for hearing objections 31
आपत्ति पत्र सुनने की तिथि
48. Hearing and deciding of objections 31
आपत्ति पत्रों की सुनवाई और निर्णय
49. Order under Section 48 to be a decree of a Court 31
धारा 48 के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना
50. Appeal to the District Judge 32
जिला न्यायाधीशों को अपील
50-A. Power to transfer appeals to Civil Judges 32
सिविल न्यायाधीशों को अपीलें अन्तरित करने का अधिकार
51. Appeal to High Court 32
उच्च न्यायालय को अपील
52. Final Compensation Assessment Roll 32
अन्तिम मुआवजा निर्धारण तालिका
53. Copy of the Roll to be supplied to the intermediary 32
तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना
54. Amount of compensation 32
मुआवजे की मात्रा
55. Amount of compensation payable to a *thekedar* 32
ठेकेदार को देय मुआवजे की मात्रा
56. Procedure under Section 55 33
धारा 55 के अधीन प्रक्रिया
57. Order under Section 55 to be a decree of a Civil Court 33
धारा 55 के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना
57-A. Power to transfer appeals to Civil Judges 33
सिविल न्यायाधीशों को अपील अन्तरित करने की शक्ति
58. Appeal to the High Court 33
उच्च न्यायालय को अपील

59. Court fee payable on a memorandum of appeal 33
अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय फीस
60. Amount of compensation to be entered in the Roll 33
तालिका में मुआवजा की रकम का दर्ज किया जाना
61. Correction of *bona fide* mistakes 33
ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना, जो अकस्मात हुई हों
62. Injunction by a Civil Court barred 34
न्यायालय द्वारा व्यादेश का निषेध
63. Definition of "person interested" 34
''स्वत्व रखने वाले व्यक्ति'' की परिभाषा
64. Power to make rules 34
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER IV
अध्याय 4
PAYMENT OF COMPENSATION
मुआवजे का भुगतान

65. Compensation entered in the Roll to be paid to the intermediary 34
तालिका में दर्ज मुआवजे का मध्यवर्ती को दिया जाना
66. Intermediary entered in the Roll to receive compensation 34
तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का मुआवजा पाना
67. Compensation payable to the legal representatives 35
विधिक प्रतिनिधि को देय मुआवजा
68. Form of satisfaction of compensation 35
मुआवजे के भुगतान का तरीका
69. Deposit of the compensation money with Bank or other authority in certain cases 35
कतिपय दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास का मुआवजा जमा किया जाना
70. Compensation money to be placed at the disposal of the Court or authority 35
मुआवजे की रकम को न्यायालय या प्राधिकारी के हाथ में दिया जाना
71. Settlement of the amount of compensation due to guzaredars 35
गुजारेदार को देय मुआवजे का निर्धारण
72. Power to make rules 36
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER V
अध्याय 5
REHABILITATION GRANT
पुनर्वासन अनुदान

73. Payment of rehabilitation grant 36
पुनर्वासन अनुदान का भुगतान किया जाना
74. Date from which the grant shall be payable 36
दिनांक जिससे अनुदान देय होगा

75. Legal representatives entitled to receive the grant..... 36
विधिक प्रतिनिधियों का अनुदान पाने का अधिकारी होना
76. Waqfs, trusts or endowments to be classified..... 36
वक्फ, न्यास या विन्यास का वर्गीकरण
77. Waqf, trust or endowment created on or after August 8, 1946, not to be recognized..... 37
8 अगस्त, 1946 को या उसके बाद हुये वक्फ, न्यास और विन्यास का न माना जाना
78. Intermediary entitled to receive the rehabilitation grant..... 37
पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती
79. Application for rehabilitation grant..... 37
पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र
79-A. Application by the Collector in certain cases..... 37
कतिपय दशाओं में कलेक्टर द्वारा प्रार्थना-पत्र
80. Contents of the application under Section 79..... 38
धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र की अर्न्तवस्तु
81. Verification and signing of the application under Section 79..... 39
धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का सत्यापन और उस पर हस्ताक्षर
82. Filing of affidavit with the application under Section 79..... 39
धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र का प्रस्तुत किया जाना
83. Penalty for false statement in the application..... 39
प्रार्थना-पत्र में मिथ्या कथन के लिय दण्ड
84. Filing of application under Section 79..... 39
धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र का दाखिल किया जाना
85. Date of hearing of the application..... 39
प्रार्थना-पत्र की सुनवाई की तारीख
86. Objections on the application under Section 79..... 40
धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति
87. Registration of objections and notice to parties..... 40
आपत्ति-पत्रों का रजिस्ट्रीकरण और पक्षकारों को नोटिस
88. Investigation and disposal of objections..... 40
आपत्ति-पत्रों की जाँच और निस्तारण
89. Management charges..... 40
प्रबन्ध परिव्यय
90. Inquiry into the validity of transfer or partition in respect of estate..... 40
आस्थान के विषय में अन्तरण या बटवारे की वैधता की जाँच
91. Order disposing of the objections..... 41
आपत्ति पत्रों के निस्तारण के संबंध में आज्ञा
92. Statement of estates..... 41
आस्थानों के विवरण
93. Statement in respect of a waqf, trust or endowment..... 41
वक्फ, न्यास या विन्यास के संबंध में विवरण

94. Principles for classification of the property and apportionment of net income under Section 93..... 42
धारा 93 के अधीन सम्पत्ति के वर्गीकरण और कुल आय के विभाजन के सिद्धान्त
95. Apportionment of net assets of the estates..... 42
आस्थान की शुद्ध आस्तियों का विभाजन
96. Determination of land revenue of estates used for religious or charitable purposes and for other purposes..... 42
धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों या अन्य प्रयोजनों के लिये आस्थानों के भू-राजस्व का अवधारण
97. Determination of the amount of rehabilitation grant..... 42
पुनर्वासन अनुदान की रकम का अवधारण
98. Amount of the grant..... 42
अनुदान की रकम
99. Amount of rehabilitation grant in the case of a waqf, trust or endowment..... 43
वक्फ, न्यास या विन्यास के विषय में पुनर्वासन अनुदान की मात्रा
100. Rehabilitation grant in the case of certain classes of intermediaries..... 43
कतिपय वर्गों के मध्यवर्तियों की दशा में पुनर्वासन अनुदान
100-A. Special provisions for re-determination of annuity to certain waqfs, trusts and endowments..... 43
कतिपय वक्फों, न्यासों और विन्यासों की वार्षिक वृत्ति के पुनः अवधारण के लिए विशेष उपबंध
100-B. Special relief to certain waqfs, trusts and endowments..... 44
कतिपय वक्फों, न्यासों और विन्यासों के लिए विशेष अनुतोष
101. Appeal..... 44
अपील
101-A. Power to transfer appeals to Civil Judges..... 44
सिविल न्यायाधीशों को अपील अंतरित करने का अधिकार
102. Revision..... 45
पुनरीक्षण
103. "Land Revenue" defined..... 45
"भू-राजस्व" की परिभाषा
104. Procedure for payment of the grant..... 45
अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया
105. Power to make rules..... 45
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER VI
अध्याय 6
MINES AND MINERALS
खान और खनिज पदार्थ

106. Working of mines to be governed by this chapter..... 45
खानों के संचालन का इस अध्याय द्वारा नियमित (शासित) होना

107. Mines worked by the intermediary 46
मध्यवर्ती द्वारा चलाई जाने वाली खानें
108. Subsisting leases of mines and minerals 46
खानों और खनिज पदार्थों के चालू पट्टे
109. Buildings and lands appurtenant to mines 46
खानों से सम्बद्ध भवन और भूमि
110. Mines Tribunal 47
खान अधिकरण
111. Compensation for premature termination of lease of mines and minerals 47
खानों और खनिज पदार्थों के पट्टे का समय से पहले समाप्त हो जाने के निमित्त मुआवजा
112. Power to make rules 47
नियम बनाने की शक्ति

PART II
भाग 2
CHAPTER VII
अध्याय 7
GAON SABHAS AND LAND MANAGEMENT COMMITTEES
गाँव सभाएँ और भूमि प्रबन्धक समितियाँ

113. [* * *] 47
114. [* * *] 47
115. [* * *] 47
116. [* * *] 47
117. Vesting of certain lands, etc. in Gaon Sabhas and other local authorities 47
कुछ भूमि आदि का गाँव सभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना
117-A. Further provision for exercise of further extra territorial jurisdiction by Gaon Sabha or other local authority 50
गांव सभा या अन्य स्थानिक प्राधिकारी द्वारा राज्यक्षेत्रातीत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान
118 51
119. Vesting of certain hats, bazars, melas and private ferries etc. in the Zila Parishad] or other authority 51
हाटों, बाजारों, मेलों और निजी पारघाटों आदि का [जिला परिषद्] या दूसरे प्राधिकारी में निहित होना
120. [* * *] 51
121. [* * *] 51
122. [* * *] 51

122-A. Superintendence, management and control of land etc. by the Land Management Committee.... 51
भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण
122-B. Powers of the Land Management Committee and the Collector.... 52
भूमि प्रबन्धक समिति और कलेक्टर के अधिकार
122-C. Allotment of land for housing site for members of Scheduled Castes, agricultural labourers, etc.... 57
अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतिहर मजूदरों आदि के लिए आवास स्थलों के निमित्त भूमि का आबंटन
122-D. Restoration of possession to allottees.... 60
आबंटितियों को कब्जा दिया जाना
123. Certain house sites to be settled with existing owner thereof.... 61
कतिपय गृह के स्थलों का बन्दोबस्त उसके वर्तमान स्वामियों के साथ किया जायेगा
123-A. Penalty for causing loss, waste or misapplication of money or property of the Gaon Panchayat.... 62
गाँव पंचायत की सम्पत्ति अथवा धन के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग के लिए दण्ड
123-B. Punishment for occupation of Gaon Sabha land.... 63
गाँव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दण्ड
124. Gaon Fund.... 63
गाँव कोष
125. Gaon Fund to be utilized in connection with this Act.... 64
गाँव कोष का अधिनियम के सम्बन्ध में उपयोग
125-A. Consolidated Gaon Fund.... 64
संचित गाँव कोष
126. Land Management Committee to carry on orders and directions of the State Government.... 64
भूमि प्रबंधक समिति का राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों को कार्यान्वित करना
127. Alternative arrangement for carrying on the work of the Land Management Committee in certain circumstances.... 65
कुछ परिस्थितियों में भूमि प्रबन्धक समिति के कार्यों के निर्वहन की वैकल्पिक व्यवस्था
127-A. [* * *].... 65
127-B. Panel Lawyers.... 65
पैनल के वकील
127-C. Transitional provisions in relation to Gaon Sabha.... 65
गाँव सभा के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन प्रावधान
128. Power to make rules.... 66
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER VIII
अध्याय 8
TENURE
भू-धृति अधिकार

Classes of Tenure

भू-धृति का वर्गीकरण

129. Classes of Tenure 67
भू-धृति का वर्गीकरण
129-A. [* * *] 67
130. *Bhumidhar* with transferable rights 68
संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधार
131. *Bhumidhar* with non-transferable rights 68
असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर
131-A. Bhumidhari rights in Gaon Sabha or State Government land in certain circumstances 69
कतिपय परिस्थितियों में, गाँव सभा या राज्य सरकार की भूमि में भूमिधरी अधिकार
131-B. *Bhumidhar* with non-transferable rights to become *bhumidhar* with transferable rights after ten years 69
अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधार हो जायेगा
132. Land in which [*bhumidhari*] rights shall not accrue 69
वह भूमि जिसमें [भूमिधरी] अधिकार प्राप्त नहीं होंगे
133. Asami 71
असामी
133-A. Government lessees 71
सरकारी पट्टेदार

Acquisition of Bhumidhari rights

भूमिधरी अधिकारों का उपार्जन

134. [* * *] 71
135. [* * *] 71
136. [* * *] 71
137. Cancellation of declaration 71
घोषणा का रद्द किया जाना
137-A. [* * *] 71
138. [* * *] 71
139. [* * *] 71
140. [* * *] 71
140-A. Payment of compensation to the landholders 71
भू-धारक को मुआवजे का भुगतान
141. [* * *] 72

Use of land and improvements

भूमि का उपयोग और उन्नति

142. Right of a Bhumidhar to the exclusive possession of all land in his holding 73
भूमिधर का अपने जोत की कुल भूमि पर अनन्य कब्जे का अधिकार

143. Use of holding for industrial or residential purposes..... 73
जोत की भूमि का उद्योग अथवा निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग
144. Use of land for agricultural purposes..... 75
कृषि के लिये भूमि का उपयोग
145. Registration of the declaration granted under Sections 143 and 144..... 75
धारा 143 और 144 के अधीन की गई घोषणा का रजिस्ट्रीकरण
146. Right of [an asami] for exclusive possession of land in his holding..... 75
[एक असामी] का अपने खाते की भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार
147. [* * *]..... 75
148. [* * *]..... 75
149. [* * *]..... 75
150. [* * *]..... 76
151. [* * *]..... 76

Transfers

अन्तरण

152. Bhumidhari interest when transferable..... 76
भूमिधरी स्वत्व कब अन्तरणीय होगा
153. Interest of an asami not transferable..... 76
असामी का हित अन्तरणीय नहीं होगा
154. Restriction on transfer by a bhumidhar..... 76
भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
154-A. Foreign national not to acquire land..... 80
विदेशी राष्ट्रीयता वाले भूमि अर्जित नहीं करेंगे
155. Mortgage of land by a bhumidhar..... 80
भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना
156. Letting of land..... 80
भूमि के पट्टे पर दिया जाना
157. Leased by a disabled person..... 80
विकलांग व्यक्ति का भूमि को पट्टे पर देना
157-A. Restrictions on transfer of land by members of Scheduled Castes..... 81
अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध
157-AA. Restrictions on transfer by member of Scheduled Castes becoming Bhumidhar under Section 131-B..... 82
धारा 131-ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
157-B. Restrictions on transfer of land by members of Scheduled Tribes..... 84
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध

157-BB. Restrictions on transfer by members of Scheduled Tribe becoming a Bhumidhar under Section 131-B..... 84
धारा 131-ख के अन्तर्गत भूमिधर हुए अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध
157-C. Mortgage of holdings by members of Scheduled Caste or Scheduled Tribe in certain circumstances..... 85
कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा जोत को बन्धक रखना
158. Registration of a lease..... 85
पट्टे का रजिस्ट्रीकरण
159. Failure to register the lease under Section 158 85
धारा 158 के अधीन पट्टे का रजिस्ट्रीकरण कराने में निष्फलता
160. Successor-in-interest bound by a lease..... 85
स्वत्व के उत्तराधिकारी का पट्टा से बाध्य होना
161. Exchange 85
विनिमय
162. Land revenue not affected by exchange..... 86
विनिमय से भू-राजस्व पर प्रभाव न पड़ना
163. [* * *] 86
164. Transfer with possession by a bhumidhar to be deemed a sale..... 86
भूमिधर द्वारा कब्जे के साथ अन्तरण को विक्रय समझा जाना
165. Effects of lease in contravention of Section 157..... 87
धारा 157 के उल्लंघन में पट्टे पर देने का परिणाम
166 [* * *] 87
167. [* * *] 88
168. [* * *] 88

Prevention of Fragmentation
खण्डकरण का निवारण

168-A. Transfer of fragments..... 88
खंडकरण का संक्रमण

Devolution
न्यागमन

169. Bequest by a bhumidhar..... 89
भूमिधर द्वारा वसीयत
170. Bequest by a sirdar or asami 89
सीरदार या असामी द्वारा वसीयत
171. General order of succession..... 89
उत्तराधिकार का सामान्य क्रम
172. Succession in the case of a woman holding an interest inherited as a widow, mother, daughter, etc..... 91
एक स्त्री की दशा में उत्तराधिकार जो एक विधवा, माता, पुत्री आदि के नाते स्वत्वदाय प्राप्त हो

72-A. [* * *] 93
173. [* * *] 93
174. Succession to a woman holding an interest otherwise 93
अन्य प्रकार से स्वत्व पाने वाली स्त्री के मामले में उत्तराधिकार
175. Passing of interest by survivorship 93
अतिजीविता द्वारा स्वत्व का संक्रमण

[Division]

[विभाजन]

176. Holding of a bhumidhar divisible 93
भूमिधर के जोत का विभाज्य होना
177 One suit for division of several holdings 94
अनेक जोतों के विभाजन के लिये एक वाद
178 [* * *] 94
179 [* * *] 94
180 [* * *] 94
181 [* * *] 94
182 [* * *] 94
182-A. [* * *] 94
182-B. [* * *] 94
183. Surrender of holding by bhumidhar with non-transferable rights 95
[अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] द्वारा जोत का अभ्यर्पण
184. Surrender of holding by asami 95
असामी द्वारा जोत का अभ्यर्पण
185. Notice of surrender 95
अभ्यर्पण की नोटिस
186. Abandonment 95
परित्याग
187. Admission of asami to the holding of a disabled bhumidhar with non-transferable rights 96
अक्षम अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के जोत का किसी असामी को उठा दिया जाना
187-A. [* * *] 96
188. Entry upon an abandoned holding 97
परित्यक्त जोत में प्रवेश
189. Extinction of the interest of a bhumidhar with transferable rights 98
अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के हित की समाप्ति
190. Extinction of the interest of a [bhumidhar with non-transferable rights.] 98
[अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] के हित की समाप्ति
191. Extinction of the interest of asami 98
असामी के हित की समाप्ति

192. Merger 98
विलय
193. Rights and liabilities of a [bhumidhar] or asami on extinction of his interest 99
[भूमिधर] या असामी का हित समाप्त होने पर उसके अधिकार और दायित्व
194. Land Management Committee to take over land after extinction of interest therein 99
हितों की समाप्ति पर भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ले लिया जाना
195. Admission to land 99
भूमि का उठाया जाना
196. [* * *] 100
197. Admission to land mentioned in Section 132 100
धारा 132 में वर्णित भूमि का उठाया जाना
198. Order of preference in admitting persons to land under Sections 195 and 197 100
धारा 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि उठाने में अधिमानक्रम
198-A. Restoration of possession to the allottees of Gaon Sabha or the Government lessee 105
गाँव सभा के आबंटितियों या सरकारी पट्टेदार को कब्जा दिया जाना

Ejectment
बेदखली

199. Eviction of bhumidhar 106
भूमिधर की बेदखली
200. Eviction of asami 106
असामी की बेदखली
201. Eviction on the suit of Gaon Sabha 106
गाँव सभा के वाद पर बेदखली
202. Procedure of ejectment of asami 107
असामी की बेदखली की प्रक्रिया
203. Right to crops and trees when ejectment takes effect 108
बेदखली का फसल और पेड़ संबंधी अधिकार पर प्रभाव
204. Failure to institute a suit for ejectment under Section 202 or execute the decree obtained thereunder 108
धारा 202 के अधीन बेदखली के वाद का प्रस्तुत न होना या ऐसे वाद में मिली डिक्री का निष्पादित न होना
205. Consequences of ejectment under Section 202 109
धारा 202 के अधीन हुई बेदखली के परिणाम
206. Ejectment for use of land in contravention of the provisions of this Act 109
इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल भूमि को काम में लाने पर बेदखली
207. Decree for ejectment under Section 206 109
धारा 206 के अधीन बेदखली की डिक्री

8. Suit for compensation and repair of the waste or damage.....109
क्षति या ह्रास ठीक करने के लिये या उसके निमित्त मुआवजा दिलाये जाने के लिये वाद
9. Ejectment of persons occupying land without title 109
भूमि पर हक के बिना काबिज व्यक्तियों की बेदखली
10. Consequences of failure to file suit under Section 209 110
धारा 209 के अधीन वाद प्रस्तुत करने में असफलता का परिणाम
11. Power to evict unauthorised occupants of land held by a member of Scheduled Tribe.....111
अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि के अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने का अधिकार
-A. [* * *] 111
12. [* * *] 111
-A. Summary procedure for ejectment from land of public utility 112
सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखली के संबंध में सरसरी प्रक्रिया
-B. Remedies for wrongful ejectment 112
अवैध बेदखली के उपचार
-C. Landholder to be impleaded as defendant.....113
भू-धारक का प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना

Rent
लगान

213. Rent payable by an asami.....113
असामी द्वारा देय लगान
214. Rent not to be varied.....113
लगान में परिवर्तन का न किया जाना
215. Suit for fixation of rent.....113
लगान निश्चित कराने का वाद
216. Hypothecation of produce towards payment of rent.....113
लगान के भुगतान के लिये उपज का बन्धक रहना
217. Rent how payable.....114
लगान की अदायगी का ढंग
218. Commutation of rent.....114
लगान का संराशीकरण
219. Instalment for payment of rent.....114
लगान अदा करने की किश्त
220. Application for payment of arrears of rent and ejectment in default 114
बकाया लगान की अदायगी और उसके न होने पर बेदखली के लिए आवेदन
221. Issue of notice to asami upon application under Section 220.....114
धारा 220 के अधीन आवेदन के नोटिस का असामी को जारी होना
222. Order for payment on failure to comply with the notice under Section 221.....114
धारा 221 के अधीन जारी हुई नोटिस के पालन के अभाव में अदायगी की आज्ञा

223. Mode of execution of decree or order for the payment of arrears of rent 115
बकाया लगान के भुगतान की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का ढंग
224. Interest on arrears of rent 115
बकाया लगान पर ब्याज
225. Recovery of arrears of rent, sayar and other dues in respect of Government property and Gaon Sabha property 115
सरकारी सम्पत्ति और गाँव सभा की सम्पत्ति के संबंध में बकाया लगान, सायर तथा अन्य देयों की वसूली
225-A. Powers to write off irrecoverable arrears of rent, sayar or other dues 115
वसूल न होने योग्य लगान, सायर या अन्य देयों को बट्टे-खाते में डालने का अधिकार
226. Remission for calamity by Court decreeing claim for arrears 116
बकाया की डिक्री देते समय विपत्ति के निमित्त न्यायालय का छूट देना

Miscellaneous
प्रकीर्ण

227. Suit for arrears of irrigation dues 116
सिंचाई संबंधी देयों की बकाया के लिए वाद
228. Vesting of trees existing on the boundary of the holding of a tenant 116
काश्तकार की जोत के मेड़ों पर स्थित वृक्षों का निहित होना
229. Declaratory suit 116
घोषणात्मक वाद
229-A. Trespass of holding or land of Gaon Sabha or Local Authority 116
गाँव सभा या स्थानिक प्राधिकारी के जोत या भूमि पर अतिचार
229-B. Declaratory suit by person claiming to be an asami of a holding or part thereof 117
किसी जोत अथवा उसके भाग का असामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक वाद
229-C. Suit for declaration of rights of a person claiming to be an asami 118
असामी का दावा रखने वाले व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा (प्रख्यापन) के लिये वाद
229-D. Provision for injunction 118
व्यादेश के लिये व्यवस्था
230. Power to make rules 119
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER-IX
अध्याय 9
ADHIVASIS
अधिवासी

231. Rights of an adhivasi 120
अधिवासी के अधिकार

232. Application for possession by adhivasi.....120
अधिवासी द्वारा कब्जे के लिए आवेदन
232-A. Rights of an adhivasi for ejectment under Section 209 121
धारा 209 के अधीन अधिवासी का बैदखली का अधिकार
233. Rent payable by an adhivasi.....121
अधिवासी द्वारा देय लगान
233-A. Commutation of rent.....121
लगान का संराशीकरण
234. Ejectment of adhivasi.....121
अधिवासी की बेदखली
234-A. Application of Sections 212-B, 212-C and 229-B to 229-D in the case of an adhivasi 122
धाराओं 212-ख, 212-ग और 229-ख से 229-घ तक का अधिवासी पर लागू होना
235. [* * *] 122
236. [* * *] 122
237. [* * *] 122
238. [* * *] 122
239. [* * *] 122
240. Power to make rules.....122
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER-IX-A
अध्याय 9-क
CONFERMENT OF SIRDARI RIGHTS ON ADHIVASI
अधिवासियों को सीरदारी अधिकारों का प्रदान किया जाना

240-A. Acquisition of rights, title and interest of land-holder in the land held by adhivasi 122
उस भूमि में भू-धारक के अधिकार, आगम तथा हित का अर्जन जो अधिवासी के कब्जे में हो
240-B. Consequences on acquisition of rights, title and interest under Section 240-A.....122
धारा 240-क के अधीन अधिकार, आगम तथा हित को अर्जित करने के परिणाम
240-C. Land-holder entitled to receive compensation.....124
भू-धारक को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार
240-D. Compensation statement.....124
मुआवजा विवरण-पत्र
240-E. Compensation to the land-holder of an adhivasi 124
अधिवासी के भू-धारक को देय मुआवजा
240-F. Preliminary publication of statement.....125
विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन
240-G. Filing of objections.....125
आपत्तियों को प्रस्तुत करना

240-H. Disposal of objection.....125
आपत्तियों का निपटान
240-HH. Question of title in respect of land in areas under consolidation operations to be referred to the Arbitrator.....126
चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के आगम का प्रश्न मध्यस्थ को निर्दिष्ट होगा
240-I. Appeal to the Collector.....126
कलेक्टर को अपील
240-J. Final publication of the statement.....126
विवरण का अन्तिम प्रकाशन
240-K. Payment of compensation.....126
मुआवजे का भुगतान
240-L. Provisions of this chapter not to apply to evacuee property 127
इस अध्याय के प्रावधान निष्क्रान्त सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगे
240-M. Power to make rules.....127
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER-X
अध्याय 10
LAND REVENUE
भू-राजस्व

241. Land Revenue assessed on a village.....128
गाँव पर निर्धारित भू-राजस्व
242. Land held by bhumidhar [* * *] liable to payment of land revenue.....128
भूमिधर [* * *] द्वारा धृत भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान का दायित्व
243. Liability of the bhumidhar [* * *] for payment of land revenue assessed on the village.....128
जोत पर निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिये भूमिधरों का दायित्व
244. Payment of land revenue on behalf of others.....128
दूसरों की ओर से दिए गए भू-राजस्व का भुगतान
245. Land revenue payable by Bhumidhars.....128
भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व
246. Procedure for determination of land revenue.....129
भू-राजस्व के अवधारण की प्रक्रिया
247. Rates of land revenue to continue until duly altered.....129
भू-राजस्व की दर पूर्ववत रहेगी जब तक कि उसमें सम्यक रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय
247-A. Exemption of land revenue in certain cases.....130
कतिपय दशाओं में भू-राजस्व से छूट
247-B. [* * *].....130
248. Dates and instalments for payment of land revenue under Sections 245 and 246.....130
धारा 245 और 246 के अधीन भू-राजस्व के भुगतान की तारीख और उसकी किश्तें
249. Cesses or local rates payable by bhumidhar [* * *].....131
भूमिधर [* * *] द्वारा देय उपकर और स्थानीय कर

250. Reduction of land revenue on surrender of a part of a holding by a [bhumidhar with non-transferable rights] 131
अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] द्वारा जोत के किसी भाग के समर्पण के कारण भू-राजस्व में कमी
251. [* * *] 131
252. Original settlement of land revenue 131
भू-राजस्व का आरम्भिक बन्दोबस्त
253. Revision settlement of land revenue 131
भू-राजस्व के बन्दोबस्त का पुनरीक्षण
254. Notification as to settlement operations 131
बन्दोबस्त की कार्यवाहियों के बारे में अधिसूचना
255. Appointment and powers of Settlement Officers 131
बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ
256. Transfer of duties of Collector or Settlement Officers 132
बन्दोबस्त अधिकारी या कलेक्टर के कर्त्तव्यों का अन्तरण
257. Terms of the settlement 132
बन्दोबस्त की अवधि
258. [* * *] 132
259. [* * *] 132
260. Procedure to be adopted by a Settlement Officer 132
बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया
261. Assessment of revenue on revenue free lands in certain cases 132
कतिपय दशाओं में भू-राजस्व से मुक्त भूमि पर भू-राजस्व का निर्धारण
262. Title to hold land free of revenue 132
भू-राजस्व से मुक्त भूमि धारण करने का आगम
263. Land revenue to be assessed on the aggregate holding area in a village 132
भू-राजस्व का गाँव के जोतों की संकलित भूमि पर निर्धारित होना
264. Principles of assessment of land revenue 133
भू-राजस्व के निर्धारण के सिद्धांत
265. Assessment proposals 133
निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव
266. Orders of the State Government on the assessment proposals 133
निर्धारण के प्रस्तावों पर राज्य सरकार की आज्ञायें
267. [* * *] 133
267-A. Power to determine revenue on portions of a holding 133
जोत के भागों का भू-राजस्व अवधारित करने का अधिकार
268. Remission or suspension of land revenue on the occurrence of an agricultural calamity 133
कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर भू-राजस्व में छूट या उसका स्थगन

269. Exclusion of the period of suspension under Section 268 for limitation purposes.....134
कालावधि के प्रयोजनों के लिये धारा 268 के अधीन हुये स्थगन की अवधि का निकाल दिया जाना
270. Order under Section 268 not to be questioned in Courts.....134
धारा 268 के अधीन हुई आज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी आक्षेप का न हो सकना
271. Revision of settlement on account of decline in prices of agricultural produce.....134
कृषि सम्बन्धी पैदावार के मूल्यों में (ह्रास) कमी के कारण बन्दोबस्त का पुनरीक्षण
272. Appointment of officer for settlement under Section 271 134
धारा 271 के अधीन बन्दोबस्त के लिये अधिकारी की नियुक्ति
273. Annual enquiry into revenue free grants.....134
भू-राजस्व से मुक्त अनुदानों के सम्बन्ध में वार्षिक जांच
274
274-A. Rounding off in multiples of five paise.....134
पांच पैसे के गुणकों में पूर्णांकन

Collection of land revenue

भू-राजस्व की वसूली

275. Arrangements for collection of land revenue.....135
भू-राजस्व की वसूली के लिए प्रबंध
276. Collection of land revenue by Gaon Panchayat 135
गाँव पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली
277. Consequences of collection of land revenue by Land Management Committee.....135
भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भू-राजस्व की वसूली के परिणाम
278. Certified account to be evidence as to arrears of land revenue.....135
प्रमाणित हिसाब भू-राजस्व के बकाए का साक्ष्य होगा
279. Procedure for recovery of an arrear of land revenue 136
भू-राजस्व के बकाया की वसूली की प्रक्रिया
280. Writ of demand and citation to appear 136
मांग पत्र और उपस्थिति पत्र
281. Arrest and detention.....136
गिरफ्तारी और निरोधन
282. Attachment and sale of moveable property.....137
चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय
283. Recovery proceedings by Land Management Committee 137
भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वसूली की कार्यवाहियां
284. Attachment, lease and sale of holding.....137
जोत की कुर्की, उसे पट्टे पर देना या विक्रय

284-A. Ejectment of persons occupying the attached land without title.....138
कुर्क भूमि पर बिना आगम के काबिज व्यक्तियों की बेदखली
285. [* * *].....138
286. Power to proceed against interest of defaulter in other immovable property.....138
अन्य अचल सम्पत्ति में व्यतिक्रमी (बकायेदार) के हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार
286-A. Appointment of receiver.....139
रिसीवर (प्रापक) की नियुक्ति
287. Recovery of arrears paid by a person appointed under Section 275.....139
धारा 275 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बकाये की वसूली
287-A. Payment under protest and suit for recovery.....140
प्रतिवाद के अधीन भुगतान और वसूली के लिये वाद
288. Provisions applied to arrears due at the commencement of Act.....140
इस अधिनियम के प्रावधानों का इसके प्रारम्भ होने के समय आदेय बकाया पर लागू होना
289. [* * *].....140
290. [* * *].....140
291. [* * *].....140
292. Payment of rent or other dues in respect of attached land.....140
कुर्क की गई भूमि की बाबत लगान या अन्य देयों का भुगतान
293. Provisions of Act III of 1901 applied to applications and proceedings under this Chapter.....141
1901 के अधिनियम संख्या 3 के प्रावधानों का इस अध्याय के अधीन आवेदनों और कार्यवाहियों पर लागू किया जाना
294. Power to make rules.....141
नियम बनाने की शक्ति

CHAPTER-XI
अध्याय 11
CO-OPERATIVE FARMS
सहकारी फार्म

295 to 318.....142

CHAPTER-XII
अध्याय 12
MISCELLANEOUS
प्रकीर्ण

319. Appointment of officers and authorities for this Act.....142
इस अधिनियम के लिये अधिकारियों और प्राधिकारियों की नियुक्ति
320. Powers and duties.....142
अधिकार और कर्त्तव्य

321. Delegation of powers.....142
अधिकारों का प्रत्यायोजन
322. Powers to enforce attendance of witnesses and in certain other matters.....142
साक्षियों को उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार
323. Powers to require production of documents, etc.....142
दस्तावेज आदि प्रस्तुत कराने का अधिकार
324. Powers to enter upon land, and to make survey, etc.....143
भूमि पर प्रवेश करने, और सर्वेक्षण, इत्यादि का अधिकार
325. Proceedings before the Compensation Officer and the Rehabilitation Grants Officer to be a judicial proceeding.....143
मुआवजा अधिकारी और पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना
326. Costs.....143
खर्च
327. Mode of service of notice.....143
नोटिस के तामील की रीति
328. Right to inspection and copies of documents, statements and registers.....143
दस्तावेजों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार
329. Transfer of proceedings.....143
कार्यवाहियों का अन्तरण
330. Bar to jurisdiction of Civil Courts in certain matters.....144
कतिपय विषयों में दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र न होना
331. Cognizance of suits, etc. under this Act.....144
इस अधिनियम के अधीन वादों आदि का संज्ञान
331-A. Procedure when plea of land being used for agricultural purposes is raised in any suit.....146
किसी वाद में भूमि के कृषीय प्रयोजन के प्रयोगों का तर्क प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रक्रिया
332. [* * *].....147
332-A. [* * *].....147
332-B. [* * *].....147
333. Power to call for cases.....147
वादों को मंगाने की शक्ति
333-A. Reference to the Board.....148
परिषद् को निर्देश
334. Protection of action taken under this Act.....148
इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण
335. Discharge of liability of the State Government.....148
राज्य सरकार के दायित्व का निर्वहन

336. No right of pre-emption in the area to which this Act applies.....149
जिन क्षत्रों में यह अधिनियम लागू होता हो वहाँ से अग्रक्रयाधिकार का लोप
337. Computation of the area fixed in certain districts.....149
कतिपय जिलों में निश्चित क्षेत्र की संगणना
338. Amendment and adaptation of other enactments by an order under this Act.....149
इस अधिनियम के अधीन आज्ञा द्वारा दूसरे अधिनियमों का संशोधन और अनुकूलन
339. Repeals.....150
निरसन
340. Amendment of U.P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949.....150
उत्तर प्रदेश कृषि काश्तकार (विशेषाधिकार अर्जन) अधिनियम, 1949 में संशोधन
341. Application of certain Acts to the proceeding of this Act.....150
कुछ अधिनियमों का इस अधिनियम की कार्यवाहियों पर लागू होना
342. Power to remove difficulties.....151
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
343. State Government to be party in the proceedings under Chapters III to V.....151
अध्याय 3 से 5 तक के अन्तर्गत कार्यवाहियों में राज्य सरकार का पक्षकार होना
343-A. State Government to be a party in suits by or against the Gaon Sabha or local authority.....152
गाँव सभा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये वादों में राज्य सरकार पक्षकार होगी
344. Rules in general.....152
सामान्य नियम
- Schedule I.....153
- अनुसूची 1
- Schedule II.....153
- अनुसूची 2
- Schedule III.....157
- अनुसूची 3
- Schedule IV.....164
- अनुसूची 4
- Schedule V.....167
- अनुसूची 5
- Schedule VI.....171
- अनुसूची 6
- Schedule VII.....171
- अनुसूची 7

THE UTTAR PRADESH LAND REVENUE ACT, 1901
उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901

CHAPTER I
अध्याय 1
PRELIMINARY
प्रारम्भिक

1. Title, extent and commencement.....174
शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ
2. Repeal.....175
निरसन
3. Savings.....175
व्यावृत्तियाँ
4. Definitions.....175
परिभाषायें

CHAPTER II
अध्याय 2
APPOINTMENTS AND JURISDICTION
नियुक्ति और अधिकारिता

5. Controlling powers of State Government and Board respectively.....177
राज्य सरकार तथा परिषद की क्रमशः नियन्त्रक शक्तियाँ
6. Appointment of members of the Board.....178
परिषद के सदस्यों की नियुक्ति
7. Power to distribute business.....178
कार्य वितरण करने की शक्ति
8. Alteration or reversal of a judicial order.....178
न्यायिक आदेश का परिवर्तन या उलटा जाना
9. Reference to State Government in case of difference of opinion.....178
मतभेद की दशा में राज्य सरकार को निर्देश
10. Power to authorize member to exercise power of Board.....178
परिषद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सदस्य को प्राधिकृत करने की शक्ति
11. Power to create, alter and abolish divisions, districts, tahsil and sub-divisions.....179
खण्डों, जिलों, तहसीलों तथा उपखण्डों का सृजन, परिवर्तन तथा समापन करने की शक्ति
12. Commissioners of divisions.....179
मण्डलों के आयुक्त
13. Appointment, power and duties of Additional Commissioner.....179
अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य
14. Collector of the district.....179
जिले का कलेक्टर

14-A. Appointment, powers and duties of Additional Collectors 180
अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य
15. Assistant Collectors 180
सहायक कलेक्टर
16. [* * *] 180
17. Tahsildar and Naib-Tahsildars.....180
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार
18. Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers 180
परगनाधिकारी तथा अतिरिक्त परगनाधिकारी
19. Subordination of Revenue Officers 181
राजस्व अधिकारियों का अधीनस्थ होना
20. Collector of the district in case of temporary vacancy.....181
अस्थायी रिक्ति की स्थिति में जिले का कलेक्टर

CHAPTER III
अध्याय 3
MAINTENANCE OF MAPS AND RECORDS
मानचित्रों तथा अभिलेखों का रख-रखाव

(A) Kanungos and [Lekhpals]
(क) कानूनगो और [लेखपाल]
21. Power to form and alter Lekhpals' halkas 181
लेखपाल के हलकों का निर्माण और परिवर्तन करने की शक्ति
22. [* * *] 181
23. Appointment of Lekhpals.....181
लेखपालों की नियुक्ति
24. [* * *] 181
25. Appointment of Kanungos.....181
कानूनगो की नियुक्ति
26. [* * *] 182
27. Kanungos and Lekhpals to be public servants, and their records public records.....182
कानूनगो और लेखपाल लोक-सेवक होंगे और उनके अभिलेख लोक-अभिलेख होंगे
(B) Maps
(ख) मानचित्र
28. Maintenance of map and field-book 182
मानचित्र (नक्शा) तथा फील्ड बुक का रख-रखाव
29 Obligations of owners as to boundary marks.....182
सीमा चिह्नों के सम्बन्ध में स्वामियों की बाध्यता
30. Penalty for injury to, or removal of, marks.....183
चिह्नों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए दण्ड

(C) Registers
(ग) रजिस्टर

31. List of villages 183
गाँवों की सूची
32. Record-of-rights 183
अधिकार-अभिलेख
33. The annual registers 183
वार्षिक रजिस्टर
33-A. Correction of annual registers in cases of uncontested successions 185
अविरोध उत्तराधिकार के मामलों में वार्षिक रजिस्टरों का शुद्धिकरण
34. Report of succession or transfer of possession 186
उत्तराधिकार अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट
35. Procedure on report 188
प्रतिवेदन पर प्रक्रिया
36. [* * *] 188
37. Power to prescribe fees for mutation 188
नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के लिये शुल्क निर्धारित करने की शक्ति
38. Fine for neglect to report 188
प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करने में उपेक्षा के लिए दण्ड
39. Correction of mistakes in the annual register 188
वार्षिक पंजिका में अशुद्धियों की शुद्धि
40. Settlement of disputes as to entries in annual register 189
वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में विवादों का निपटारा
40-A. Saving as to title suits 189
आगम (हक) वादों के विषय में व्यावृत्ति
41. Settlement of boundary disputes 189
सीमा विवादों का समझौता
41-A. [* * *] 190
42. [* * *] 190
43. Procedure when rent payable is disputed 190
जब देय लगान विवादग्रस्त हो तब प्रक्रिया
44. Presumption as to entries in the annual register 191
वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में उपधारणा
45. [* * *] 191
46. Obligation to furnish information necessary for the preparation of records 191
अभिलेखों की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करने का कर्तव्य
47. Inspection of records 191
अभिलेखों का निरीक्षण

CHAPTER IV
अध्याय 4
REVISION OF MAPS AND RECORDS
मानचित्रों और अभिलेखों का पुनरीक्षण

48. Notification of record operations.....191
अभिलेख-प्रवर्तन की अधिसूचना
49. Record Officers.....191
अभिलेख अधिकारी
50. Powers of Record Officer as to erection of boundary marks.....192
सीमा चिह्न निर्धारित करने के विषय में अभिलेख-अधिकारी की शक्ति
51. Decision of disputes.....192
विवाद का निर्णय
52. Records to prepared in re-survey.....192
पुन: सर्वेक्षण में तैयार किये जाने वाले अभिलेख
53. Preparation of new record-of-rights.....192
नये अधिकार-अभिलेखों की तैयारी
54. [* * *].....192
55. Particulars to be stated in the list of cultivators.....193
खेतिहरों की सूची में वर्णित होने वाली प्रविष्टियाँ
56. [* * *].....193
57. Presumption as to entries.....194
प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा

CHAPTER IX
अध्याय 9
PROCEDURE OF REVENUE COURTS AND REVENUE OFFICERS
राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया

189. Place for holding Court.....194
न्यायालय लगाने का स्थान
190. Power to enter upon and survey land.....194
भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने की शक्ति
191. Power of Board or Commissioner to transfer cases.....194
मामलों का अन्तरण करने के लिए परिषद या आयुक्त की शक्ति
192. Power to transfer cases to and from subordinates.....195
वादों को अधीनस्थों की ओर से अन्तरण करने की शक्ति
192-A. Consolidation of cases.....195
मामलों का समेकन
193. Power to summon persons to give evidence and produce documents.....195
साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति
194. Procedure in case of non-compliance with summons.....195
सम्मन के अननुपालन की दशा में प्रक्रिया

195. Summons to be in writing, signed and sealed 195
सम्मन का लिखित, हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होना
196. Mode of serving notice 195
नोटिस तामील करने का तरीका
197. Mode of issuing proclamations 196
उद्घोषणा जारी करने का तरीका
198. Notice and proclamation not void for error 196
नोटिस या उद्घोषणा गलती के कारण शून्य न होगी
199. Procedure for procuring attendance of witnesses 196
गवाहों की हाज़िरी पाने के लिये प्रक्रिया
200. Hearing in absence of party 196
पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई
201. No appeal from orders passed ex parte or by default.....196
एकपक्षीय या चूक के कारण पारित आदेशों से अपील नहीं
202. Correction of error or omission.....197
गलती या लोप की शुद्धि
203. Power to refer disputes to arbitration.....197
विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति
204. Procedure in cases referred to arbitration.....197
मध्यस्थता के लिए भेजे गये मामलों में प्रक्रिया
205. Application to set aside award.....197
पंचाट को खारिज करने के लिए आवेदन
206. Decision according to award 197
पंचाट के अनुसार निर्णय
207. Bar to appeal and suit in Civil Court 197
सिविल न्यायालय में वाद और अपील पर अवरोध
208. Recovery of fines and costs.....197
जुर्माने और खर्चों की वसूली
209. Delivery of possession of immovable property.....197
अचल सम्पत्ति के कब्जे का प्रदान

CHAPTER X

अध्याय 10

APPEALS, [* * *] AND REVISION

अपील[* * *] और पुनरीक्षण

210. Courts to which appeals lie.....198
न्यायालय जिन्हें अपीलें होंगी
211. First appeal.....198
पहली अपील
212. [* * *] 198
213. [* * *] 198
214. [* * *] 198

215. Appeal against order admitting an appeal 199
अपील ग्रहण करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील
216. Powers of Appellate Court.....199
अपील न्यायालय की शक्तियाँ
217. Power to suspend execution of order of lower Court 199
निचले न्यायालय के आदेश का निष्पादन रद्द करने की शक्ति
218. Reference to the Board 199
परिषद को निर्देश
219. Revision 199
पुनरीक्षण
220. Power of Board to review and alter its order and decrees.....201
अपने आदेशों और डिक्रियों का पुनर्विलोकन तथा परिवर्तन करने की परिषद की शक्ति

CHAPTER XI
अध्याय 11
MISCELLANEOUS
प्रकीर्ण
(A) Powers
(अ) शक्तियाँ

221. Conferring of powers.....202
अधिकार प्रदान करने की शक्ति
222. Powers of officers transferred to another district 202
दूसरे जिले में स्थानान्तरित अधिकारियों की शक्ति
223. Investment of Assistant Collector with powers of Collector.....202
कलेक्टर की शक्ति का सहायक कलेक्टर में निहित होना
224. Conferring of powers on Tahsildars and Naib-Tahsildars.....202
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान करना
225. Collector to have all powers of an Assistant Collector.....202
कलेक्टर को सहायक कलेक्टर की समस्त शक्तियाँ
226. [* * *] 203
227. Powers of an Assistant Collector in charge of sub-division.....203
उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ
228. Powers of an Assistant Collector of first class not in charge of a sub-division 203
प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर जो उपखण्ड का प्रभारी न हो की शक्तियाँ
229. Powers of Assistant Collectors of second class 203
द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर की शक्तियाँ
230. Powers of Assistant Record Officers 203
सहायक अभिलेख अधिकारी की शक्तियाँ
231. Powers of subordinate authority to be exercised by superior authority.....203
अधीनस्थ अधिकारी की शक्तियों का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रयोग
232. [* * *] 203

(B) Jurisdiction of Civil Courts

(ब) दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता

233. Matters excepted from cognizance of Civil Courts 204
दीवानी न्यायालयों के संज्ञान से अपवादित मामले

(C) Power to make rules

(स) नियम बनाने की शक्ति

234. Power of Board to make rules.....204
परिषद की नियम बनाने की शक्ति

- The First Schedule.....205
- प्रथम अनुसूची
- The Second Schedule.....205
- द्वितीय अनुसूची

उत्तर प्रदेश नगरीय-क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956

(Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956)

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ (Short title, extent and commencement).....206
2. परिभाषाएँ (Definitions).....207

अध्याय 2

कृषि-क्षेत्रों का सीमांकन

3. कृषि-क्षेत्रों के सीमांकन की आज्ञा देने की शक्ति (Power to order demarcation of agricultural areas).....209
4. प्रारम्भिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा उन पर आपत्तियाँ (Publication of preliminary proposals and objections thereon).....210
5. अन्तिम सीमांकन (Final demarcation).....210
6. सीमांकन कार्यवाहियों में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल की शुद्धि (Correction of clerical or arithmetical mistakes in the demarcation proceedings).....210
7. अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण (Revisions of record-of rights).....210

अध्याय 3

मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन और उनके परिणाम

8. कृषि-क्षेत्रों का राज्य में निहित होना (Vesting of agricultural area in the State).....210

9. राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशित किया जाना (Notification to be published in the Gazette).....211
10. निहित होने के परिणाम (Consequences of vesting).....211
11. कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद (Saving in respect of certain rights).....212
12. खान और खनिज (Mines and minerals).....213
13. भरण-पोषण भत्ते के लिए सीर या खुदकाश्त का आबंटन (Sir or khudkasht allotted in lieu of maintenance allowances).....213
14. आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों (Estates in possession of a thekedar).....213
15. भोगबंधकी के कब्जे का आस्थान (Estate in possession of a mortgagee with possession).....214
16. ऐसी सीर, खुदकाश्त, इत्यादि का सीमांकन जो संयुक्त रूप से धारित हो (Demarcation of sir, khudkasht, etc., held jointly).....215
17. मध्यवर्ती या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते कुछ भूमियों का बन्दोबस्त किया जाना (Settlement of certain lands with intermediaries or cultivators as bhumidhars).....215
18. जोत की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बन्दोबस्त (Land in the holding to be settled with the tenants thereof as sirdars).....216
19. गैर दखीलकार काश्तकारों, बाग-भूमि के उपकृषकों और काश्तकारों के बन्धियों का असामी होगा (Non-occupancy tenants, sub-tenants of grove-lands and tenants mortgagees to the asamis).....217
20. ऐसी भूमि के, जो भवन बनवाने के प्रयोजनों के लिए धारित हो, उप-पट्टेदारों की बेदखली (Ejectment of sub-lessees in lands held for building purposes).....218
21. लगान में 1 जुलाई, 1948 को या उसके बाद हुए परिवर्तन का मान्य न होना (Variation in rent on or after July 1, 1948 not to be recognized).....218
22. इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने की संविदा या करार शून्य होगा (Contract or agreement to defeat the provisions of this Act to be void).....219
23. कलेक्टर द्वारा कृषि क्षेत्रों का प्रभार में ले लिया जाना (Collector to take over agricultural areas).....219

अध्याय 4

मुआवज़े का निर्धारण

24. हितों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का मुआवज़ा पाने का हकदार होना (Intermediary entitled to receive compensation for acquisition of interests).....219
25. मुआवज़ा देय होने का दिनांक (Date from which the compensation shall be due).....219

26. मुआवज़े का भुगतान और निर्धारण की प्रक्रिया (Proceedings relating to assessment and payment of compensation) 220
27. मुआवजा निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) 220
28. तालिका का मुआवज़ा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना (Roll to be signed by the compensation officer) 220
29. अधिकार अभिलेखों में लेखन या गणित सम्बन्धि भूल का ठीक किया जाना (Correction of clerical error or arithmetical mistakes in the record of rights) 220
30. सिविल कोर्ट में दावा स्थापित करने का अधिकार (Right to establish claim in the civil court) 220
31. कुल आस्तियों की संगणना (Calculation of gross assets) 220
32. ठेकेदार की कुल आस्तियाँ (Gross assets of a thekedar) 221
33. शुद्ध आस्तियों की संगणना (Calculation of net assets) 221
34. अवर स्वत्वधारी, स्थायी भू-धृतिधारक और अवध के स्थायी पट्टेदार की कुल और शुद्ध आस्तियाँ निकालना (Calculation of gross assets and net assets of under-proprietors, permanent tenure-holders and permanent lessees in Avadh) 221
35. प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन (Preliminary publication of the draft compensation assessment roll) 222
36. आक्षेपों की सुनवाई की तिथि (Date for hearing objections) 222
37. आक्षेपों की सुनवाई और निर्णय (Hearing and deciding of objections) 222
38. धारा 37 के अधीन आज्ञा का सिविल कोर्ट की डिक्री समझा जाना (Order under Section 37 to be a decree of civil court) 222
39. जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील (Appeal to the District Judge) 222
40. उच्च न्यायालय में अपील (Appeal to High Court) 222
41. पुनरीक्षण (Revision) 222
42. अन्तिम मुआवज़ा निर्धारण तालिका (Final compensation assessment roll) 223
43. तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना (Copy of the roll to be supplied to the intermediary) 223
44. मध्यवर्ती को देय मुआवज़े की मात्रा (Amount of compensation to be payable to an intermediary) 223
45. ठेकेदार को देय मुआवजे की मात्रा (Amounts of compensation payable to thekedar) 223
46. मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच मुआवज़े का प्रभाजन (Apportionment of compensation between the intermediary and thekedar) 223
47. धारा 46 के अन्तर्गत आज्ञा का सिविल कोर्ट की डिक्री समझा जाना (Order under Section 46 to be a decree of a civil Court) 223

48. अपील के ज्ञापन पर देय न्याय-शुल्क (Court fees payable on memorandum of appeal).....224
49. सद्भाविक भूलों का ठीक किया जाना (Correction of bona fide mistakes).....224

अध्याय 5

मुआवजे का भुगतान

50. तालिका में दर्ज मुआवजे का दिया जाना (Compensation entered in the roll to be paid).....224
51. तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का मुआवजा पाना (Intermediary entered in the roll to receive compensation).....224
52. विधिक प्रतिनिधि को देय मुआवजा (Compensation payable to the legal representatives).....224
53. मुआवजे के भुगतान का रूप (Form of payment of compensation).....224
54. कतिपय दशाओं में बैंक या अन्य अधिकारी के पास मुआवजे का जमा किया जाना (Compensation to be deposited within bank or other authority in certain cases).....224
55. प्रतिकर की धनराशि को न्यायालय या अधिकारी के अधिकार में देना (Compensation money to be placed at the disposal of the Court or authority).....225
56. गुजारेदारों को देय मुआवजे की धनराशि का निश्चित किया जाना (Settlement of the amount of compensation due to guzaredars).....225

अध्याय 6

कुछ वक्फों, न्यासों और विन्यासों के लिए वार्षिकी

57. वार्षिकी का भुगतान (Payment of annuity).....225
58. तिथि जिससे वार्षिकी देय होगी (Date from which the annuity shall be payable).....225
59. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 के अध्याय 5 की धाराओं का लागू किया जाना (Application of sections of Chapter V of the U.P. Act I of 1951).....225

अध्याय 7

भूमि प्रबन्ध

60. भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध और नियंत्रण (Superintendence, management and control of land).....226
61. भूमि प्रबन्ध कोष (Land Management Fund).....226
62. राज्य सरकार के आदेशों और निर्देशों का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना (Local authority to carry out orders and directions of the State Government).....226

63. भूमि प्रबन्ध की आनुकल्पिक व्यवस्था (Alternative arrangement for land management).....226

अध्याय 8

भू-धृति एवं भू-राजस्व

64. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 के अध्याय 8 और 10 के प्रावधानों का कृषि-क्षेत्रों पर लागू होना (Application of provisions of Chapters VIII and X of U.P. Act I of 1951 to agricultural areas).....227
65. उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1951 का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना (Application of the U.P. Land Revenue Act, 1901 to agricultural areas).....227
66. धारा 64 तथा 65 के अधीन दिये गये आदेशों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष पेश किया जाना (Order made under Sections 64 and 65 to be laid before the State Legislature).....227

अध्याय 9

प्रकीर्ण

67. अधिकारियों, आदि की नियुक्ति (Appointment of Officers, etc.).....228
68. अतिरिक्त मुआवजा आयुक्त (Additional compensation commissioners).....228
69. अधिकार और कर्तव्य (Powers and duties).....228
70. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of powers).....228
71. साक्षियों आदि को उपस्थित कराने की शक्ति (Powers to enforce attendance of witnesses, etc.).....228
72. दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का अधिकार (Powers to require production of document, etc.).....228
73. भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने इत्यादि का अधिकार (Powers to enter upon land and to make survey, etc.).....229
74. मुआवजा अधिकारी और आयुक्त के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना (Proceeding before the compensation officer and the commissioner to be judicial proceedings).....229
75. वाद-व्यय (Costs).....229
76. दस्तावेजों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार (Right to inspection and copies of documents, statements and registers).....229
77. कार्यवाहियों का अन्तरण (Transfer of proceedings).....229
78. कुछ मामलों में सिविल न्यायालयों का अधिक्षेत्र न होना (Bar to jurisdiction of Civil Courts in certain matters).....230
79. इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में परित्राण (Protection of action taken under this Act).....230

80. राज्य सरकार के दायित्व का निर्वहन (Discharge of liability of the State Government) 230
81. अध्याय 4 तथा 5 के अधीन कार्यवाहियों में राज्य सरकार का पक्षकार होना (State Government to be a party in the proceedings under Chapters IV and V).....230
82. वाद, प्रार्थना-पत्र तथा कार्यवाही (Suits, applications and proceedings).....230
83. अनुकूलनों तथा कठिनाइयों का दूर किया जाना (Adaptation and removal of difficulties) 231
84. उ० प्र० अधिनियम संख्या 17 सन् 1939 [तथा उ० प्र० अधिनियम संख्या 2 सन् 1903] का निरसन (Repeal of U.P. Act No. 17 of 1939 and U.P. Act No. 2 of 1903) 231
85. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में कतिपय अधिनियमों का लागू होना (Application of certain Acts to the proceedings under this Act).....231
86. नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules).....231
• अनुसूची.....233

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952
(U.P.Bhoodan Yagna Act, 1952)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ (Short Title, Extent and Commencement) 235
2. परिभाषाएँ (Definitions).....235
3. भू-दान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमन (Establishment and incorporation of the Bhoodan Yagna Committee) 236
4. समिति का गठन (Constitution of the Committee) 236
5. समिति का विघटन (Dissolution of the Committee).....236
6. आकस्मिक रिक्तियाँ तथा समिति के सम्बन्ध में अन्य विषय (Casual Vacancies and other matters about the Committee).....237
7. समिति के कर्तव्य (Duties of the Committee).....237
8. भू-दान यज्ञ के लिए भूमि का दान (Donation of Land to Bhoodan Yagna).....237
9. घोषणा का प्रकाशन तथा उसके सम्बन्ध में जाँच (Publication of and investi-gation upon the declaration).....237
10. भू-दान के लिए समर्थदाता (Donor competent to donate land).....238
11. आक्षेपों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण (Filing, hearing and disposal of objections).....238
12. भूमि जिनका दान नहीं दिया जा सकता (Lands which cannot be donated).....238

13. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि (Lands donated prior to the commencement of this Act).....

14. भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का प्रदान (Grant of Land to Landless Persons) .....

15. भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही अनुदान दिए जाएंगे (Grants to be made in accordance with Bhoodan Yagna Scheme).....

15-क. कुछ अनुदान का निरस्तीकरण.....

16. पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क से मुक्ति (Exemption from stamp duty and regis-tration).....

17. नियम बनाने की शक्ति (Power to make Rules).....

• **उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Special Provisions) Act, 2010) .....**

उत्तर प्रदेश
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951]

उत्तर प्रदेश में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा का विनाश करने, उक्त मध्यवर्तियों के अधिकार, हक और स्वत्व अर्जित करने तथा उक्त उन्मूलन और अर्जन के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी कानून में सुधार करने तथा तत्संबंधी अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम

जबकि यह युक्तियुक्त और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी प्रथा का विनाश करने और उक्त मध्यवर्तियों के अधिकार हक और स्वत्व अर्जित करने और उक्त विनाश तथा अर्जन के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी कानून में सुधार तथा तत्संबंधी अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय।

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :

अधिनियम की पृष्ठभूमि

[2]उत्तर प्रदेश पहले आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त के रूप में, अर्थात् आगरा और अवध के प्रान्त को शामिल करने वाले प्रान्त के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रवर्तन पर इनमें राजस्व विधि की समान प्रणाली थी किन्तु 1939 के उ० प्र० काश्तकारी अधिनियम की संख्या 17 के पुन: स्थापन तक काश्तकारी विधि आत्यन्तिक रूप से भिन्न थी।

आगरा के प्रान्त को पहले उत्तर-पश्चिम प्रान्त के रूप में जाना जाता था, जो फोर्ट विलियम के प्रेसीडेन्सी का भाग था और बंगाल विनियम द्वारा शासित किया जाता था। विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम प्रान्त को लागू विनियम बाद में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन उत्तर-पश्चिम प्रान्त संहिता के रूप में प्रकाशित किया गया था। ये विनियम प्राथमिक रूप से राजस्व की वसूली के लिए तात्पर्यित थे और इनका काश्तकारों के लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं था। वर्ष 1859 मे, 1859 का लगान वसूली अधिनियम संख्या 10 पुर:स्थापित किया गया, जिसने एक तरह से अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता दी। इसके बाद, 1901 के आगरा काश्तकारी अधिनियम ने कतिपय विस्तार तक काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया किन्तु इसने मनमानेपूर्ण बेदखली के लिए रास्ता खोल दिया और काश्तकारों को लगान की वृद्धि से और अनैतिक भू-स्वामियों द्वारा व्यर्थ मुकदमेबाजी से कोई पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया। सामान्यतया यह महसूस किया गया कि विधि क्रान्तिकारी परिवर्तन की अपेक्षा करती है किन्तु युद्ध के हस्तक्षेप के कारण वर्ष 1926 तक कुछ नहीं किया जा सका।

अवध प्रान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा इसके अधिनियमन के पूर्व अवध के राजाओं द्वारा शासित किया जाता था। उनकी राजस्व की वसूली की भिन्न-भिन्न प्रणाली थी और इसे मुस्ताजीरी के माध्यम से या नाजिम, चकलादार या अन्य वसूली पदधारियों की नियुक्ति द्वारा वसूल करते थे। भूमि के तात्कालिक धारक का कोई सारभूत अधिकार नहीं था और वे इन लगान वसूल करने वालों की दया पर थे। प्रान्त के अधिमिलन की प्रत्याशा में लार्ड डलहौजी, गवर्नर-जनरल ऑफ इंण्डिया ने अवध के निवासी जनरल आउट्रम को भूमिधारकों या तालुकेदारों को वर्ग के रूप में समाप्त करने के लिए और भूमि के कब्जाधारी व्यक्तियों के साथ सीधे

---

1. राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 जनवरी, 1951 को प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश के गजट, असाधारण, में दिनांक 26 जनवरी, 1951 को प्रकाशित हुआ।
2. *यू० पी० स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लि०* बनाम *डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन*, 2000 आर० डी० 171-175 : 2000 आर० एन० एस० 533-537 (एस० सी)।

संक्षिप्त बन्दोबस्त करने के लिए पत्र लिखा था। अवध को 13 फरवरी, 1856 को मिलाया गया था और संक्षिप्त बन्दोबस्त के पूरा होने के पहले ही 30 मई, 1857 को लखनऊ में विद्रोह फूट पड़ा और चूंकि ब्रिटिश सरकार का प्राधिकार स्थाई हो गया, इसलिए पहले से तैयार किए गये सभी अभिलेख नष्ट कर दिये गये। गदर समाप्त होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रान्त पर पुन: नियन्त्रण करने में समर्थ होने के बाद, लार्ड कैनिंग ने प्रान्त की भूमि में सभी स्वत्वधारी अधिकारों का समपहरण करते हुए 15 मार्च, 1859 को घोषणा जारी की। इसके बाद दूसरा संक्षिप्त बन्दोबस्त अधिमिलन के समय यथापूर्वस्थिति के प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त पर किया गया। उससे तालुकदारों और भू-स्वामियों की स्थिति सुनिश्चित हो गयी किन्तु अधिनस्थ स्वत्वधारियों या अन्य अधीनस्थ काश्तकारों को कोई अनुतोष नहीं दिया गया।

वर्ष 1864 में सर जान लारेंस भारत के वायसराय हुए। वे पंजाब और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में लगान विधि के कार्य का अपने सूक्ष्म ज्ञान के साथ अवध मे अधीनस्थ स्वत्वधारियों और मौरूसी काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए उत्सुक थे। वे अवध उप-बन्दोबस्त अधिनियम, 1886 द्वारा अधीनस्थ स्वत्वधारियों के अधिकारों का संरक्षण करने में सफल रहे, जिसनें अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को पुन: मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त किया और इसी के परिणामस्वरूप, 1868 में अवध के लिए प्रथम लगान अधिनियम, (1868 का अधिनियम, 19) पारित किया गया। इस अधिनियम का इसके बाद तुरन्त 1870 के अधिनियम 7 द्वारा भागत: निरसन किया गया और तुच्छ बिन्दुओं को 1871 के अधिनियम 32 , 1876 के 18, 1878 के 14 और 1882 के 14 द्वारा संशोधित किया गया। वर्ष 1886 में, 1886 का अधिनियम सं० 22 पारित किया गया, जिसने काश्तकारों को कुछ सारभूत अनुतोष प्रदान किए। इस अधिनियम द्वारा किए गये परिवर्तन थे—(1) काश्तकारों का कानूनी अधिकार, (2) लगान की वृद्धि की सीमा, (3) बेदखली पर निर्बन्धन और (4) सुधार का काश्तकारों का अधिकार। 1890 के अधिनियम 20 और 1891 के अधिनियम 12 द्वारा तुच्छ संशोधन किया गया किन्तु उसके द्वारा उस सिद्धान्त को परिवर्तित नहीं किया गया, जिस पर मूल अधिनियम निर्मित किया गया था। 1901 का संशोधन अधिनियम 4 ने लगान विधि में दो नए अध्याय को प्रारम्भ किया, अर्थात—(1) पूर्व स्वत्वधारी काश्तकारी, और (2) लगान मुक्त अनुदान का पुनर्ग्रहण। यह पूर्व स्वत्वधारी काश्तकारी अधिकार अवध लगान अधिनियम, 1886 की धारा 5 और अवध विधि अधिनियम की धारा 25 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिभोग के पूर्व स्वत्वधारी के अधिकार के अतिरिक्त था।

यद्यपि ये अधिनियम और संशोधन अपने प्रभाव में प्रभावी थे फिर भी आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने में सफल नहीं हुए, जो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि के विकास और कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के साथ हुई थी। सर्वत्र असन्तोष और आक्षेप बढ़ रहा था और भावना को उत्पन्न करने के लिए अन्तत: किसान सभा आन्दोलन के रूप में अभिव्यक्त हुआ। सम्पूर्ण प्रान्त में गम्भीर दंगे हुए, जिसके कारण भू-स्वामियों द्वारा प्रपीड़क उपाय अंगीकार किया गया। आन्दोलनकारियों का नारा था ''नजराना नहीं, बेदखली नहीं'', जबकि बदले में भू-स्वामियों ने काश्तकारों को अपने जोत से निकालने के लिए प्रत्येक प्रयास किए और यथासम्भव अपने सीर और खुदकाश्त में वृद्धि की। यद्यपि यह आन्दोलन प्रपीड़क उपाय द्वारा दबा दिया गया। लेकिन इसने सरकार को लगान विधि में सहानुभूतिपूर्ण संशोधन की आवश्यकता को सोचने के लिए बाध्य किया। इसीलिए अवध में भू-स्वामियों और काश्तकारों के बीच सम्बन्ध को सुधारने के लिए और विशेष रूप से काश्तकारों को उचित लगान पर काश्त की अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1921 का अवध लगान (संशोधन) अधिनियम सं० 4 अधिनियमित किया गया।

इस अधिनियम पर आगरा प्रान्त में प्रतिक्रिया हुई। एका के रूप में किसान आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया और सर विलियम मेरिस के शब्दों में सरकार दो निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुई—(1) यह असाम्यापूर्ण है और दीर्घकाल तक आगरा प्रान्त के असंरक्षित काश्तकारों को अवध में नए कानूनी काश्तकारों की अपेक्षा कम सुरक्षित स्थिति में छोड़ना सम्भव नहीं है, और (2) इस मामले पर विचार करना उस समय हमारा कर्तव्य है, जब प्रान्त में शान्ति हो, जिससे उपयुक्त समय में कृषीय असन्तोष के ऐसे आधारों को दूर किया जाय जो घोर रिष्टि को प्रस्फुटित कर सकता है, यदि ऐसी उत्तेजना की अन्य लहर पुन: प्रान्त में उत्पन्न हो, जैसा कि 1922 में हुआ था। सरकार की उस चेतना के परिणाम-स्वरूप 1926 का आगरा काश्तकारी अधिनियम सं० 3 अधिनियमित किया गया।

इस बात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि जिस समय ये दोनों अधिनियम अर्थात् अवध लगान (संशोधन) अधिनियम और आगरा काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किए गये थे, उस समय प्रान्तीय विधान मण्डल भूमि के हित द्वारा अभिभावी था और ये अधिनियम भू-स्वामी और सरकार के बीच समझौते का परिणाम था, जो काश्तकारों और अन्य अधीनस्थ काश्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। काश्तकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सरकार को भू-स्वामियों को कतिपय रियायत प्रदान करना था। इनका दुरुपयोग किया गया और इसका परिणाम 1930-31 में 'लगान नहीं' और 'राजस्व नहीं' आन्दोलन

हुआ, जिसका कारण अत्यधिक लगान था, जो कृषि उत्पाद की कीमत में अचानक कमी के कारण दमनकारी हो गया। स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार ने 1930 का सं० प्रा० आपात शक्ति अध्यादेश संख्या 12 और 1932 का सं० प्रा० विशेष शक्ति अधिनियम संख्या 14 अधिनियमित किया। काश्तकारों की 1932 के सं० प्रा० लगान बकाया अधिनियम संख्या 1 द्वारा लगान के बकाये के कारण बेदखली से संरक्षा की गयी और 1932 के सं० प्रा० काश्तकारी सहायता अधिनियम संख्या 8 द्वारा अनुतोष प्रदान किया गया, जिसमें 1337 और 1338 फसली के लिए बकाए में 25 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया था और किश्तों द्वारा डिक्री की गई धनराशि के भुगतान की अनुज्ञा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त 1934 के संशोधन अधिनियम संख्या 9 द्वारा कई प्रशासनिक उपाय किए गये, जैसे सामान्य दर छूट योजना इत्यादि।

सितम्बर, 1939 में महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। यह लोकतंत्र के लिए लड़ाई थी और इसका अन्त पूर्ण विजय में हुआ। इसका प्रभाव कुछ नहीं हुआ किन्तु सम्पूर्ण विश्व में अनुभव किया गया। वर्ष 1946 तक, जब कांग्रेस शासन में वापस लौटी, यह भावना उत्पन्न हुई कि सामन्ती व्यवस्था या विद्यमान भू-स्वामी काश्तकार प्रणाली भारत के लोकतान्त्रिक संरचना से असंगत है और खेत जोतने वालों को अपने श्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। इसलिए विधान सभा द्वारा 8 अगस्त, 1946 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :

"यह सभा इस प्रान्त में जमींदारी प्रणाली के, जो राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों को शामिल करती है, उन्मूलन के सिद्धान्त को स्वीकार करती है और यह प्रस्ताव करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों का अधिकार साम्यापूर्ण प्रतिकर के भुगतान पर अर्जित किया जाना चाहिए और सरकार को इस प्रयोजन के लिए योजना तैयार करने हेतु समिति को नियुक्त करना चाहिए।"

निम्नलिखित मामलों पर प्रतिवेदन करने और अनुशंसा करने के लिए समिति नियुक्त की गयी, जिसे जमींदारी उन्मूलन समिति के नाम से जाना जाता है, जो जमींदारी उन्मूलन समिति के रूप में ज्ञात है :

(1) जमींदारी प्रणाली के विनाश के सिद्धान्त को स्वीकार करना।

(क) किस अधिकार को अर्जित किया जाना चाहिए?

(ख) ऐसे अधिकारों के अर्जन के लिए साम्यापूर्ण प्रतिकर के अवधारण के लिए क्या सिद्धान्त होगा?

(ग) (क) और (ख) के अधीन विनिर्मित प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए किस प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की अपेक्षा की जायेगी?

(2) भू-काश्त का मूल सिद्धान्त और स्पष्ट योजना क्या होगी, जो प्रान्त में जमींदारी की विद्यमान प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी?

(3) कौन सा प्रशासनिक संगठन होगा, जिससे भू-काश्त की नई योजना को प्रभावी करने की अपेक्षा की जायेगी और विशेष रूप से सरकारी बकायों की वसूली के लिए कौन सा तन्त्र होगा?

समिति ने अगस्त, 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उ० प्र० जमींदारी-विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 1949 के रूप में पेश किया गया। माननीय मुख्यमन्त्री ने प्रकाशन के लिए विधेयक को पेश करते हुए निम्नलिखित सम्परीक्षण किया—

"हमने जटिल और उलझनपूर्ण समस्याओं के विचारण पर काफी समय व्यतीत किया है, जो इस विधेयक की विषय-वस्तु है। यह सूक्ष्म अध्ययन, धैर्यपूर्ण विचारण और गम्भीर विचार-विमर्श का परिणाम है और मैं आशा करता हूँ कि इसकी परीक्षा इसी भावना में की जायेगी। हम किसी तरह किसी बाह्य विचारण द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं। वास्तव में, हम जमींदारों के प्रति या इस मामले के लिए समुदाय के किसी अन्य वर्ग के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं रहे हैं। हम वह सभी करने की इच्छा करते हैं, जिसे हम प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए कर सकते हैं किन्तु हम में से सभी को यह महसूस करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है और इस नई व्यवस्था में यह आवश्यक है कि व्यक्ति के हित के संरक्षण के लिए सभी के हित की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

इस उपाय के क्रियान्वयन के साथ हम आशा करते हैं कि हमारे सपनों में से कई पूरा हो जायेंगे। हमारे देश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद, मैं सोचता हूँ कि इस व्यापक उपाय के, जो इस प्रान्त में लगभग 5 करोड़ लोगों को वास्तविक स्वराज प्रदान करेगा, क्रियान्वयन को सदैव लोगों के भाग्य की उपलब्धि के लिए प्रमुख कदम माना जायेगा।"

विधेयक 7 जूलाई, 1949 को विधान सभा में पेश किया गया और कई दिनों तक चले विचार-विमर्श के बाद इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया। समिति विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में समर्थ रही और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे दिनांक 29 दिसम्बर, 1949 के उ० प्र० राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 9 जनवरी, 1950 को विधान सभा में पेश किया गया।

विधान सभा ने विधेयक पर विचार 16 जनवरी, 1950 को प्रारम्भ किया, जब इसका प्रथम वाचन किया गया और इसे अन्ततोगत्वा 4 अगस्त, 1950 को पारित किया गया। इसे 6 सितम्बर, 1950 को विधान परिषद में पेश किया गया, जिसने कतिपय संशोधनों के साथ 30 नवम्बर , 1950 को पारित किया। विधेयक, जैसा कि परिषद द्वारा पारित किया गया था, विधान सभा को वापस भेजा गया, जिसने 26 दिसम्बर, 1950 को संशोधनों को स्वीकार किया। इसे पुनः विधान परिषद को वापस भेजा गया, जिसने 16 जनवरी, 1951 को इसे स्वीकार किया। महामहिम राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा, जिसने 24 जनवरी, 1951 को अपनी स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 26 जनवरी, 1951 से भूमि की विधि हो गया।

अधिनियम का प्रवर्तन—अधिनियम 1 जुलाई, 1952 से तब प्रवर्तित हुआ जब अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना उसी तिथि के उ० प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई। उक्त टिप्पणी के प्रारम्भिक भाग में यह भी अधिकथित किया गया है कि :

> ''अधिनियम ने वास्तव में कृषक स्वत्व को सृजित किया है और गाँव समाज तथा ग्राम सभा को सृजित करके, जिसमें सभी सामान्य भूमि, वन, वृक्ष, सार्वजनिक कुएं, मत्स्य पालन, हाट, बाजार, मेला, जलाशय, तालाब, गैर सरकारी घाट, मार्ग और आबादी स्थल निहित होगा, स्वशासित ग्राम समुदाय को विकसित करने का प्रयास किया गया है। सहकारी कृषि की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हित की सामुदायिक भावना को सृजित करने के लिए है।''

अन्य स्थान पर यह अधिकथित किया गया है कि :

> ''अधिनियम ने वास्तव में सामन्ती व्यवस्था और भू-स्वामी काश्तकार प्रणाली का उन्मूलन किया है और इसे लोकतंत्र तथा सामुदायिक हित की भावना के विकास की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया है। इसने इस सत्य को मान्यता दी है कि जो व्यक्ति भूमि को जोतते हैं, उन्हें अपने श्रम का फल प्राप्त करना चाहिए।''

भाग 1

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार उन क्षेत्रों के सिवाय जो 7 जुलाई, 1949 को संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का 2) के अन्तर्गत किसी नगरपालिका के या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अधीन किसी छावनी के, अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 (1914 का 1) के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा [1][:]

[2][परन्तु यह कि रामपुर नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी, मानों शब्द और अंक '7 जुलाई, 1949' के स्थान पर उसमें शब्द और अंक '31 जुलाई, 1949' रख दिये गये हों।]

परन्तु यह और भी कि यदि कोई क्षेत्र जो 7 जुलाई, 1949 को किसी नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, छावनी या टाउन एरिया के अन्तर्गत था, उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा पूर्णविराम के स्थान पर प्रतिस्थापित और सदैव के लिए प्रतिस्थापित समझा जायेगा।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा जोड़ा गया और सदैव से जोड़ा गया समझा जाएगा।

रह जाय, और उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई अधिसूचना जारी न की गई हो, तो—

(i) ऐसे मामले में जब वह 29 जून 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून 1971 से होगा; और

(ii) किसी अन्य मामले में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस तारीख से होगा, जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।]

(3) यह तुरन्त प्रचलित हो जायेगा, लेकिन उन क्षेत्रों को छोड़कर जो धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (च) तक में आते हैं, यह धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन किये गये अपवादों या परिष्कारों को बाधित न करते हुये, ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित कर दे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्रावधानों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

टिप्पणी

उद्देश्य—यह अधिनियम जमींदारी प्रणाली का, जिसमें भूमि के जोतने वाले और राज्य के बीच उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती अन्तर्ग्रस्त हैं, उन्मूलन करने के लिए और उनके अधिकार, हक और हित का अर्जन करने के लिए तथा ऐसे उन्मूलन और अर्जन के परिणामस्वरूप काश्तकार से सम्बन्धित विधि का सुधार करने के लिए प्रावधान करने के लिए और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।[1]

क्षेत्र—सभी भूमि अधिनियम के अधीन राज्य को अन्तरित हो गयी है और अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रगणित व्यक्तियों को नया अधिकार प्रदान किया है।[2]

2. कतिपय क्षेत्रों में प्रचलित करने के लिये अधिनियम का परिष्कार—(1) राज्य सरकार ऐसे अपवादों या परिष्कारों के साथ, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जैसा कि किसी मामले की स्थिति के अनुसार अपेक्षित हों, यह पूरा अधिनियम या इसका कोई प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों या आस्थानों में प्रसारित कर सकती है—

(क) संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, 1939 (उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 1939), की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(ख) ऐसे आस्थान या आस्थानों के ऐसे भाग जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानिक प्राधिकारी के स्वामित्व में हों;

(ग) ऐसे क्षेत्र जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के, या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी काम के लिये किसी के अधिकार में और अधिकृत हों और जिनके विषय में राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा भी कर दिया हो, अथवा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1), संयुक्त प्रान्त भूमि अर्जन (शरणार्थियों का पुनर्वास) अधिनियम, 1948 (उ० प्र० अधिनियम सं० 26 सन् 1948), 1948 ई० के संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति अर्जन (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम संख्या 39, या इस अधिनियम से भिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित करने से सम्बद्ध किसी दूसरे विधायन के अधीन किये गये हों;

(घ) बनारस जिले का परगना कसवार राजा;

---

1. *हरीश चन्द्र सिंह* बनाम *डिप्टी डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन, बरेली कैन्ट ऐट शहजहाँपुर*, 2002 (93) आर० डी० 142 (एच० सी०)।
2. *रघुराज सिंह* बनाम *रामदेवी*, 2002 (99) आर० डी० 602 (एच० सी०)।

(ङ) कोई क्षेत्र जो 30 नवम्बर, 1949 को निम्नलिखित के अन्तर्गत रहा हो—

(i) बनारस राज्य (प्रशासन) आदेश, 1949 में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस राज्य;

(ii) रामपुर राज्य (प्रशासन) आदेश, 1949 में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,

(iii) टेहरी-गढ़वाल (प्रशासन) आदेश, 1949 में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल;

(iv) [1][* * *]

[2][(ङङ) कोई क्षेत्र जो 25 जनवरी, 1950 को प्रान्तों और राज्यों (एब्जार्प्शन आफ एंक्लेव्ज) आदेश, 1950 में दी हुई 'एंक्लेव' की परिभाषा में आने वाले ऐसे एंक्लेव के, जो उक्त आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत हो गया हो, अन्तर्गत रहा हो, या]

(च) देहरादून जिले का परगना जौनसार-बावर और कैमूर श्रेणी के दक्षिण में मिर्जापुर जिले के क्षेत्र :

परन्तु यह कि यदि यह अधिनियम या इसका कोई प्रावधान किसी अपवाद या परिष्कार के साथ या उनके बिना उपर्युक्त क्षेत्रों या आस्थानों को प्रसारित कर दिया गया हो, तो वहाँ लागू किसी अधिनियम, या विनियम का ऐसा भाग जो इस अधिनियम से या इसके ऐसे निदेशों से जो उपर्युक्त प्रकार से प्रसारित किये गये हों या उसमें किये गये किसी परिष्कार से असंगत हो निरसित समझा जायेगा :

[3][परन्तु यह और कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायेगी।]

[4][(1-क) उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों में अपवाद या परिष्कार करने हेतु राज्य सरकार के अधिकार का उपयोग समय-समय पर किया जा सकता है।]

[5][(2) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन परिसीमित दायित्व वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी गृह-निर्माण योजना के प्रयोजनार्थ 7 जुलाई, 1949 को धारित हो, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, लोक हित में, घोषणा का विखंडन या अतिक्रमण ऐसे क्षेत्र के संबंध में कर सकती है, जिसका अधिसूचना के दिनांक तक गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में, चाहे ऐसी समिति या सोसाइटी या कम्पनी के किसी व्यतिक्रम के कारण या किसी अन्य कारण से, उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि गृह निर्माण योजना के निष्पादन में क्षेत्र का उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है, यदि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के तारीख पर :

(क) एक भवन-निर्माण स्थल की स्थिति में, कम से कम नींव पूरा होने के स्तर तक निर्माण न किया जा चुका हो; और

(ख) किसी अन्य मामले में, भूमि पर कोई सड़क या पार्क नहीं है।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा उप-खण्ड (iv) लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 सन् 1974 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 15 सन् 1978 द्वारा (30.11.1977 से) अन्तःस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 15 सन् 1978 द्वारा उपधारा (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) भूमि का वह क्षेत्र, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जाय, राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण और नगर विकास प्रयोजनों के लिऐ ऐसी रीति से उपयोग किया जा सकता है, जो नियत की जाय।]

टिप्पणी

क्षेत्र—जहाँ याची ने 8.10.1989 को केवल उ० प्र० काश्तकारी अधिनियम की धारा 163 के अधीन आवेदन संस्थित किया है और उस तारीख को याची को तनिक भी विद्यमान कोई अधिकार नहीं था, यदि यह उपधारणा की जाये कि इस अधिनियम की धारा 2 (1) (ग) के अधीन जारी की गयी दिनांक 1 जुलाई, 1952 की अधिसूचना द्वारा याची को कोई संरक्षण उपलब्ध था और इस प्रकार याची को विवादास्पद भूमि में कोई अधिकार, हक या हित नहीं है, वहाँ अवधारित किया गया था कि उ० प्र० काश्तकारी अधिनियम की धारा 163 के अधीन आवेदन उचित रूप से निरस्त किये गये थे।[1]

[2][**2-क. नये क्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार**—[3][(1) जब किसी नदी की क्रिया से या अन्य प्रकार से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जायं तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में विस्तारित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, उसी अधिसूचना या बाद में किसी अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में ,उक्त क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने के सम्बन्ध में, ऐसा परिष्कार कर सकती है जिसे वह उक्त क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक समझे :

परन्तु उस क्षेत्र में अधिनियम के विस्तारण के दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त कोई परिष्कार न किया जायेगा और न वह दो वर्ष से अधिक के लिये लागू रहेगा।]

3. परिभाषायें—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

(1) "*हिताधिकारी*" से एक वक्फ, न्यास या विन्यास के संबंध में ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसके फायदे के लिये वक्फ, न्यास या विन्यास प्रयोग में लाया जाय।

(2) "*केन्द्रीय सरकार*" का वही अर्थ है जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 में "केन्द्रीय सरकार" को दिया गया है;

(3) "*दानोत्तर*" में ऐसे प्रयोजन शामिल हैं जिसका संबंध गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी अन्य विषयों की, प्रोन्नति से हो किन्तु इसमें ऐसे प्रयोजन शामिल नहीं हैं जिनका संबंध केवल धार्मिक उपासना, शिक्षा या सेवा अथवा धार्मिक कृत्यों के संपादन से हो;

[4][(3-क) "*मंडल*" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिये उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन कोई गाँव सभा स्थापित हो गई हो];

[5][(4) "*कलेक्टर*" से एक अधिकारी अभिप्रेत हैं जो उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त है, और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा सहायक कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कलेक्टर के सभी या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो];

(5) "*मुआवजा आयुक्त*" से धारा 319 के अधीन नियुक्त मुआवजा आयुक्त अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत सहायक मुआवजा आयुक्त भी है;

---

1. *ए० एम० यू० अलीगढ़* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2007 आर० एन० एस० 510 : 2007 (102) आर० डी० 672 : 2007 आर०-एल० टी० 656 (एच० सी०)।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1962 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा अन्त:स्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 सन् 1974 द्वारा खण्ड (4) अन्त:स्थापित।

(6) *''मुआवजा अधिकारी''* से धारा 319 के अधीन नियुक्त मुआवजा अधिकारी अभिप्रेत है :

[1][(6क) *''चकबन्दीकृत क्षेत्र''* से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 24 के अधीन अंतिम चकबन्दी योजना प्रभावित हो गई हो और उक्त क्षेत्र के संबंध में उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस अधिनियम की धारा 4 में जारी विज्ञप्ति रद्द न की गई हो]

[2][(6ख) [3][''संचित गाँव फण्ड ''] से धारा 125-क के अधीन संघटित संचित गाँव फण्ड अभिप्रेत है;

(7) *''डिक्री''* का वही अर्थ है, जो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में दिया गया है;

[4][(8) *''आस्थान''* से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं और सदैव से माना जायेगा, जो उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 32 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित किसी रजिस्टर के, और जहाँ तक कि उसका संबंध स्थायी जोतदार से है, खण्ड (ङ) में वर्णित किसी रजिस्टर के, या खण्ड (ङ) में वर्णित रजिस्टर के संबंध में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन रहते हुये, उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन रखे गये किसी रजिस्टर के, अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी रजिस्टर के जो किसी समय भी प्रचलित अधिकार अभिलेखों के तैयार करने व बनाये रखने से सम्बन्धित किसी भी अन्य अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश में उल्लिखित हो या उसके अन्तर्गत तैयार किया गया या रक्खा गया हो, किसी एक इन्दराज के अन्तर्गत हो, और उसमें किसी ''आस्थान'' के भाग अथवा उसके अंश का भी अन्तर्भाव है।]

[5][परन्तु मिर्जापुर जिले का हर वह क्षेत्र, जिसकी सीमायें अनुसूची 7 में दी गई हैं, उपर्युक्त परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी, आस्थान समझा जायेगा।]

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत उन विगत भारतीय राज्यों द्वारा बनाया गया या प्रख्यापित अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश भी सम्मिलित है जिनकी भूमि इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन विज्ञापित निहित होने के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन या आमेलित हो गई थी।

(8क) [6][* * *]

[7][(9) *''गाँव फण्ड''* ''गाँव पंचायत', 'गाँव सभा' तथा 'भूमि प्रबंधक समिति' के वही अर्थ होंगे जो उनके यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज अधिनियम, 1947 (1947 का 26) में किये गये हैं।]

[8][(10) [* * *]

(10-क) [* * *]]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1991 द्वारा (19.02.1991 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961, धारा 273 द्वारा शब्द ''संचित गाँव समाज फण्ड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 14 सन् 1958 द्वारा खण्ड (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 1 सन् 1964 द्वारा जोड़ा गया।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा (23.08.2004 से) लोपित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की धारा 273 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की धारा 273 द्वारा खण्ड (10), और (10-क) लोपित।

[1][(11) [* * *]]

(12) *''मध्यवर्ती''* से किसी आस्थान के सम्बन्ध में, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, उप-स्वामी, ठेकेदार, अवध के स्थायी पट्टेदार और दवामी काश्तकार अभिप्रेत है;

(13) *''मध्यवर्ती का बाग''* से ऐसी बाग भूमि अभिप्रेत है जिसे कोई व्यक्ति मध्यवर्ती के नाते अपने अधिकार या अध्यासन में रखे हो;

(14) *''भूमि''* से [2][धारा 109, 143 और 144 तथा अध्याय 7 को छोड़कर] शेष अधिनियम में ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यान कृषि या पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी शामिल है, से संबंध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो;

(14-क) [3][* * *]

(15) *''पट्टा''* में जब खानों या खनिज पदार्थों से सम्बन्धित हो, शिकमी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या शिकमी उठाने के करार भी सम्मिलित हैं और ''पट्टेदार'' की भी व्याख्या तद्नुसार ही की जायेगी;

(16) *''विधिक प्रतिनिधि''* का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में दिया गया है;

(17) *''खान''* से ऐसी सभी खुदाइयाँ अभिप्रेत है जिनमें खनिज पदार्थों की खोज या प्राप्ति के लिये कोई कार्य किया गया हो या किया जा रहा हो, किन्तु खान से संबंध रखने वाले कोई निर्माण, मशीनरी, ट्रामवे या साइडिंग उसमें सम्मिलित नहीं है, और कोई खान तभी चालू समझी जायेगी जब उसके कार्य की सूचना चालू भारतीय खान अधिनियम, 1923 की धारा 14 के अनुसार उस जिले के, जिसमें वह खान स्थित हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया हो और किसी सक्षम प्राधिकारी को उसके कार्य बन्द करने की सूचना न दी गई हो;

(18) *''विहित''* से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(19) *''पिछले कृषि वर्ष''* से वह कृषि वर्ष अभिप्रेत है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो;

(20) *''संपत्ति''* से अध्याय 5 में, आस्थानों से भिन्न सम्पत्ति अभिप्रेत है;

(21) *''स्वामी''* से जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यासी के रूप में या अपने ही लाभ के लिये किसी आस्थान में स्वामित्व रखता हो और ''स्वामी'' के अन्तर्गत स्वामी के वारिस और स्वत्व के उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है;

(22) *''राज्य सरकार''* से उत्तर प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है;

[4][(22-क) *''मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था''* से कोई ऐसी शिक्षा संस्था या शिक्षा संस्थाओं के वर्ग अभिप्रेत हैं जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में प्रख्यापित करे;]

(23) *''धर्मोत्तर''* के अन्तर्गत ऐसे सभी प्रयोजन हैं, जिनका संबंध धार्मिक पूजा, शिक्षा या सेवा अथवा धार्मिक कृत्यों के सम्पादन से हो;

(24) *''पुनर्वासन अनुदान अधिकारी''* से धारा 319 के अधीन नियुक्त पुनर्वासन अनुदान अधिकारी अभिप्रेत है;

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा शब्द ''धारा 143 और 144 को छोड़कर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की धारा 273 द्वारा लोपित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा जोड़ा गया।

(25) *''गाँव''* से ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है, जो चाहे एकत्र हो या नहीं, तत्संबंधी जिले के राजस्व अभिलेखों में गाँव के रूप में अभिलिखित हो और उसमें ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश जो [1][नियत ढंग से प्रकाशित किया हो], द्वारा गाँव होना घोषित कर दे;

(26) शब्द और पद [2][भू-धारक,] दवामी काश्तकार, ठेकेदार, अवध का स्थायी पट्टेदार, बागदार, लगान, उपकर, सायर, सीर, [3][काश्तकार,] मौरूसी काश्तकार, खुदकाश्त, शरहमुअइयन काश्तकार, माफीदार, साकितुलमिल्कियत काश्तकार, दखीलकार काश्तकार, गैर दखीलकार काश्तकार, शिकमी काश्तकार, खाता, और फसल का वही अर्थ होगा, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज काश्तकारी अधिनियम, 1939 (उ० प्र० अधिनियम सं० 17 सन् 1939) में इन सब का है];

(27) शब्दावली एवं अभिव्यक्ति मातहतदार, उप भू-स्वामी, मालगुजारी, महाल, [4][* * *] सहायक कलेक्टर, परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर, आयुक्त, बोर्ड, तहसीलदार और अवयस्क का वही अर्थ होगा, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 1901) में इन सब का है;

[5][(28) भाग 1 में 'निजी जोत की भूमि' के बारे में किसी भी अभिदेश से अवध के स्थायी पट्टेदार के नाते, उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि अभिप्रेत है [6][;] [7][* * *]

(29) भाग 1 में जहाँ भी 'अधिकार अभिलेख' का प्रसंग आया हो उसके अन्तर्गत यथाश्यक उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ० प्र० अधिनियम सं० III सन् 1901) की धारा 33 के अधीन तैयार किये गये ''वार्षिक रजिस्टर'' का भी प्रसंग है; [8][और]

[9][(30) किसी अधिनियमिति का कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसके लागू होने के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियमिति का अभिदेश और, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मामले में, उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा 122 के अधीन समय-समय पर किये गये अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए, उक्त संहिता का अभिदेश समझा जायेगा।

टिप्पणी

''किसी अधिनियमिति के प्रति कोई निर्देश''—का स्पष्टीकरण—प्रारम्भिक शब्द ''किसी अधिनियमिति के प्रति कोई निर्देश'' व्यापक आयाम के शब्द हैं और उनके स्पष्ट अर्थ में सिविल प्रक्रिया संहिता को भी आच्छादित करेगा जो निसंदेह अधिनियमिति है। और न ही संशोधन तक परिसीमित अधिनियमिति में संशोधन का उपधारा में कोई निर्देश है, जो अकेले उ० प्र० में लागू है। पद ''अधिनियमिति, जैसा कि समय-समय से उत्तर प्रदेश में उसके लागू होने में संशोधित है'' का तात्पर्य संशोधित अधिनियमिति से है जैसा कि उ० प्र० में लागू है। परिभाषा निर्दिष्ट अधिनियमिति में किसी संशोधन को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त है कि क्या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या राज्य अधिनियम द्वारा यदि उसका विस्तार उ० प्र० में इस

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 द्वारा शब्द ''राजपत्र में प्रकाशित'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्त:स्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्त:स्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 सन् 1974 द्वारा शब्द ''कलेक्टर'' लोपित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 की धारा 2 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ा गया।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 की धारा 3 द्वारा पूर्णविराम के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा शब्द ''और'' लोपित।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा ''पूर्णविराम'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा जोड़ा गया।

तथ्य के बावजूद होता है कि यह अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है या नहीं होता। उपधारा (30) का दूसरा भाग केवल विधायी आशय का स्पष्टीकारक है कि न केवल विधान मण्डल द्वारा संशोधन बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के अधीन शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के नियमों में किया गया संशोधन भी उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता को निर्दिष्ट करते हैं।[1]

प्रयोज्यता—जहाँ पट्टा विनिर्माण प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 1935 को किया गया था और कारखाना तथा भवन उस पर निर्मित किया गया है, वहाँ यह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भूमि होने से प्रविरत हो जाता है। अतः, सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया वाद उचित है।[2]

अपर कलेक्टर—अधिनियम की धारा 3 (4) की दृष्टि में, अपर कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट "कलेक्टर" की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए अपर कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के प्रयोजन के लिए न तो कलेक्टर हैं और न ही सहायक कलेक्टर हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के अधीन परिकल्पित जाँच करने की अधिकारिता नहीं है।[3]

नीलामी विक्रय—*जगतपाल सिंह* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*,[4] के मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि दिनांक 17.1.1976 की अधिसूचना/शासनादेश संख्या 1/1/76 (2) (6) राजस्व-7 की दृष्टि में, सम्बद्ध उपखण्डीय अधिकारी/उप कलेक्टर को केवल विक्रय को संचालित करने की शक्ति प्रदान की गयी है और न कि विक्रय की अभिपुष्टि या अपास्त करने की।[5]

भूमि—की परिभाषा—अधिनियम की धारा 3 भूमि को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित करती है, जो कृषि, उद्यान या पशुपालन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए धारित है या अधिभोग में ली गयी है।[6]

अध्याय 2
मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम

4. राज्य में आस्थानों का निहित होना—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किए जाने वाली तिथि से उत्तर प्रदेश में स्थित सभी आस्थान जो राज्य में निहित हो जायेंगे तथा इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से (जो आगे चलकर निहित होने की तारीख कही जाएगी) ऐसे सब आस्थान, सब भारों से मुक्त राज्य को हस्तान्तरित होकर, उस मामले के सिवाय जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, उसमें निहित हो जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के लिए विध्यनुसार होगा, कि यदि वह आवश्यक समझे तो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जारी करे, जो निर्दिष्ट किए जायं और उपधारा (1) के सभी प्रावधान ऐसी प्रत्येक अधिसूचना पर और उसके विषय में लागू होंगे।

टिप्पणी

प्रकृति—भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है किन्तु स्वत्वधारी अधिकार नहीं है, इसलिए भूमि राज्य में विहित है।[7]

भूमिधर—की प्रास्थिति—भूमिधर की प्रास्थिति केवल काश्तकार के रूप में है और न कि धारित भूमि के स्वामी के रूप में, इसलिए भूमि का स्वामी राज्य सरकार है।[8]

तालाब का सीरदारी अधिकार—जहाँ प्रश्नगत भूमि 1320 फसली में तालाब के रूप में अभिलिखित की गयी थी और सीरदारी अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति 1362 और 1370 फसली वर्ष में कब्जाधारी है,

---

1. *श्री ठाकुर राम चन्द्र जी महाराज ब्रिजमान मन्दिर बड़ा बाजार फिरोजाबाद* बनाम *बोर्ड आफ रेवन्यू, उ० प्र०, ऐट इलाहाबाद*, 2007 (102) आर० डी० 1 : 2007 आर० एन० एस० 218 (एच० सी०)।
2. *मेसर्स महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड* बनाम *ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, गोरखपुर*, 2010 (109) आर० डी० 279 : 2010 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 1773।
3. *दूध नाथ* बनाम *ए० डी० एम० रूरल इलाहाबाद*, 2003 (2) आर० डी० 304 : 2004 आर० एन० एस० 78 (एच० सी०)।
4. 1994 आर० डी० 429 (एच० सी०)।
5. *अजय उपाध्याय* बनाम *कलेक्टर बलिया*, 2008 (104) आर० डी० 346 (एच० सी०)।
6. *स्टेट आफ यू० पी०* बनाम *न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लि०*, 2003 (2) एस० ए० सी० 531 : 2003 आर० एन० एस० 568 : 2003 (94) आर० डी० 577 : 2003 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 1775 (एच० सी०)।
7. *हकीम जी ब्रिक इण्डस्ट्रीज (ईंट उद्योग), रामपुर* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2003 (94) आर० डी० 122 (एच० सी०)।
8. *वशिष्ठ कुमार जायसवाल* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2004 (97) आर० डी० 677 (एच० सी०)।

वहाँ अवधारित किया गया था कि सम्पत्ति जमींदार की सम्पदा और वह राज्य में निहित थी, इसलिए उसके पक्ष में कोई अधिकार या हक प्रोद्भूत नहीं हुआ था।[1]

5. अधिसूचना का गजट में प्रकाशित किया जाना—धारा 4 में निर्दिष्ट अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जायेगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उसका यथावत् प्रकाशन हो गया है।

6. राज्य में आस्थान के विहित होने के परिणाम—जब धारा 4 के अधीन अधिसूचना गजट, में प्रकाशित हो गई है तब किसी संविदा या दस्तावेज या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर निहित होने के दिनांक के प्रारम्भ से, जिस क्षेत्र से अधिसूचना सम्बन्धित है, में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे—

(क) सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, हक और हित—

(i) ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि (चाहे वह कृषि योग्य हो या बंजर हो) बागभूमि, गाँव की सीमाओं के अंदर और बाहर के जंगलों, पेड़ों (गाँव, जोत या बाग में के पेड़ों से भिन्न पेड़ों), मीनाशयों [2][* * *], तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, उतराई के घाटों रास्तों, आबादी के स्थलों तथा [धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक में आने वाली भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों [से भिन्न हाटों, बाजारों और मेलों सहित प्रत्येक आस्थान में]; और

(ii) खुदवाई जा रही या नहीं, खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हो तो उसके सहित प्रत्येक आस्थान के अन्तर्गत अधोभूमि में;

उनके अधिकार से निकल कर और समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे;

(ख) इस प्रकार अर्जित किए गए आस्थान की भूमि का तथा ऐसी भूमि या उसकी मालगुजारी से संबंध रखने वाले अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रत्येक अनुदान और आगम का पुष्टिकरण, चाहे वह वापस लिया जा सकता हो या नहीं, समाप्त हो जाएगा;

(ग) (i) किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लगान, उपकर, स्थानिक कर एवं सायर, जो निहित होने के तिथि के पश्चात् के हों और जो आस्थान न अर्जित किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खण्ड के उल्लंघन में कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा;

(ii) जहाँ निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी करार या संविदा के अन्तर्गत कोई लगान, उपकर, स्थानिक कर या सायर उक्त तिथि के पश्चात् के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंहित अथवा अभित्यक्त हो गया हो तो उक्त करार या संविदा के होते हुए भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी और रीति को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय 3 के अनुसार मिलने वाले मुआवजे की रकम से घटा कर वसूल किया जा सकेगा;

---

1. *हरिहर नाथ* बनाम *डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन यू० पी०*, 2004 (97) आर० डी० 378 (एच० सी०)।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) निकाल दिये गये।

(घ) ऐसे अर्जित किये गये आस्थान से संबंधित ऐसे सभी राजस्व, उपकर या अन्य देयों की सब बकाया, जो मध्यवर्ती से निहित होने के दिनांक से पहले के किसी समय के लिये प्राप्य हो [1][या उ० प्र० कृषि आयकर अधिनियम, 1948 (उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 1949) के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गए कर की ऐसे समय की बकाया] ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती की, अध्याय 3 के अनुसार मिलने वाले मुआवजे की रकम से घटाकर वसूल की जा सकेगी;

(ङ) ऐसी सब रकमें, जिन्हें राज्य सरकार को देने के लिए उ० प्र० भारग्रस्त सम्पदा अधिनियम, 1934 (उ० प्र० अधिनियम सं० 25 सन् 1934) की धारा 27 और 28 के अधीन किसी मध्यवर्ती को आज्ञा हुई हो, या जो भू-सुधार ऋण अधिनियम, 1883 (उ० प्र० अधिनियम सं० 14 सन् 1883), अथवा कृषि ऋण अधिनियम, 1884 (उ० प्र० अधिनियम सं० 14 सन् 1884) के अधीन उससे प्राप्य हो, उपर्युक्त अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, तुरन्त प्रतिदेय हो जायेगी और यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग दिया हो तो उसे बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय 3 के अधीन दिये जाने वाले मुआवजे की रकम में से घटाकर वसूल की जा सकेगी;

(च) किसी आस्थान में इस प्रकार अर्जित किया गया मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर के निष्पादन में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर वर्तमान प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गई कुर्की की आज्ञा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 73 के प्रावधान को बाधित न करते हुए, निष्प्रभावी हो जायेगी।

(छ) (i) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी आस्थान या किसी आस्थान के किसी भाग पर हो, धारा 4 के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए उस रकम के लिए, जो ऐसे आस्थान या उसके भाग पर सुरक्षित हों, दृष्टिबन्धक में परिवर्तित समझा जायेगा;

(ii) बन्धक पत्र या किसी दूसरे करार में किसी बात के रहते हुए भी उपखण्ड (i) के अनुसार परिवर्तित दृष्टिबन्धक के संबंध में प्रख्यापित धनराशि पर ब्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय;

(ज) किसी ऐसे रुपये के लिए, जो किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के बन्धक से सुरक्षित हो या उस पर भाररूप हो, कोई दावा जो, निहित होने के तिथि से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध किया जा सकता हो या दायित्व, जो उसने निहित होने के दिनांक से पहले उपगत किया हो, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4), की धारा 73 में दिए हुए ढंग से भिन्न किसी ढंग से, आस्थान में उसके स्वत्व के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा;

(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद और कार्यवाहियाँ जो किसी न्यायालय में निहित होने के दिनांक पर विचाराधीन हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या कार्यवाहियों में हुई डिक्री या आज्ञा से संबंध रखने वाली सब कार्यवाहियों स्थगित कर दी जायेंगी;

(ञ) निहित होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख पर विद्यमान सभी महाल और उनके उप-विभाग तथा किसी स्वामी, मातहतदार, उप-स्वामी, हिस्सेदार या लम्बरदार द्वारा उक्त नाते मालगुजारी या लगान की अदायगी के संबंध में किये गये सभी संकेत समाप्त और निष्प्रभावी हो जायेंगे।

---

[1] उ० प्र० अधिनियम संख्या 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) बढ़ाया गया।

टिप्पणियाँ

पश्चातवर्ती अन्तरिती का अधिकार— काश्तकारी सीर, खुदकाश्त या बाग के रूप में अभिलिखित भूमि गाँव सभा में निहित नहीं है और अभिलिखित व्यक्ति के साथ राज्य द्वारा बन्दोबस्त की गयी मानी जायेगी और इसके पश्चात निहित होने की तारीख के पूर्व अभिलिखित व्यक्ति के अन्तरिती के साथ बन्दोबस्त की गयी मानी जायेगी, जो भूमिधरी अधिकार अर्जित किया था।[1]

सीरदारी अधिकार— अतिचारी, जो 12 वर्ष से अधिक से गाँव सभा की भूमि का कब्जाधारी था, सीरदारी अधिकार अर्जित नहीं करेगा।[2]

7. कतिपय अधिकारों के संबंध में व्यावृत्ति—इस अध्याय में कही गई किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा—

(क) एतस्मिन-पूर्व अर्जित किये गये किसी आस्थान के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो समय विशेष पर प्रचलित विधि द्वारा शासित होगा;

[3][(कक) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यदि वह किसी भूमि का भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो तो वह जैसा उसका उपभोग कर रहा हो उसी प्रकार भूमि के और अधिक लाभप्रद उपभोग के लिए किसी सुविधा या अन्य ऐसे ही अधिकार के उपभोग करते रहने का अधिकार;]

(ख) निहित होने के दिनांक से पहले लगान, उपकर सायर या अन्य देयों की बकाया को वसूल करने का अधिकार और वे इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे जिसे, उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो :

परन्तु यह कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा निर्णीत ऋणी को उसके जोत से बेदखली द्वारा निष्पादित नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और भी कि जिस मध्यवर्ती का ऐसे आस्थान में स्वत्व, जिसके विषय में बकाया देय है, इस अधिनियम के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, उसके द्वारा देय लगान, अबवाब, स्थानिक कर सायर या पूर्वोक्त अन्य देय उसे मिलने वाले मुआवजे में से वसूल किये या चुकाये जा सकते हैं और पाने वाले व्यक्ति को वसूली के दूसरे साधनों के अतिरिक्त या साधन भी प्राप्त रहेगा।

8. 8 अगस्त, 1946 से बाद की संविदाओं का निहित होने के दिनांक से व्यर्थ हो जाना—ऐसे आस्थानों में स्थित निजी जंगलों, मीनाशयों या भूमि के संबंध में 8 अगस्त, 1946 के बाद मध्यवर्तियों और अन्य व्यक्तियों के बीच हुई ऐसी हर संविदा जो जंगल से उपज या मीनाशयों से मछली लेने अथवा भूमि पर जानवर चराने या उसकी उपज प्राप्त करने के विषय में हो, निहित होने की तिथि से व्यर्थ हो जायेगी।

9. निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और भवनों का बन्दोबस्त वर्तमान स्वामियों या अधिभोगियों के साथ होगा—किसी आस्थान में स्थित [4][समस्त कुयें], आबादी के पेड़ और समस्त भवन, जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार या दूसरे व्यक्ति के हैं या उसके उपभोग में हों, चाहे वह गाँव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती काश्तकार या अन्य व्यक्ति के, यथास्थिति बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और सम्बद्ध क्षेत्र सहित उन कुओं या भवनों के स्थल के विषय में यह समझा जायेगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किये जायें।

---

1. *नगरपालिका, अलीगढ़* बनाम *टीका राम चैरिटेबुल फैमिली ट्रस्ट*, 2005 (98) आर० डी० 367 (एच० सी०)।
2. *यू० पी० स्टेट सूगर कारपोरेशन लि०* बनाम *डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन*, 2000 आर० डी० 165 : 2000 आर० एन० एस० 528 : 2000 आर० जे० 414 : 2000 आर० आर० 338 : 2000 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 933 (एस० सी०)।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्त:स्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।

टिप्पणी

क्षेत्र— अधिनियम की धारा 9 अधिनियम की धारा 6 का अपवाद है।[1]

प्रयोज्यता— यदि सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा एक बार अवधारित किया गया था कि एम० एन० को कोई अधिकार नहीं था और वह वैध कब्जाधारी नहीं था, तो अधिनियम की धारा 9 उसका बचाव नहीं करेगी।[2]

बस्ती राम बनाम *नगर निगम गाज़ियाबाद*,[3] में यह अवधारित किया गया था कि धारा 9 केवल तब लागू है, जब साक्ष्य और इस तथ्य का सबूत था कि निहित होने की तारीख पर वहाँ प्रश्नगत भूमि पर कुआँ या भवन विद्यमान था।

लाभ— वर्ष 1935 में विक्रय प्रमाणपत्र द्वारा अर्जित हक निहित होने की तारीख के पश्चात अपना प्रभाव खो देगा। भूमि बंजर के रूप में अभिलिखित की गयी थी और अधिनियम की धारा 9 के लाभ का कोई अभिवचन नहीं था। यह अवधारित किया गया था कि लाभ गलत ढंग से प्रदान किया गया था।[4]

शब्द ''संलग्न''— का स्पष्टीकरण— भवन के मामले में, शब्द ''संलग्न'' का तात्पर्य स्वयं भवन के लाभप्रद उपभोग के लिए भूमि का खुले भाग से है।[5]

10. सीर के काश्तकार—(1) भूमि जो एक मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित है, और निहित होने की तिथि के ठीक पहले के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में 250 रुपये वार्षिक से अधिक भू-राजस्व निर्धारित नहीं था, उस पर जो 250 रुपये वार्षिक भू-राजस्व पर देय स्थानिक कर से अधिक स्थानिक कर निर्धारित है या मातहतदार, अदना मालिक या स्थायी भू-धृतिधारक 250 रुपये से अधिक का वार्षिक लगान अपनी सीर पर देता था, वह उसका उक्त तिथि को देय लगान परम्परागत काश्तकार समझा जाएगा और धारा 18 के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि सीर नहीं समझी जायेगी।

[6][(1-क) जहाँ भूमि दो या दो से अधिक मध्यवर्तियों की संयुक्त सीर हो जिनमें से केवल कुछ मध्यवर्ती उपधारा (1) में वर्णित वर्ग के हों,तो काश्तकार, भूमि के उस भाग का परम्परागत काश्तकार समझा जायेगा, जो उक्त भूमि में उपधारा (1) में वर्णित मध्यवर्तियों के अंश के अनुपात में हो।]

(2) [7][उपधारा (1) और (1-क)] में उपबन्धित कुछ भी ऐसे सीर के काश्तकार को लागू नहीं होगा, यदि उनका भू-धारक—

(i) स्त्री,

(ii) अवयस्क,

(iii) पागल,

(iv) जड़,

(v) अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण, खेती करने में असमर्थ, अथवा

(vi) भारतीय संघ सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर हो,

काश्तकारी आरम्भ होने के समय तथा निहित दोनों पर था।

11. भरण-पोषण हेतु दी गई सीर या खुदकाश्त—धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण के लिये दे रखी हो, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का असामी समझा जायेगा और उसको वह भूमि उसी अवधि तक रखने का अधिकार रहेगा जब तक उसको भरण-पोषण पाने का अधिकार रहे।

---

1. *रामजी राय* बनाम *जगदीश मल्लाह*, 2004 (96) आर० डी० 568 (एच० सी०)।
2. *सच्चिदानन्द राय* बनाम *शंभू सिंह*, 2007 (102) आर० डी० 276 : 2007 आर० एल० डी० 280 (एच० सी०)।
3. 1999 आर० डी० 636 (एच० सी०)।
4. *गाँव सभा* बनाम *सत्य देव शर्मा*, 2004 (96) आर० डी० 413 (एच० सी०)।
5. *रामजी राय* बनाम *जगदीश मल्लाह*, 2004 (96) आर० डी० 568 (एच० सी०)।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) उप-धारा (1) अन्तःस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) शब्द और अंक ''उपधारा (1)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

राजस्व परिषद, उ० प्र० 28 013 पुस्तकालय

टिप्पणी

क्षेत्र— तद्नुसार, यदि यह अवधारित किया जाता है कि यह धारा लागू है, फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को पारित करने के पश्चात् भी, विधवा अधिनियम की धारा 14 के परिणामस्वरूप भूमिधर हो गयी थी।[1]

12. ठेकेदार का कुछ परिस्थितियों में परम्परागत काश्तकार समझा जाना—(1) जहाँ कोई भूमि 1 मई, 1950 को किसी व्यक्ति की निजी जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस ध्येय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करे तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के होते हुए भी, उसके विषय में यह समझा जायेगा कि वह उस भूमि का ऐसा परम्परागत काश्तकार है जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में परम्परागत काश्तकार की हैसियत से रखने और यदि उक्त दिनांक के बाद वह बेदखल हो गया हो तो उसको उस हैसियत से फिर से कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये आनुवंशिक दर पर लगान देने के दायित्वाधीन होगा।

(2) उक्त भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निजी जोत में रहना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का I) की धारा 91 और 92 में किसी बात के होते हुये भी इस बात के प्रमाण में ग्राह्य होगा कि ठेका उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का था।

13. ठेकेदार के कब्जे का आस्थान—(1) धारा 12 और इस धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए किसी आस्थान या उसके अंश के ठेकेदार को निहित होने के दिनांक से ऐसे आस्थान की किसी भूमि को ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायेगा।

(2) जहाँ ऐसी कोई भूमि निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर ठेकेदार की निजी जोत में रही हो, वहाँ—

(क) यदि वह ठेका दिये जाने की तिथि पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा 18 के प्रयोजनों के लिये निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायेगी तथा निहित होने की तिथि से ठेकेदार उसकी असामी हो जायेगा और निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर लागू आनुवंशिक दरों से लगान का देनदार होगा एवं भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिए उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा;

(ख) यदि वह ठेका देने की तिथि पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(i) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं है, तो धारा 19 के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि ठेकेदार उस पर परम्परागत काश्तकार के रूप में ऐसे लगान पर, जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर लागू आनुवंशिक दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो, काबिज रहा है;

(ii) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायेगा कि उसमें से तीस एकड़ पर वह धारा 19 के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त प्रकार से परम्परागत काश्तकार के रूप में काबिज रहा है और शेष खाली भूमि समझी जायेगी तथा ठेकेदार धारा 209 के प्रावधानों के अनुसार उससे बेदखल किया जा सकेगा।

---

1. *अशरफ़ा* बनाम *डी० डी० सी०, यू० पी०*, 2010 (109) आर० डी० 271 : 2010 (1) जे० सी० एल० आर० 733।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में दिये निर्बन्धन के बावजूद भी यदि कलेक्टर को ठेकेदार की प्रार्थना पर और ऐसी जाँच के बाद, जो नियत की जाये, सन्तोष हो जाये कि ऐसा करना किसी वर्तमान कृषि फार्म के सुचारु और सफल संचालन के लिये आवश्यक है, तो वह ठेकेदार को, भूमि रखने की अनुज्ञा दे सकता है—

(क) यदि वह उपधारा (2) के खण्ड (क) में आने वाली भूमि हो तो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, और

(ख) यदि वह उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में आने वाली भूमि हो तो 30 एकड़ से अधिक, रखने के लिए :

परन्तु यह कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि को जो उसे खण्ड (ख) के अधीन 30 एकड़ से ऊपर मिली हो, वह गाँव सभा की ओर से असामी होगा और उसके निमित्त उस लगान का देनदार होगा, जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर लागू आनुवंशिक दर के अनुसार हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये जाने वाले हर प्रार्थना-पत्र में ठेका देने वाले और तत्सम्बन्धी गाँव सभा को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होगा।

14. भोगबन्धकी के कब्जे का आस्थान—(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, किसी आस्थान या उसके अंश के किसी भोगबन्धकी को निहित होने के दिनांक से यह अधिकार न रह जायेगा कि वह उस आस्थान की किसी भूमि को भोगबन्धकी के नाते से अपने पास या कब्जे में रख सके।

(2) जहाँ ऐसी कोई भूमि निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर बन्धकी की निजी जोत में रही हो, वहाँ—

(क) यदि उक्त भूमि बन्धक की तिथि पर बन्धककर्ता की सीर या खुदकाश्त रही है तो धारा 18 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह बन्धककर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बन्धक की तिथि पर वह बन्धककर्ता की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर, जो निहित होने के दिनांक पर लागू परम्परागत काश्तकारों की दर से लगाये लगान का पाँच गुना हो, धारा 19 के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वह भूमि बन्धकी के पास पूर्वोक्त तिथि पर और उक्त दर के लगान पर परम्परागत काश्तकार के नाते थी :

परन्तु यह कि यदि बन्धकी दिये गये समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि देने में असफल रहा तो ऐसी भूमि में उसके सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि खाली भूमि समझी जायेगी तथा बन्धकी धारा 209 के अन्तर्गत गाँव सभा [1][या कलेक्टर] द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण—[2][*(1)*] इस धारा के प्रयोजनों के लिए भोगबन्धकी के अन्तर्गत उसके भोग बन्धक सम्बन्धी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

[3][*स्पष्टीकरण—(2)* यदि किसी भूमि का भोगबन्धक किया गया हो और बन्धकर्ता उस भूमि का उस ही अथवा भिन्न व्यक्ति के हक में दूसरा अथवा पश्चात्वर्ती बन्धक करे तो "बंधक के दिनांक" पद से उस बन्धक का दिनांक अभिप्रेत होगा जिसके अनुसार बन्धकर्ता ने बन्धकों को सर्वप्रथम कब्जा दिया था।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 5 सन् 1957 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) पुनर्संख्यांकित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्तःस्थापित।

टिप्पणी

क्षेत्र—जैसे अधिनियम की धारा 21 के अधीन बन्धकदार के काश्तकार को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, उसी तरह धारा 14 के अधीन बन्धकदार के काश्तकार को भी कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अवधारित किया गया कि जमींदार की 'सीर' भूमि के बन्धकदार से काश्तकार को अधिनियम के अधीन कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था।[1]

बन्धकदार का अधिकार—जहाँ भूमि बन्धक की तारीख पर बन्धककर्ता की न तो सीर और न ही खुदकाश्त थी और वे भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं किये हैं क्योंकि निहित होने की तारीख से 6 मास के भीतर धारा 14 के अधीन कोई निक्षेप नहीं किया गया है, इसलिए बन्धकदार द्वारा अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन कोई अधिकार अर्जित नहीं किया गया था और गाँव सभा या कलेक्टर के वाद पर बेदखल किये जाने के लिए दायी हैं।[2]

15. संयुक्त आस्थानों में सीर, खुदकाश्त आदि का सीमांकन—(1) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे आस्थान या आस्थानों में, जो मध्यवर्ती और अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में हों, ठेकेदार से भिन्न मध्यवर्ती के पास [3][उस भूमि को छोड़कर जिसमें धारा 10 या 16 के अन्तर्गत आनुवंशिक अधिकार उत्पन्न होते हों तथा जो पट्टा दवामी अथवा इस्तमरारी पर ली गई हो] कोई भूमि उसके आनुपातिक अंश से अधिक निजी जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत अधिकारी ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में भूमि का सीमांकन कर देगा।

(2) (क) धारा 18 के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि, जिसका इस प्रकार सीमांकन किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायेगी, और—

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा 19 के प्रयोजनों के लिये उसके पास बेदखल काश्तकार की भूमि के रूप में समझी जायेगी और उसे निहित होने के दिनांक पर लागू बेदखल काश्तकारों के दर से लगान देना होगा।

16. ऐसी भूमि के काबिज का परम्परागत काश्तकार होना जिसमें प्रवर अधिकार न हो—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम किसी भूमि के दखलकार के रूप में किसी ऐसे अभिलेख में—

(i) जो संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) के अध्याय 4 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया हो या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो या जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिये राज्य सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया हो, अभिलिखित हो और जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर संयुक्त प्रान्त काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 10) की धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार हो; अथवा

(ii) जो संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) की धारा 32 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत कृषि वर्ष 1356 के लिये तैयार किया गया हो, अभिलिखित हो और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उक्त भूमि पर काबिज रहा हो,

वह उक्त भूमि का परम्परागत काश्तकार और उपर्युक्त दिनांक पर ऐसे काश्तकारों को लागू दरों से लगान का देनदार समझा जाएगा,

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित वर्गों की भूमि इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "भूमि" में सम्मिलित न समझी जायेगी—

---

1. *शिव प्रसाद* बनाम *डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन, गोरखपुर*, 2007 (103) आर० डी० 699 (एच० सी०)।
2. *ठाकुर प्रसाद* बनाम *राज करण*, 2003 (94) आर० डी० 391: 2003 आर० एन० एस० 486 : 2003 (1) यू० पी० आर० जे० 373 : 2003 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 2439 (एस० सी०)।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्तःस्थापित।

(i) भूमि जो—

(क) प्रति वर्ष 250 रुपये या उससे कम भू-राजस्व देने वाले तथा ऐसी दशा में जहाँ पूर्णत: या अंशत: कोई भू-राजस्व निर्धारित न हो, 250 रुपये या उससे कम वार्षिक भू-राजस्व पर देय स्थानिक कर देने वाले, [1][या ऐसे मातहतदार अदना मालिक या दवामी काश्तकार जो 250 रुपये या उससे कम वार्षिक लगान देता हो]; या

[2][(ख) ऐसे मध्यवर्ती जो निहित होने की तिथि को धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग का व्यक्ति हो];

सीर या ऐसी खुदकाश्त जिसने संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 (1939 का 17) के प्रावधानों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया है, अभिलिखित हो।

(ii) ऐसी भूमि जो बाग-भूमि अभिलिखित हो, या

(iii) ऐसी भूमि जो निम्नलिखित व्यक्तियों के जोत के अन्तर्गत हो—

(क) धारा 19 के खण्ड (i) से (vi) तक में से किसी खण्ड में निर्दिष्ट व्यक्ति,

(ख) नियत दर काश्तकार; या

(ग) माफीदार; या

(घ) धारा 17 में निर्दिष्ट पट्टा दवामी या इस्तमरारी काश्तकार।

टिप्पणी

राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि—अधिनियम की धारा 16 और नियमावली के नियम 177-क के परिणामस्वरूप याची केवल वर्ष 1359 खसरे के लिए राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के आधार पर सीरदार हो गया था और इसलिए प्रविष्टि की शुद्धता की जाँच नहीं की जा सकती।[3]

17. काश्तकार के अधिकार में सीर की भूमि जो पट्टा दवामी या इस्तमरारी के रूप में हो—ऐसी भूमि जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर किसी मध्यवर्ती की सीर थी, किन्तु उक्त तिथि पर पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर किसी काश्तकार के पास थी, धारा 18 [4][* * *] के प्रयोजनों के लिये ऐसे मध्यवर्ती की सीर न समझी जायेगी।

18. कुछ भूमि का मध्यवर्तियों या काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किया जाना—(1) धारा 10, 15, 16 और 17 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी समस्त भूमि जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर—

(क) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(ख) जो अवध में स्थायी पट्टेदार के पास बाग के रूप में या निजी जोत में हो,

(ग) जो नियत दर काश्तकार के पास नियत दर काश्तकार होने के नाते और माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(घ) किसी—

(i) दखीलकार काश्तकार;
(ii) परम्परागत काश्तकार;
(iii) धारा 17 में निर्दिष्ट काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, ऐसा काश्तकार होने के नाते हो;

जोत को बेचने का अधिकार रखने वाले,

[5][(ङ) बागदार के पास हो, तो]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्त:स्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
3. *सिताबन* बनाम *प्रदीप कुमार*, 2006 (101) आर० डी० 214 (एच० सी०)।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) लोपित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ा गया।

यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती या [1][पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार या बागदार] यथास्थिति, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले लेने या रखने का हकदार होगा।

(2) ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो संयुक्त प्रान्तीय (विशेषाधिकार अर्जन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की [2][धारा 3 या धारा 3-क की उपधारा (2) में] वर्णित श्रेणी का हो और जिसे किसी जोत या उसके किसी अंश के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट घोषणा प्रदान कर दिया गया हो जब तक कि उक्त घोषणा निरस्त न हो जाये, यह समझा जायेगा कि वह उस जोत या उसके अंश का भूमिधर है जिसके सम्बन्ध में घोषणा की गई है और प्रभावकारी है।

(3) संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार अर्जन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन ऐसे काश्तकारों के पक्ष में की गई घोषणा जिन्हें धारा 10 की उपधारा (2) लागू होती हो, इस अधिनियम द्वारा निरस्त की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 3 या 6 के अधीन जमा की गई धनराशि उस धनराशि को काटकर जो उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसके भू-धारक को दी गई हो या देय हो, जमा करने वाले को ऐसे ढंग से लौटा दी जायेगी जो विहित की जाय।

टिप्पणी

क्षेत्र—यह धारा प्रकृति में सामान्य है और इसके परिणामस्वरूप निहित होने की तारीख के तत्काल पूर्व की तारीख पर सीर, खुदकाश्त या बाग के रूप में मध्यवर्ती/जमींदार द्वारा अवधारित सभी भूमि ऐसे मध्यवर्ती के साथ उसके भूमिधर के रूप में व्यवस्थापित की गयी मानी जायेगी।[3]

'भूमि'—का स्पष्टीकरण—1359 फसली में नदी में जलमग्न भू-खण्ड लगातार 1372 फसली तक बना रहा और उसका प्रयोग न तो किसी फसल को उगाने के लिए किया गया था और न ही उनका प्रयोग किया जा सकता था, उसे भूमि निर्णित नहीं किया गया। इसलिए धारा 18 (1) (क) के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।[4]

19. जोत की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बन्दोबस्त होना—ऐसी समस्त भूमि के मामले में, जो विहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाये—

(i) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार,

(ii) बेदखल काश्तकार,

(iii) दखीलकार काश्तकार,

(iv) परम्परागत काश्तकार,

(v) काश्तकार रियायती लगान,

(vi) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 (1939 का 17) की धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में चाय आस्थानों के नाम से अधिसूचित चाय आस्थानों का गैर-दखीलकार काश्तकार,

(vii) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 (1939 का 17) की धारा 47 की उपधारा (4) में शिकमी काश्तकार, [5][और]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
3. *तुलसी* बनाम *डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन*, 2006 (101) आर० डी० 721 (एच० सी०)।
4. *मोहीउद्दीन* बनाम *बोर्ड आफ रेवन्यू, यू० पी० इला०*, 2004 (96) आर० डी० 281 : 2004 आर० एन० एस० 531 : 2004 (2) ए० डब्ल्यू० सी० 1060 (एच० सी०)।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।

(viii) [1][* * *]

(ix) धारा 17 में निर्दिष्ट ऐसी समस्त भूमि जो उक्त तिथि पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो।

धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित दशाओं को छोड़कर, यह समझा जाएगा कि उसका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, केवल उन दशाओं को छोड़कर जिनकी धारा 18 की उपधारा (2) में व्यवस्था की गई है, उस व्यक्ति को सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में लेने या रखने का अधिकार होगा।

[2][20. [3][ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो—

(क) निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो]—

(i) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था [4][खण्ड (ख) के उपखण्ड (i)] में उपबंधित, सीर का काश्तकार, जो धारा 19 के खण्ड (ix) में निर्दिष्ट काश्तकार से भिन्न हो या जिसके पक्ष में धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार आनुवंशिक अधिकार उत्पन्न होते हों, या

(ii) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था [5][खण्ड (ख) के उपखण्ड (i)] में उपबंधित है, बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार जो संयुक्त प्रान्त काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 10) की धारा 27 की उपधारा (3) के प्रतिबन्ध में या संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 (1939 का 17) की धारा 47 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

(ख) अध्यासी के रूप में अभिलिखित—

(i) किसी ऐसी भूमि के [6][जो बाग भूमि से या ऐसी भूमि से भिन्न हो जिस पर धारा 16 लागू होती है) या भूमि जो संयुक्त प्रान्त काश्तकारी (संशोधन अधिनियम, 1947 (1947 का 10) की धारा 27 की उपधारा (3) के परन्तुक में निर्दिष्ट है, सम्बन्ध में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) की धारा 28 और [7][33] क्रमशः के अधीन तैयार किये गये 1356 फसली के खसरे या खतौनी में उल्लिखित रहा हो या जिस पर उसे विहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर संयुक्त प्रान्त काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 10) की धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार रहा हो, अथवा

(ii) या किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर धारा 16 लागू होती है, संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) की [8][धारा 28 तथा 33 के अधीन तैयार किये गये 1356 फसली के क्रमशः खसरे या खतौनी] में निर्दिष्ट हो किन्तु जो 1359 फसली में उक्त भूमि पर काबिज न रहा हो,

जब तक कि वह धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन उस भूमि का भूमिधर या धारा 21 के खण्ड (ज) के अधीन असामी न बन गया हो, उस भूमि का अधिवासी कहलायेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए उसे उस भूमि पर कब्जा लेने या रखने का अधिकार होगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अंक "32" की जगह प्रतिस्थापित।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण 1—जहाँ खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति 30 जून, 1948, के बाद भूमि से निकाल दिया गया हो तो किसी आदेश में किसी बात के होने के बावजूद भी उसके विषय में यह समझा जायेगा कि वह उक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का अधिकारी है।

स्पष्टीकरण 2—जहाँ खण्ड (ख) में निर्दिष्ट खसरा या खतौनी की कोई प्रविष्टि निहित होने की तिथि के पूर्व संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का 3) के प्रावधानों के अधीन या अनुसार संशोधित किया गया हो, तो इस प्रकार संशोधित प्रविष्टि उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये मान्य होगी।

[1][*स्पष्टीकरण 3*—स्पष्टीकरण 2 के प्रयोजनों के लिए कोई प्रविष्टि निहित होने की तिथि से पूर्व संशोधित की गयी समझी जायेगी यदि किसी समर्थ न्यायालय की ऐसी आज्ञा या डिक्री जिसके अनुसार अभिलेखों में कोई संशोधन अपेक्षित हो, उक्त तिथि से पूर्व दी गई हो और अन्तिम हो गई हो, चाहे अभिलेखों में अपेक्षित संशोधन न भी किया गया हो।

स्पष्टीकरण 4—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के संबंध में ''अध्यासी'' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो 1356 फसली में उक्त भूमि या उसके किसी अंश का, मध्यवर्ती के रूप में अधिकारी रहा हो।]

21. गैर दखीलकार काश्तकारों, बाग भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बंधकियों का असामी होना—[2][(1)] इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, उस भूमि का असामी समझा जायेगा—

(क) किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार;

(ख) बाग भूमि का शिकमी काश्तकार;

(ग) संयुक्त प्रान्त काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 10) की धारा 27 की उपधारा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शिकमी काश्तकार;

(घ) धारा 18 के उपधारा (1) के खण्ड [3][(ख) से (ङ) तक] तथा धारा 19 के खण्ड [4][(1) से (7) तक और (9)] में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का [5][बन्धकी जो वास्तविक कब्जे में हो];

(ङ) पशुचर भूमि का या ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा और किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो;

(च) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर दिया हो कि उसमें टौंगियां रीति से वन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गई है; या

(छ) ऐसी भूमि का काश्ताकर जिसके मामले में राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर दिया हो कि वह अस्थायी या अस्थिर खेती के क्षेत्र का भाग है;

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) पुनर्संख्यांकित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा शब्द ''बन्धकी'' के जगह प्रतिस्थापित।

[1][(ज) जब भू-धारक या यदि एक से अधिक भू-धारक हो तो सब—

(क) यदि भूमि 9 अप्रैल, 1946 से पहले उठाई गई थी या कब्जे में थी तो जैसी स्थिति हो भूमि उठाने या कब्जे में आने के दिनांक पर और 9 अप्रैल, 1946 को दोनों ही दिनांकों पर, और

(ख) यदि भूमि 9 अप्रैल, 1946 [2][को अथवा] इसके पश्चात् उठाई गई थी या कब्जे में आई थी तो भूमि उठाने या कब्जा करने के दिनांक पर,

धारा 157 की उपधारा (1) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्गों के अन्तर्गत रहे हों, धारा 16 के स्पष्टीकरण के खण्ड (i) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि का सीर का काश्तकार, धारा 20 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट शिकमी काश्तकार या उक्त धारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट अध्यासी,]

[3][(झ) उ० प्र० काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 252 की उपधारा (1) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा पट्टे के अधीन पट्टेदार।]

स्पष्टीकरण—''टौंगिया रीति से वन लगाने'' से वन लगाने की ऐसी रीति अभिप्रेत है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ों के लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती है और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायें जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय।

[4][(2) *बाग भूमि के अध्यासी*—प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर धारा 20 के खण्ड (ख) में कथित रीति के अनुसार किसी बाग भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित हो, उस भूमि का असामी कहलायेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वह भूमि पर [5][वर्षानुवर्ष असामी के रूप में] कब्जा करने अथवा रखने का अधिकारी होगा।]

टिप्पणी

भूमि—की प्रकृति— भूमि निहित होने की तारीख पर बाग थी, इसलिए विपक्षी पक्षकार सर्वोत्तम ढंग से असामी अधिकार अर्जित कर सकता था और भूखण्ड पर भूमिधर घोषित करने वाला आदेश असमर्थनीय था।[6]

असामी—का अवधारण— अधिनियम की धारा 21 (1) (ग) के अधीन व्यक्ति को, जो निहित होने की तारीख के तत्काल पूर्व की तारीख पर उ० प्र० काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1947 के परन्तुक के रूप में निर्दिष्ट उपकाश्तकार के रूप में भूमि का अधिभोग किया था या धारण किया था, असामी होना माना जायेगा।[7]

22. 1 जुलाई, 1948 को या इसके बाद हुए लगान का परिवर्तन मान्य न होगा—इस अधिनियम के अधीन अर्जित किए गए आस्थान के अन्तर्गत किसी भूमि के संबंध में 1 जुलाई, 1948 को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती या किसी काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई हो या कोई बात की गई या होने दी गई हो, तब भी उस भूमि के संबंध में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान के बराबर समझा जायेगा, जिसका वह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी उक्त दिनांक पर देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के बाद किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अतिरिक्त किसी और प्रकार से कोई कमी हो या छूट मिले, तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा :

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा (26.1.1951 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 5 सन् 1957 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ा गया।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. *राम रती बनाम डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ कंसालिडेशन, बलिया, 2004 (97) आर० डी० 527 (एच० सी०)।*
7. *बाबू राम बनाम डिप्टी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन, मैनपुरी,* 2006 (101) आर० डी० 830।

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आदेश के अनुसार कम किया हुआ लगान, जो समुचित सर्किल रेट के अनुसार लगाए गए लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

23. विक्रय या दान द्वारा अन्तरण का मान्य न होना—(1) किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी आस्थान या उसके भाग का ऐसा अन्तरण चाहे वह विक्रय द्वारा हुआ हो या दान द्वारा—

(क) जो 1 जुलाई, 1948 को या उसके बाद हुआ हो, मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन लिए मान्य नहीं होगा।

(ख) [1][* * *]

[2][(2) उपधारा (1) में कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) रुपया अदा करने के लिये किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में, न्यायालय की आज्ञा के अधीन किया गया विक्रय; अथवा

(ख) किसी वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था जो पूर्णत: दानोत्तर प्रयोजनों के लिये स्थापित की गई हो, के पक्ष में किया गया कोई विक्रय या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये "संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हो।]

24. इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने वाली करार संविदा का व्यर्थ होना—ऐसी प्रत्येक संविदा या करार जो 1 जुलाई, 1948 को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती और दूसरे व्यक्ति के बीच हुआ हो और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित हो, व्यर्थ और विफल होगा और इस धारा द्वारा व्यर्थ और विफल घोषित किया जाता है—

(क) सीरदार को उसके खाते के अन्तर्गत किसी भूमि की भू-राजस्व के दायित्व से पूर्णत: या अंशत: मुक्त करना, या

(ख) किसी मध्यवर्ती को पुनर्वासन अनुदान के निमित्त कोई ऐसी धनराशि पाने का अधिकार देना जो उक्त संविदा या करार के न होने पर इस अधिनियम के अनुसार उसे मिलने वाली धनराशि से अधिक हो।

25. कलेक्टर द्वारा आस्थानों का ग्रहण करना—धारा 4 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) कोई आस्थान या आस्थानों के भाग तथा सभी ऐसे हितों को ग्रहण कर ले जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करें या करायें और ऐसा बल प्रयोग करें या करावें जो कलेक्टर या उक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो;

(ख) इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार अर्जित किये गए आस्थान के अन्तर्गत किसी भूमि, भवन या दूसरे स्थान में प्रवेश करे, और उसका सर्वेक्षण या माप करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी आस्थान या उसके भाग से सम्बद्ध बही, लेखा या अन्य दस्तावेज निर्दिष्ट अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे अधिकारी को ऐसी और सूचना जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की अनुज्ञा दे, और

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) प्रतिस्थापित।

(घ) यदि बही, लेखा और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, भवन या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, लेखा तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

26. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) धारा 4 के अधीन आस्थानों के निहित हो जाने के पूर्व की कार्यवाहियां;

(ख) इस अध्याय के अधीन स्थगित किये हुए वादों और व्यवहारों के निपटारे के सम्बन्ध में;

(ग) धारा 6 के खण्ड (ग) में उल्लिखित लगान, उपकर, स्थानिक कर और सायर जोड़ने का ढंग;

(घ) धारा 25 के अधीन आस्थानों के अधिकार में लिये जाने से सम्बन्ध रखने वाले विषय; और

(ङ) ऐसे विषय जो विहित किये जाने वाले हों और विहित किये जायं।

[1][अध्याय 2-क

निष्क्रान्त सम्पत्ति

26-क. परिभाषाएँ—एस अध्याय तथा अनुसूची 5 में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, शब्द और पद ''अभिरक्षक'', ''निष्क्रान्त'' और ''निष्क्रान्त सम्पत्ति'' का वही अर्थ होगा जो निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 में है।

26-ख. अधिनियम का निष्क्रान्त सम्पत्ति को लागू होना—इस अधिनियम के प्रावधान निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनुसूची 4 में दिये गये संशोधन के अध्यधीन लागू होंगे।]

अध्याय 3

मुआवजे का निर्धारण

27. आस्थानों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का मुआवजा पाने का अधिकारी होना—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी आस्थान में अधिकार, हक या स्वत्व इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अर्जित कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार मुआवजा पाने का अधिकारी होगा और उसको मुआवजा दिया जायेगा।

28. मुआवजा देय होने की तिथि—(1) इस अधिनियम के अधीन आस्थान अर्जित किये जाने के निमित्त दिया जाने वाला मुआवजा निहित होने के दिनांक से देय हो जायेगा, किन्तु यह बात उसकी मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी।

(2) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर राज्य सरकार निहित होने की तिथि से—

(i) नकद दी जाने वाली मुआवजे की मात्रा के मामले में, उसके अवधारण कि तिथि तक, और

(ii) बन्धों के रूप में दी जाने वाली मात्रा के मामले में,

उक्त बन्धों के निष्क्रिय की तिथि तक, 2-1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देगी।

29. अन्तरिम मुआवजा—(1) राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम मुआवजा देने का निदेश कर सकती है :

परन्तु यह कि यदि निहित होने की तिथि से नौ मास के अंदर मध्यवर्ती को देय मुआवजा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवधारित न किया जा सके तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम मुआवजा दिये जाने का निर्देश करना होगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित।

(2) यदि किसी आस्थान या उसके किसी भाग में अधिकार या आगम का कोई व्यक्ति अधिकारी बनता हो तो ऐसे आस्थान या उसके भाग के संबंध में दिया जाने वाला अन्तरिम मुआवजा उस व्यक्ति को, जो वास्तव में कब्जाधारी हो और जिसका नाम खेवट में बतौर मालिक दर्ज हो मुआवजा अधिकारी द्वारा ऐसे मुआवजे या उसके भाग, जिसे पाने का अधिकारी अन्त में आक्षेप करने वाला हो, की वापसी के संबंध में जमानत के विषय में हुई आज्ञा के अधीन दिया जायेगा।

30. अन्तरिम मुआवजे का समायोजन—धारा 29 के अधीन दिया गया अन्तरिम मुआवजा इस अधिनियम के अधीन देय मुआवजे का भाग समझा जायेगा और उसी में से काट कर समायोजित कर दिया जायेगा :

[1][परन्तु यह कि धारा 99 के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी वक्फ, न्यास अथवा विन्यास की दशा में अन्तरिम मुआवजा उक्त धारा के अन्तर्गत देय वार्षिक वृत्ति में से काट लिया जायेगा और उससे समायोजित कर दिया जायेगा।]

31. मुआवजे के निर्धारण और भुगतान से सम्बन्धित प्रक्रिया—धारा 4 के अधीन अर्जित किये गये आस्थान के मामले में मुआवजा निर्धारण तथा मुआवजा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से संबंध रखने वाले सब व्यवहार ऐसे मुआवजा अधिकारी के सामने होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार में अर्जित किया गया आस्थान स्थित हो।

32. अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा—धारा 23 और 33 के प्रावधानों को बाधित न करते हुए और उस दशा को छोड़, जिसकी व्यवस्था धारा 46 में की गई है, संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) के प्रावधानों के अधीन तैयार किए गए या पुनरीक्षित अधिकार अभिलेखों में पिछले कृषि वर्ष की प्रत्येक प्रविष्टि के मामले में, इस अधिनियम के अधीन मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायेगा कि वह उससे संबंध रखने वाले आस्थान या भाग के प्रत्येक मध्यवर्ती के अधिकार, हक और स्वत्व को ठीक-ठीक व्यक्त करता है :

परन्तु यह कि संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) के प्रावधानों के अधीन या किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार अभिलेखों में किए गए किसी उपांतरण, परिवर्तन अथवा शुद्धिकरण पर, चाहे वह निहित होने के दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, मुआवजा अधिकारी ध्यान रखेगा।

33. अधिकार अभिलेखों में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल का ठीक किया जाना—संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) के प्रावधानो के अधीन या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि मुआवजा अधिकारी को यह सन्तोष हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख में कोई लेखन या गणित सम्बन्धी भूल या ऐसी कोई गलती है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है।

टिप्पणी

क्षेत्र—यह स्पष्ट है कि याची अपना नाम उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अधीन कार्यवाही में विवादास्पद भूमि के भूमिधर के रूप में प्रविष्टि करा लिया था। कभी भी वह इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात विवादास्पद भूमि के भूमिधर के रूप में नहीं अभिलिखित किया गया था। वह 1359 फसली और विभिन्न अन्य वर्षों की प्रविष्टियों पर विश्वास कर रहा है। यदि याची स्वयं को विवादास्पद भूमि का भूमिधर होने का दावा करता है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल कर सकता है। विवादास्पद भूमि के भूमिधर के रूप में याची के नाम को अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अधीन कार्यवाही में पारित नहीं किया जा सकता।[2]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ा गया।
2. *शिव प्रकाश* बनाम *एडीशनल कमीशनर (जूडीशियल) बस्ती डिवीजन, बस्ती*, 2006 (100) आर० डी० 97 : 2006 आर० एन० एस० 320 (एच० सी०)।

34. दीवानी न्यायालय में दावा स्थापित करने का अधिकार—धारा 32, 33 और 49 में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के उस अधिकार पर नहीं होगा, जो उसे किसी अधिकारिता युक्त न्यायालय में यथोचित विधि प्रक्रिया द्वारा किसी आस्थान या उसके भाग में अपना दावा स्थापित करने के संबंध में हो।

35. अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से संबंध रखने वाले लम्बित वाद और कार्यवाही—यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में निहित होने के दिनांक पर ऐसा वाद या कार्यवाही लम्बित हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद प्रस्तुत किया जाय, जिसमें धारा 32 में उल्लिखित अधिकार अभिलेख के किसी प्रविष्टि की शुद्धता पर आक्षेप किया जाता हो या जिसमें उसकी शुद्धता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाद हो तो उस वाद या कार्यवाही का कोई भी पक्षकार वाद पत्र या आपत्ति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मुआवजा अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायेगा कि वह मुआवजा अधिकारी के समक्ष चल रही कार्यवाही में पक्षकार हो गया है।

36. वाद पत्र या आपत्ति पत्र का मुआवजा संबंधी कार्यवाही के अभिलेख का अंग होना—धारा 35 के अधीन प्रस्तुत की गई उक्त वाद पत्र या आपत्ति-पत्र की प्रतिलिपि मुआवजा अधिकारी के सामने चल रही कार्यवाही के अभिलेख का अंग हो जायेगी और मुआवजा अधिकार धारा 40 के अधीन तैयार की गई मुआवजा निर्धारण तालिका में तत्संबंधी विवाद का विषय ऐसे ब्यौरों के साथ दर्ज करायेगा, जो विहित किये जायं।

37. प्रत्येक मध्यवर्ती का अलग इकाई माना जाना—इस अधिनियम के अधीन मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक मध्यवर्ती एक अलग इकाई समझा जायेगा :

परन्तु यह कि हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के संबंध में—

(क) यदि पिता निहित होने की तिथि पर जीवित था तो वह पुत्र पौत्रादिक क्रम में अपनी पुंजातीय वंशज के साथ संयुक्त कुटम्ब की संपत्ति के मामले में एक ही इकाई समझा जायेगा;

(ख) खण्ड (क) की दशा को छोड़कर उसके सभी सदस्य अलग-अलग इकाइयां माने जायेंगे।

स्पष्टीकरण—यदि 8 अगस्त, 1946 को या उसके बाद कोई वाद द्वारा बटवारा हुआ हो तब भी कुटुम्ब संयुक्त ही समझा जायेगा।

38. महाल की सकल आस्तियों का विवरण—किसी महाल के संबंध में किसी मध्यवर्ती की मुआवजा निर्धारण तालिका तैयार करने से पूर्व मुआवजा अधिकारी—

(क) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गाँव में नहीं है, तो महाल की, और

(ख) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गाँव में है, तो एक गाँव में पड़ने वाले महाल के प्रत्येक भाग की अलग-अलग, सकल आस्तियों का एक विवरण तैयार करेगा।

39. महाल की सकल आस्तियाँ—(1) किसी महाल के संबंध में संकल आस्तियां महाल के अन्तर्गत भूमि या आस्थान की कुल सकल आय होगी और उसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

(क) काश्तकारों, मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, काश्तकार रियायती लगान या बागदारों द्वारा या उनकी ओर से देय लगान उपकरों और स्थानिक करों सहित—

(i) नकदी; और

(ii) जहाँ लगान जिन्सी है या अंशत: नकदी और अंशत: जिन्सी है, तो वह लगान जो संयुक्त प्रान्त काश्तकारी अधिनियम, 1939 (1939 का 17) के प्रावधानों के अनुसार

लगाया जाय, और [1][जहाँ उक्त अधिनियम में ऐसी गणना के लिये व्यवस्था न की गयी हो तो नियत रीति से]; और

(iii) जहाँ लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार और बेदखल काश्तकारों के संबंध में सकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और बागदारों को छोड़कर अन्य के संबंध में आनुवंशिक दरों से अवधारित लगान,

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में शब्द "काश्तकार" में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो धारा [2][* * *] 12, 13, 14 तथा 16 में परम्परागत काश्तकार मान लिये गये हैं, किन्तु इसमें इन्हें छोड़कर सीर के अन्य काश्तकार शामिल नहीं हैं।

(ख) ऐसी भूमि के लगान के निमित्त, जो आस्थान के समस्त मध्यवर्तियों की निजी जोत में हो या उनके पास मध्यवर्ती के बाग, खुदकाश्त या ऐसी सीर के रूप में हों, जिसमें आनुवंशिक अधिकार न उत्पन्न होते हों, तो वह धनराशि, जो उसी प्रकार की भूमि के बेदखल काश्तकारों को लागू दरों से लगाई जाय तथा ऐसी सीर के लगान के निमित्त—

(i) जिसमें आनुवंशिक अधिकार उत्पन्न होते हों, आनुवंशिक दरों से लगाई गई रकम, और

(ii) जो धारा 17 में निर्दिष्ट सीर के अन्तर्गत हों, उसके काश्तकार द्वारा देय लगान।

(ग) सायर, जिसमें धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन राज्य में निहित हाटों, बाजारों और मेलों तथा मीनाशयों की आय शामिल होगी और जो निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व के दस कृषि वर्षों की तत्सम्बन्धी आय के जोड़ के दसवें अंश के बराबर हो।

[3][*स्पष्टीकरण 1*]—इस उप-खण्ड के अधीन सायर की "कुल आय" की गणना खतौनी की प्रविष्टियों के आधार पर की जायेगी और प्रविष्टि जब तक किसी राजकीय दस्तावेज द्वारा अन्यथा न सिद्ध हो जाय तब तक ठीक माने जायेंगे।

[4][*स्पष्टीकरण 2*—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "सायर" के अन्तर्गत, जहाँ तक वह मध्यवर्ती के बाग से संबद्ध है, उसकी लकड़ी, फूलों अथवा फलों की बिक्री की आय शामिल नहीं है।]

(घ) राज्य में निहित हुये भवन व भवन स्थलों के भाड़े से होने वाली निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व के चार वर्षों की औसत वार्षिक आय,

(ङ) वनों की वार्षिक औसत आय, जिसकी गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी—

(i) निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व के 20 से 40 कृषि वर्ष तक की जैसा मुआवजा अधिकारी उचित समझे, आय के आधार पर;

(ii) निहित होने की तिथि पर वन की वार्षिक आय के अनुमान पर।

(च) जहाँ खानों और खनिज पदार्थों के निमित्त कोई स्वामित्व देय हो या स्वामित्व की वह औसत आय, जो उस कृषि वर्ष से जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो, ठीक पहले के बारह वर्षों में मध्यवर्ती द्वारा ठपकर या आयकर के निर्धारण के लिये प्रस्तुत वार्षिक विवरणों के आधार पर या यदि ऐसे विवरण उससे कम ही अवधि के लिये प्रस्तुत किये गये हो तो उतनी ही अवधि के वार्षिक विवरणों के आधार पर लगाई गई हों,

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ा गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अंक "10" लोपित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) पुनर्संख्यांकित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) अन्तःस्थापित।

(छ) जहाँ कोई स्वामित्व देय न हो और खान को मध्यवर्ती स्वयं चला रहा हो वहाँ उक्त खान से होने वाली ऐसी औसत वार्षिक आय जो खण्ड (च) में दिये हुये आधार पर संगणित की गयी हो।

(2) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गाँव में हो तो उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करते समय प्रत्येक गाँव में पड़ने वाले महाल का भाग एक अलग ही महाल मान लिया जायेगा।

40. प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका—इस अधिनियम के अधीन मुआवजा निर्धारण और भुगतान के लिये मुआवजा अधिकारी विहित रीति से प्रत्येक मध्यवर्ती की एक ऐसी प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका तैयार करेगा, जो उक्त अधिकारी के सुविधानुसार एक या अधिक महालों में उस मध्यवर्ती के स्वत्वों के संबंध में होगी और जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायेंगी—

(क) धारा 42 से 45 तक में जो भी धारायें लागू हों, उनके प्रावधानों के अनुसार संगणित उसकी सकल और शुद्ध आस्तियाँ,

(ख) पूर्वोक्त महालों में मध्यवर्ती के अंश या स्वत्वों के संबंध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय भू-राजस्व, उपकर और दूसरे देयों की ऐसी बकाया, जो धारा 6 के खण्ड (घ) में उल्लिखित हैं,

(ग) पूर्वोक्त महालों में अपने अंश या स्वत्व के संबंध में मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि वर्ष का भू-राजस्व, और

(घ) धारा 6 के खण्ड (ङ) में उल्लिखित धनराशियां और ऋण, और

(ङ) ऐसे दूसरे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

स्पष्टीकरण 1—ऐसे आस्थानों के विषय में, जिन पर निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर भू-राजस्व निर्धारित न हो, भू-राजस्व ऐसी धनराशि समझी जायेगी जो स्थानिक करों के आधार पर या, जहाँ स्थानिक कर न हों, वहाँ ऐसे सिद्धान्तों पर जो विहित किये जायें, लगाई जाय।

स्पष्टीकरण 2—यदि किसी आस्थान पर केवल दिखावटी भू-राजस्व निर्धारित हो तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यह न समझा जायेगा कि उस पर भू-राजस्व निर्धारित नहीं है।

41. विवरण और मुआवजा निर्धारण तालिका पर मुआवजा अधिकारी के हस्ताक्षर होना—धारा 38 के अधीन तैयार किये गये विवरण और धारा 40 के अधीन तैयार की गई प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका पर मुआवजा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उक्त विवरण तथा तालिका उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होंगे जो उनमें लिखी हों।

42. मध्यवर्ती की सकल आस्तियाँ—धारा 40 के प्रयोजनों के लिये महाल में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के संबंध में उसकी निम्नलिखित का जोड़ होगी—

(क) ऐसे महाल की या किसी महाल के ऐसे भाग या भागों की जिसमें उसका अनन्य रूप से अधिकार हो, धारा 38 के अधीन बनाये गये विवरण में दर्ज कुल सकल आस्तियाँ, और

(ख) ऐसे महाल का या किसी महाल के ऐसे भाग या भागों की, जिसमें उसका अधिकार अन्य के साथ हो, धारा 38 के अधीन बनाये गये विवरण में दर्ज सकल आस्तियों का वह अंश जो (उस महाल के भाग या भागों में उसके अंश के अनुपात में हो)।

43. ठेकेदार के कब्जे के आस्थान की सकल आस्तियाँ—जहाँ निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर किसी आस्थान या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास हो, वहां धारा 39 में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाई जाने वाली उस ठेकेदार की सकल आस्तियाँ चाहे वह

मध्यवर्ती को देय न भी हो, ऐसे आस्थान या भाग के, यथास्थिति, संबंध में उस मध्यवर्ती की सकल आस्तियां समझी जायेंगी।

स्पष्टीकरण—भूमि की दशा में (ऐसी भूमि को छोड़कर जो ठेका आरम्भ होने की तिथि पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त रही हो), ठेकेदार की निजी जोत की अन्य भूमि की सकल आस्तियाँ उस धनराशि के बराबर समझी जायेंगी, जो लागू आनुवंशिक दरों के आधार पर अवधारित की गयी हो।

44. मध्यवर्ती की शुद्ध औस्तियाँ—धारा 40 के प्रयोजनों के लिये महाल के संबंध में किसी मध्यवर्ती की शुद्ध आस्तियाँ ऐसे मध्यवर्ती की सकल आस्तियों में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायेगी—

(क) ऐसी धनराशि जो पिछले कृषि वर्ष में उसके द्वारा राज्य सरकार या प्रवर भू-धारक को महाल में मध्यवर्ती के अंश या स्वत्व के संबंध में भू-राजस्व या लगान तथा उपकर या स्थानिक कर के निमित्त देय थी,

(ख) मध्यवर्ती द्वारा महाल में उसके अंश या स्वत्वों के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये दिये गये या दिये जाने वाले कृषि आयकर के, यदि कोई हो, निमित्त ऐसी धनराशि जो विहित ढंग से लगाई जाय,

(ग) प्रबन्ध व्यय और लगान की ऐसी बकाया जो वसूल न हो सकती हो: दोनों मिलकर सकल आस्तियों के 15 प्रतिशत के बराबर,

(घ) जहाँ कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निजी जोत में या खुदकाश्त मध्यवर्ती के बाग या ऐसी सीर के रूप में हो (उस सीर को छोड़कर, जिसमें आनुवंशिक अधिकार पैदा होते हों) वहाँ उसकी निजी जोत, खुदकाश्त, बाग या सीर की भूमि के केवल ऐसे भाग के निमित्त, जो धारा 18 में वर्णित है, ऐसी धनराशि जो आनुवंशिक दरों से लगाई गई हो और जिसमें से एमस्मिनपश्चात् (i) से (iii) तक की उल्लिखित कटौतियां निकाल दी जाय—

(i) कृषि आय कर, यदि कोई हो, जो पिछले कृषि-वर्ष में उक्त भूमि के संबंध में देय रहा हो, यह विहित ढंग से निश्चित किया जायेगा।

(ii) भू-राजस्व, उपकर और स्थानिक कर जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के संबंध में देय रहा हो, ये विहित ढंग से निश्चित किये जायेंगे।

(iii) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विषयों के निमित्त उपर्युक्त धनराशि का 15 प्रतिशत।

(ङ) धारा 39 के खण्ड (च) में उल्लिखित स्वामित्व से हुई आय पर दिये गये आयकर का ऐसा औसत जो उक्त खण्ड में उल्लिखित काल के अनुसार लगाया गया हो तथा नियत की जाने वाली दरों से लगाया गया वसूली का व्यय,

(च) धारा 39 के खण्ड (छ) के अधीन अवधारित सकल आय का 95 प्रतिशत, यह अध्याय 6 में जारी रखे गये अधिकारों के संबंध में उसके लिये सुरक्षित आय का भाग समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये ऐसा भू-राजस्व जो राज्य सरकार या किसी दूसरे सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से, ऐसे मध्यवर्ती के हक में, दिये गये अनुदान या किये गये पुष्टिकरण के कारण अभ्यर्पित, अभित्यक्त, अभिसंचित या निष्क्रीत की गई हो, राज्य सरकार को देय भू-राजस्व नहीं समझा जायेगा।

45. मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तेमरारी की सकल और शुद्ध आस्तियाँ निकालना—ऐसे भू-स्वामी के सम्बन्ध में, जिन्हें संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) की धारा 78 लागू होती है या जिन्हें भू-राजस्व अभ्यर्पित है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (क) से (घ) तक के अनुसार रखे गये अधिकार अभिलेखों में दर्ज है तथा मातहतदारों अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी पर धारा 39 से 44 तक के प्रावधानों ऐसे आनुषंगिक परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ जो विहित किये जायं,लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की सकल और शुद्ध आस्तियाँ तदनुसार लगाई जायेगी।

46. प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन—(1) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर मुआवजा अधिकारी—

(क) राजपत्र में और अन्य ढंग से जो विहित की जाय इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि धारा 38 में उल्लिखित महाल की सकल आस्तियों का विवरण तथा धारा 40 में उल्लिखित प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका तैयार हो गयी है, और ऐसे व्यक्ति, जिनका उनसे कोई संबंध हो, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और

(ख) प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका की प्रतिलिपि के साथ पूर्वोक्त सकल आस्तियों की एक प्रति संबंधित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।

(2) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्ति को, जो यह कहता हो कि किसी ऐसे अंश या स्वत्व में जिसमें उसे अधिकार प्राप्त है मध्यवर्ती का नाम प्रतिनिधि रूप में या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता के रूप में दर्ज है, उपधारा (1) के अधीन सूचना द्वारा आज्ञा दी जायेगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी सकल आस्तियों के विवरण या तालिका के विषय में आपत्ति पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु यह कि कोई आपत्ति पत्र इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगा कि आस्थान में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश या भाग है या उसका कोई भी अंश या भाग नहीं है; किन्तु यह बात उस दशा में लागू होंगी जब उक्त आपत्ति सूचना में उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर हो या धारा 32 अथवा 33 के अधीन किसी आज्ञा के अनुसार की गई हो।

47. आपत्ति पत्र सुनने की तिथि—दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति-पत्र प्रस्तुत होने पर मुआवजा अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना संबंधित मध्यवर्ती को और ऐसे स्वत्व रखने वाले व्यक्ति को देगा, जो धारा 46 के अधीन सूचना के प्रतिवाद में उपस्थित हुआ हो।

48. आपत्ति पत्रों की सुनवाई और निर्णय—धारा 46 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निर्णय करने में मुआवजा अधिकारी को दीवानी न्यायालय के सभी अधिकार, जहाँ तक वे लागू हो सकें और इस अध्याय के प्रावधानों से असंगत न हों, में प्राप्त होंगे और ऐसे उपांतरणों को बाधित न करते हुये जो विहित किये जायं, वह इस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) में अचल सम्पत्ति संबंधी वादों की सुनवाई और निपटारे के लिये दी गई है।

49. धारा 48 के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना—मुआवजा अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के संबंध में धारा 48 के अधीन दी गई निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायेगी, और उसमें मुकदमें का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायेंगे।

50. जिला न्यायाधीशों को अपील—किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि मुआवजा अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति-पत्र के संबंध में धारा 48 के अधीन दी गई निर्णयात्मक आज्ञा से कोई व्यक्ति असन्तुष्ट हो तो वह, उक्त आज्ञा के विरूद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह कि यदि तालिका में दर्ज शुद्ध आस्तियां और मध्यवर्ती द्वारा बताई गई शुद्ध आस्तियों में, 2,500 रु० से अधिक का अन्तर हो तो अपील उच्च न्यायालय में ही होगी।

[1][**50-क सिविल न्यायाधीशों को अपीलें अन्तरित करने का अधिकार**—(1) जिला न्यायाधीश मुआवजा अधिकारी की आज्ञा के विरूद्ध धारा 50 के अधीन अपील, जो उसके समक्ष विचाराधीन हो, किसी ऐसे सिविल न्यायाधीश को अन्तरित कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(2) इस धारा के अधीन अन्तरित अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायंगी जो धारा 50 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू है।]

51. उच्च न्यायालय को अपील—धारा 50 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा [2][या धारा 50-क के अधीन किसी सिविल न्यायाधीश द्वारा, यथास्थिति], दी गई अपील की डिक्री के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 100 में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

52. अन्तिम मुआवजा निर्धारण तालिका—(1) जहाँ धारा 46 के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका के संबंध में कोई आपत्ति-पत्र प्रस्तुत न किया गया हो या यदि ऐसे आपत्ति-पत्र प्रस्तुत होने पर उनका अन्तिम निपटारा हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित मुआवजा निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या उपांतरण कर दिया गया हो, तो मुआवजा अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(2) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर मुआवजा निर्धारण तालिका अन्तिम हो जायेगी।

53. तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना—मुआवजा अधिकारी मुआवजा निर्धारण तालिका की एक प्रतिलिपि बिना शुल्क के संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रतिलिपि परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी लगवा देगा।

54. मुआवजे की मात्रा—ऐसे महालो में जिनसे मुआवजा निर्धारण तालिका का संबंध है, किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे मुआवजे के रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़कर जहाँ मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहाँ मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, तालिका में उल्लिखित शुद्ध आस्तियों के आठ गुने के बराबर होगी

55. ठेकेदार को देय मुआवजे की मात्रा—जहाँ मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो वहाँ मध्यवर्ती की मुआवजा निर्धारण तालिका में दी हुई शुद्ध आस्तियों पर धारा 54 में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाया गया मुआवजा उक्त आस्थान में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के संबंध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय मुआवजा होगा और मुआवजा अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बाँट देगा—

(क) प्रीमियम, यदि कोई हो, जो ठेके या पट्टे के प्रारम्भ में दिया गया है;

(ख) ठेके की अवधि और शर्तें

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ग) ठेके की समाप्ति के कारण ठेकेदार को यदि कोई हानि हुई हो तो वह;

(घ) ठेके के अन्तर्गत आस्थान या आस्थानों की सकल और शुद्ध आस्तियां;

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि;

(च) यह तथ्य कि मध्यवर्ती के तो सभी अधिकार, जो सबके सब अर्जित किये जा रहे हैं, सदा के लिये थे, पर ठेकेदार के अधिकार समिति प्रकार ही के हैं; और

(छ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायें।

56. धारा 55 के अधीन प्रक्रिया—मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के बीच मुआवजा बांटने में मुआवजा अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाय।

57. धारा 55 के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना—(1) मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के बीच मुआवजा बांटने के संबंध में मुआवजा अधिकारी की आज्ञा सक्षम अधिकारिता युक्त दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायेगी।

(2) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकेगी।

[1][**57-क सिविल न्यायाधीशों को अपील अन्तरित करने की शक्ति**—(1) जिला न्यायाधीश मुआवजा अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा 57 के अधीन अपील, जो उसके समक्ष लम्बित हो, किसी ऐसे सिविल न्यायाधीश को अन्तरित कर सकता है जो उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हो।

(2) इस धारा के अधीन को अन्तरित अपीलें उस प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित की जायेगी जो धारा 57 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलों के निस्तारण के संबंध में लागू हों।]

58. उच्च न्यायालय को अपील—धारा 57 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा [2][या धारा 57-क के अधीन किसी सिविल न्यायाधीश द्वारा, यथास्थिति], दी गई अपील की डिक्री के विरुद्ध अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 100 में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

59. अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय फीस—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में किसी बात के होते हुये भी धारा 50, 51, 57 या 58 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय फीस वह होगी जो विहित की जाय।

60. तालिका में मुआवजा की रकम का दर्ज किया जाना—किसी मध्यवर्ती को मुआवजे के रूप में देय, धारा 54 या 55 के अधीन, अवधारित धनराशि के विषय में मुआवजा अधिकारी यह घोषित करेगा कि वह उस मध्यवर्ती को उन महालों में, जिनका सम्बन्ध मुआवजा निर्धारण तालिका से है, उसके स्वत्व के निमित्त देय मुआवजा है और मुआवजा अधिकारी उसे तालिका में अपने ही हाथ से अभिलिखित करेगा।

61. ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना, जो अकस्मात हुई हों—(1) मुआवजा निर्धारण तालिका के अन्तिम हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन की गई हो, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं किया जायेगा।

(2) अधिक्षेत्र युक्त मुआवजा अधिकारी मुआवजा दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वत: या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर मुआवजा निर्धारण तालिका में किसी लेखन या

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्त:स्थापित।

गणित सम्बन्धी भूलों को या किसी ऐसी अशुद्धि को; जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक से हो गई हो, ठीक कर सकता है।

62. **न्यायालय द्वारा व्यादेश का निषेध**—ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के अतिरिक्त, जिसके सामने मुआवजा अधिकारी की आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कोई अपील लम्बित हो, किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय या प्राधिकारी इस अध्याय के अधीन मुआवजा अधिकारी के सामने चल रही कार्यवाहियों के संबंध में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा व्यादेश नहीं जारी करेगा जिसके परिणामस्वरूप उक्त कार्यवाहियाँ रुक जाय।

63. **''स्वत्व रखने वाले व्यक्ति'' की परिभाषा**—इस अध्याय में 'स्वत्व रखने वाला व्यक्ति' के अन्तर्गत ऐसे समस्त व्यक्ति हैं, जो चाहे उनका नाम अधिकार अभिलेखों में अभिलिखित हो या न हो, अपने आपको मध्यवर्ती के नाते ऐसा मुआवजा या उसका कोई भाग या अंश पाने का अधिकारी बताते हैं, जो इस अधिनियम के अधीन आस्थानों के अर्जित किये जाने के कारण निर्धारित किया या दिया जाने वाला हो।

64. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) धारा 28 के अधीन ब्याज संगणित करने का ढंग और सिद्धान्त,

(ख) धारा 30 के अधीन अन्तरिम मुआवजा को घटाने और समायोजन करने का ढंग,

(ग) जिन क्षेत्रों में लगान की दर अवधारित नहीं की गई है उनमें ऐसी दर निर्धारत करने का ढंग और सिद्धान्त।

(घ) धारा 33 के अधीन अधिकार अभिलेखों में शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया,

(ङ) धारा 35 के अधीन वाद-पत्र या आपत्ति-पत्र की प्रतिलिपि पेश करने की प्रक्रिया,

(च) धारा 38 के अधीन तैयार किये जाने वाले विवरणों का प्ररूप और उन्हें तैयार करने का ढंग,

(छ) धारा 40 के अधीन मुआवजा निर्धारण तालिका तैयार करने का ढंग और प्ररूप,

(ज) धारा 46 के अधीन आपत्ति-पत्र प्रस्तुत करने का ढंग और प्ररूप,

(झ) धारा 47 के अधीन आपत्ति-पत्र रजिस्टर में दर्ज करने का ढंग और प्ररूप,

(ञ) धारा 61 के अधीन शुद्धिकरण करने में अनुसरण की जाने वाली रीति और प्रक्रिया,

(ट) वे विषय जो विहित किये जाने वाले हैं और विहित किये जायं।

अध्याय 4

मुआवजे का भुगतान

65. **तालिका में दर्ज मुआवजे का मध्यवर्ती को दिया जाना**—प्रत्येक मध्यवर्ती को प्रत्येक आस्थान में उसके अधिकार, हक और स्वत्व के अर्जित किये जाने के निमित्त मुआवजे के रूप में ऐसी रकम दी जायेगी, जो धारा 60 के अधीन इस सम्बन्ध में घोषित की गई हो।

66. **तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का मुआवजा पाना**—धारा 70 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन देय मुआवजा उस मध्यवर्ती को दिया जायेगा, जिसका नाम मुआवजा निर्धारण तालिका में दर्ज हो।

67. विधिक प्रतिनिधि को देय मुआवजा—जहाँ मुआवजा पाने का अधिकारी, मुआवजा पाने के पहले ही मर जाय तो मुआवजा उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

68. मुआवजे के भुगतान का तरीका—इस अधिनियम के अधीन देय मुआवजा नकद, बन्धपत्रों के रूप में अथवा अंशतः नकद और अंशतः बन्धपत्रों के रूप में जैसा भी विहित किया जाय, दिया जायेगा।

69. कतिपय दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास का मुआवजा जमा किया जाना—(1) जहाँ मुआवजा पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास या विन्यास हो अथवा वह अवयस्क हो, किसी विधि निर्योग्यता के अधीन हो, या कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति हो वहाँ किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु व्यापक निदेशों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार दे, मुआवजा उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बैंक के पास, जो विहित किया जाय जमा कर दिया जा सकेगा।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके लिये या जिसकी ओर से मुआवजा जमा किया गया हो, उक्त मुआवजा के उपयोग और विनियोग करने के अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विनियोग करने का अधिकार उपधारा (1) में कही गई किसी बात से बाधित होता न समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति न समझा जायेगा कि अवध बन्दोबस्त आस्थान अधिनियम, 1917 या संयुक्त प्रान्त आस्थान अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के अधीन उस आस्थान के सम्बन्ध में, जिसके लिए मुआवजा देय है, कर दिया गया है।

70. मुआवजे की रकम को न्यायालय या प्राधिकारी के हाथ में दिया जाना—जहाँ किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद या कार्यवाही लम्बित हो जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय 3 के अधीन अवधारित कुल मुआवजा या उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या पड़ सकता हो, वहाँ उक्त न्यायालय या प्राधिकारी को अधिकार होगा कि मुआवजा अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दें और तब उस धनराशि का विनियोग ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही किया जायेगा।

71. गुजारेदार को देय मुआवजे का निर्धारण—(1) यदि कोई व्यक्ति गुजारेदार होने के नाते अपने को इस अध्याय के अधीन किसी मध्यवर्ती को दिलाये गये मुआवजे का कोई अंश गुजारे के निमित्त पाने का अधिकारी बतलाये और उसके लिये मुआवजा अधिकारी से प्रार्थना करे तो मुआवजा अधिकारी यह कर सकता है कि मध्यवर्ती की सहमति से और परस्परानुमति के अनुसार समस्त मुआवजा या उसका कोई अंश प्रार्थी को दिला दे। इस प्रकार जो कुछ भी प्रार्थी को दिया जायेगा उससे राज्य सरकार के दायित्व का उस अंश तक पूर्ण परिशोध हो जायेगा।

(2) मध्यवर्ती के सहमति न देने पर मुआवजा अधिकारी आदेश देगा कि प्रार्थी अगले तीन माह के अंदर अधिकारितायुक्त न्यायालय में अपना अधिकार स्थापित करने के लिय वाद या अन्य कार्यवाही पेश करे और यह भी कि जब तक उक्त वाद या अन्य कार्यवाही का निर्णय न हो जाय तब तक उक्त मुआवजा मध्यवर्ती को न दिया जाय।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में संस्थित या प्रारम्भ किये गये वाद या अन्य कार्यवाही में राज्य सरकार पक्षकार न बनाई जायेगी।

(4) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित वाद या अन्य कार्यवाही उपर्युक्त अवधि के भीतर संस्थित या प्रारम्भ हो जाय तो मुआवजा अधिकारी मुआवजा उस न्यायालय के, जिसमें उक्त वाद या अन्य कार्यवाही चल रही हो, अधिकार में दे देगा।

(5) यदि तीन मास की उपर्युक्त अवधि के भीतर उक्त वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित या प्रारम्भ न हो तो मुआवजा अधिकारी आज्ञा देगा कि मुआवजा मध्यवर्ती को ही दे दिया जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये "गुजारेदार" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत लेख, डिक्री या न्यायालय की आज्ञा या विधायन के अधीन गुजारा पाने के अधिकारी हों।

72. नियम बनाने की शक्ति—(1) इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) मुआवजे की धनराशि की धारा 70 के अधीन न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,

(ख) वे विषय, जो विहित किये जाने वाले हों और विहित किये जायं।

अध्याय 5

पुनर्वासन अनुदान

73. पुनर्वासन अनुदान का भुगतान किया जाना— (ठेकेदार के अतिरिक्त) प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके आस्थान इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्वासन अनुदान दिया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर ऐसे क्षेत्रों में स्थित, जिनमें यह अधिनियम लागू हो, उस मध्यवर्ती के सब आस्थानों के सम्बन्ध में देय कुल भू-राजस्व दस हजार रुपये से अधिक रहा हो, तो उसको ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा:

[1][परन्तु यह और कि धारा 99 के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में उल्लिखित वर्गों के किसी भी वक्फ, न्यास अथवा विन्यास को उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे वक्फ, न्यास अथवा विन्यास द्वारा देय भू-राजस्व चाहे कितना भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायेगा।]

74. दिनांक जिससे अनुदान देय होगा—धारा 75 के अधीन पुनर्वासन अनुदान ऐसे दिनांक पर या ऐसे दिनांक से देय होगा, जिस पर मध्यवर्ती को ऐसे क्षेत्रों में जिनमें यह अधिनियम लागू होता हो, उसके सब आस्थानों के सम्बन्ध में दिया जाने वाला मुआवजा अवधारित हो जाय :

[2][परन्तु यह कि धारा 99 के खण्ड (क) तथा खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में उल्लिखित वक्फ, न्यास अथवा विन्यास को निहित होने के दिनांक से पुनर्वासन अनुदान देय होगा।]

75. विधिक प्रतिनिधियों का अनुदान पाने का अधिकारी होना—धारा 73 के अधीन पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती यदि मर जाय तो उसका विधिक प्रतिनिधि उक्त अनुदान पाने का अधिकारी होगा और पायेगा।

76. वक्फ, न्यास या विन्यास का वर्गीकरण—पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये सभी वक्फ, न्यास या विन्यास नीचे लिखे तीन वर्गों में रखे जायेंगे—

(क) ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास जो पूर्णत: धर्मोत्तर या दानोत्तर के प्रयोजन के लिए हो,

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1-7-1952 से) जोड़ा गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1-7-1952 से) जोड़ा गया।

(ख) ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास जो अंशत: धर्मोत्तर या दानोत्तर हों और अंशत: दूसरे प्रयोजनों के लिये हों,

(ग) ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास जो पूर्णत: ऐसे प्रयोजनों के लिये हों, जो धर्मोत्तर या दानोत्तर के प्रयोजन के लिए न हों,

स्पष्टीकरण—(1) किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के रहते हुये भी किसी वक्फ, न्यास या विन्यास की सम्पत्ति से होने वाले ऐसे लौभ के या लाभ के ऐसे भाग के विषय में, जो संस्थापक या उसके कुटुम्बियों अथवा उसके या उनके वंशजों के भरण-पोषण के उपयोग में आता हो या उसमें लाये जाने के लिये अभिप्रेत हो यह समझा जायगा कि वह धर्मोत्तर या दानोत्तर उपयोग में नहीं आता है और न वह उक्त उपयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—(2) दानोत्तर उद्देश्य वाली ऐसी संस्था, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तदर्थीय न्यास समझी जायेगी।

77. 8 अगस्त, 1946 को या उसके बाद हुये वक्फ, न्यास और विन्यास का न माना जाना—तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अर्जित किये गये किसी आस्थान या आस्थान के भाग के सम्बन्ध में कोई ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास जिसके विषय में आगे चलकर अपवाद न किया गया हो और जिसका 8 अगस्त, 1946 को या उसके बाद सृजन हुआ हो इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये वक्फ, न्यास या विन्यास नहीं माना जायेगा और प्रत्येक ऐसा आस्थान या आस्थान का भाग, जिसके सम्बन्ध में कोई वक्फ, न्यास या विन्यास इस प्रकार किसी मध्यवर्ती द्वारा किया गया हो, ऐसे मध्यवर्ती का ही माना जायेगा और उसके सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान इस प्रकार अवधरित किया जायगा मानो उक्त वक्फ, न्यास या विन्यास का सृजन हुआ ही न हो:

परन्तु यह कि ऊपरिलिखित किसी बात के होते हुये भी उक्त आस्थान या भाग के सम्बन्ध में दिया जाने वाला पुनर्वासन अनुदान, मुतवल्ली, न्यासी या ऐसे अन्य व्यक्ति को देय होगा, जिसको उक्त वक्फ, न्यास या विन्यास के प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त हो, न कि मध्यवर्ती को।

अपवाद—ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास जो पूर्णत: दानोत्तर के प्रयोजन के लिए हो तब मान लिया जायेगा, यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले में कोई और निर्देश न दे।

78. पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती—अधिकारिता युक्त किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अध्यधीन रहते हुये वह मध्यवर्ती जिसे अध्याय 3 और 4 के अधीन किसी आस्थान के सम्बन्ध में मुआवजा देय हो या दिया गया हो या पुनर्वासन अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे आस्थान का स्वत्वाधिकारी समझा जायेगा।

79. पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र—अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती [1][धारा 74 के अधीन अनुदान देय हो जाने के तीन वर्ष के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1958, के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो] अनुदान के अवधारित किये और दिये जाने के लिये पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को लिखित प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

[2][**79-क कतिपय दशाओं में कलेक्टर द्वारा प्रार्थना-पत्र**—(1) जहाँ कोई मध्यवर्ती जिसका उ० प्र० भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अधीन प्रार्थना-पत्र कलेक्टर के समक्ष ऋणों के परिशोधन के निमित्त विचाराधीन हो, पुनर्वासन अनुदान अपने को देय होने के दिनांक के नब्बे दिन के भीतर लिखित रूप

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा जोड़ा गया।

से प्रार्थना-पत्र न दे तो कलेक्टर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, विहित ढंग से, पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष अनुदान के अवधारित किये और दिये जाने के लिये, धारा 80 से 83 तक में किसी बात के अन्यथा होते हुये भी, प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उक्त अधिनियम की धारा 23-ख के अधीन ऐसे मध्यवर्ती के ऋणों के परिशोधन के निमित्त अधिकृत ऋणदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसा प्रार्थना-पत्र अवश्य देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र ऋणी मध्यवर्ती की ओर से प्रार्थना-पत्र समझा जायेगा और इस अध्याय के निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों की वह धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र हो।

(3) किसी ऐसे प्रतिबन्ध अथवा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो विहित किया जाय, कलेक्टर किसी व्यक्ति से लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे दस्तावेज, पेपर अथवा रजिस्टर प्रस्तुत करने की अथवा ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है, जो वह उपधारा (1) के अधीन अपने कर्त्तव्यों के ठीक से पालन के लिये आवश्यक समझे।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (3) के अधीन कोई दस्तावेज,पेपर अथवा रजिस्टर प्रस्तुत करने अथवा कोई सूचना देने की अपेक्षा की गई हो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 175 तथा 176 के अर्थ के अन्तर्गत ऐसा करने के लिये वैध रूप से बाध्य समझा जायेगा।]

80. धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र की अर्न्तवस्तु—धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित ब्यौरे दिये जायेंगे—

(क) ऐसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह अधिनियम लागू होता हो, प्रार्थी के सब आस्थानों के विवरण,

(ख) ऐसे सब आस्थानों की अध्याय 3 के अधीन अवधारित शुद्ध आस्तियाँ,

(ग) वह दिनांक, जिस पर या जिन पर मुआवजा अन्तिम रूप से अवधारित हुआ हो या प्रार्थी को दिया गया हो और उस मुआवजा की मात्रा,

(घ) निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर प्रार्थी द्वारा उसके पूर्वोक्त प्रत्येक आस्थान के सम्बन्ध में निर्धारित या निर्धारित समझा गया भू-राजस्व,

(ङ) यदि प्रार्थी संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब का अंग हो तो उसके पुत्र-पौत्र आदि या पितृ-पितामहादि क्रम में जीवित सब पुंजातीय वंशजों तथा पूर्वजों के नाम और ऐसे आस्थानों के, यदि कोई हों ब्यौरे जिनका इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये जाने के कारण मुआवजा अवधारित किया गया हो या ऐसे किसी वंशज या पूर्वज को दिया गया हो,

(च) यदि प्रार्थी वक्फ, न्यास या विन्यास हो, तो—

(i) वह वर्ग, जसमें धारा 76 के खण्ड (क) से (ग) तक के शब्दों में वह वक्फ, न्यास या विन्यास आता हो;

(ii) उसकी समस्त सम्पत्ति और आस्थानों से, चाहे वे इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये हों या नहीं, होने वाली कुल आय;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये आस्थान या आस्थानों से अलग आय;

(iv) धारा 76 के खण्ड (ख) में आने वाले वक्फ, न्यास या विन्यास के विषय में,

उसकी ऐसी आय, सम्पत्ति और आस्थान, जो पूर्णत: धर्मोत्तर या दानोत्तर अलग कर दिये गये हों, उपयोग में आते हों, या उपयोग में आने के लिये आशयित हों और उसकी ऐसी आय, सम्पत्ति और आस्थान, जो पूर्णत: ऐसे प्रयोजनों के लिये अलग कर दिये गये हों, उपयोग में आते हों या उपयोग में आने के लिये आशयित हों जो धर्मोत्तर या दानोत्तर से भिन्न हों,

(छ) वह अधिकार, जिसके आधार पर प्रार्थी अनुदान मांगता हो,

(ज) ऐसे दूसरे ब्यौरे जो विहित किये जायं।

81. धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का सत्यापन और उस पर हस्ताक्षर—धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर उस ढंग से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जायेगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में वाद-पत्रों के हस्ताक्षरण और सत्यापन के लिये विहित किया गया है।

82. धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र का प्रस्तुत किया जाना—(1) धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र स्वयं प्रार्थी का या यदि प्रार्थी वक्फ, न्यास या विन्यास हो या अवयस्क अथवा ऐसे व्यक्ति हों, जो किसी अन्य विधिक अक्षमता से ग्रस्त हो तो मुतवल्ली, न्यासी, प्रबन्धक या अभिरक्षक का, यथास्थिति होगा, और उसमें यह लिखा होगा कि इसके पहले ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था और न दिया गया है और यह भी कि प्रार्थी को अब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई पुनर्वासन अनुदान नहीं दिया गया है।

(2) प्रत्येक ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ प्रत्येक आस्थान के विषय में, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन मुआवजा अन्तिम रूप से अवधारित किया जा चुका हो या दिया जा चुका हो, [1][* * *] मुआवजा निर्धारण तालिका की प्रतिलिपि होगी।

83. प्रार्थना-पत्र में मिथ्या कथन के लिय दण्ड—यदि धारा 81 में वर्णित सत्यापन में कोई व्यक्ति ऐसा कथन करे, जो मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या होना जानता हो या जिसके मिथ्या होने का उसे विश्वास हो या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास न हो, तो यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

84. धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र का दाखिल किया जाना—धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसे पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को दिया जायेगा, जिसकी अधिकारिता में प्रार्थी साधारणत: रहता हो तथा वक्फ, न्यास, विन्यास या निगम के मामले में उसको जिसकी अधिकारिता में उसका मुख्य कार्यालय हो।

स्पष्टीकरण—यदि प्रार्थी किसी भी पुनर्वासन अनुदान अधिकारी की अधिकारिता मे साधारणत: न रहता हो, तो प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान अधिकार को दिया जायेगा, जिसकी अधिकारिता में आस्थान स्थित हो या हों।

85. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई की तारीख—(1) यदि प्रार्थना-पत्र यथोचित रूप में हो और सम्यक् रूप में प्रस्तुत किया गया हो और ऐसी प्राथमिक जांच के पश्चात, जो विहित की जाय, पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को सन्तोष हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को विचारार्थ ग्रहण करने के लिये आधार है, तो वह उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा और प्रार्थना-पत्र का तथा उसकी सुनवाई के लिए निश्चित दिनांक का नोटिस—

(क) प्रार्थी पर और ऐसे व्यक्ति पर, जिसको उसके विचार से प्रार्थना-पत्र का विशेष नोटिस दिया जाना चाहिये, तामील कराएगा, और

(ख) अपने कार्यालय के किसी प्रमुख भाग पर लगवाएगा।

(2) किसी वक्फ, न्यास या विन्यास के मामले में निर्वासन अनुदान अधिकारी राजपत्र में और ऐसे अन्य ढंग से, जो विहित किया जाय, एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा, जिसमें सब स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को आपत्ति, यदि कोई हो, विहित समय के भीतर करने का आदेश होगा।

(3) जहाँ किसी मध्यवर्ती का मुआवजा निर्धारण तालिका में धारा 36 के अधीन किया गया कोई विवाद के मामले में कोई प्रविष्टि अंतर्विष्ट हो या कोई व्यक्ति धारा 35 में निर्दिष्ट प्रकार के वाद या अन्य कार्यवाही

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 की धारा 12 द्वारा लोपित।

से संबंध रखने वाले वादपत्र या आपत्ति-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, तो यदि ऐसे वाद या कार्यवाही के परिणाम से धारा 98 के अधीन अवधारित किए जाने वाले गुणाकार पर प्रभाव पड़ने वाला हो या उसके पड़ने की संभावना हो, तो पुनर्वासन अनुदान अधिकारी उस प्रार्थना-पत्र की सुनवाई स्थगित कर देगा।

86. धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति—कोई स्वत्व रखने वाला व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक पर या उससे पहले प्रार्थना-पत्र के किसी प्रविष्टि की विशुद्धता या प्रकार पर आक्षेप के रूप में, या उसमें किसी बात के छूट जाने के संबंध में, आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकता है, यदि ऐसी प्रविष्टि या छूट का प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ता हो, या उसके पड़ने की संभावना हो—

(क) वक्फ, न्यास या विन्यास के अन्तर्गत संपत्ति या आस्थानों का अवधारण;

(ख) ऐसी संपत्ति या आस्थान का अवधारण, जो धर्मोत्तर या दानोत्तर अलग कर दी गई हो,उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिये आशयित हो;

(ग) ऐसे आस्थान या संपत्ति की ऐसी आय या आय के भाग का अवधारण, जो धर्मोत्तर या दानोत्तर अलग कर दी गई हो या उपयोग मे आती हो; और

(घ) प्रार्थी को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा का अवधारण:

परन्तु यह कि जहाँ तक कोई आपत्ति आस्थानों के संबंध में अध्याय 3 के अधीन अवधारित सकल या शुद्ध आस्तियों की मात्रा की शुद्धता पर आक्षेप के रूप में होगी वहाँ तक वह ग्राह्य नहीं होगी।

87. आपत्ति-पत्रों का रजिस्ट्रीकरण और पक्षकारों को नोटिस—यदि पुनर्वासन अनुदान मांगने वाले एक से अधिक हों या यदि धारा 86 के अधीन कोई आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया हो, तो पुनर्वासन अनुदान अधिकारी ऐसे दावों या आपत्ति-पत्रों को विहित ढंग से रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों पर ऐसे प्रत्येक दावे या आपत्ति पत्र की प्रतिलिपि सहित नोटिस तामील करके या कराके उन्हें आदेश देगा कि वे धारा 85 के अधीन निश्चित किये गये सुनवाई के दिनांक पर उपस्थित होकर उसका उत्तर दें।

88. आपत्ति-पत्रों की जाँच और निस्तारण—इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक पर या ऐसे दिनांक पर जिसके लिए सुनवाई बढ़ा दी गई हो, पुनर्वासन अनुदान अधिकारी दावों और आपत्ति पत्रों की जाँच और उनका निस्तारण करेगा।

89. प्रबन्ध परिव्यय—किसी दस्तावेज में या वक्फ, न्यास या विन्यास के प्रशासन की स्कीम में किसी बात के होते हुए भी पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रबन्ध और अन्य परिव्ययों के निमित्त वही धनराशि या धनराशियां दिलाएगा जो विहित की जाये।

90. आस्थान के विषय में अन्तरण या बटवारे की वैधता की जाँच—धारा 79 के अधीन दाखिल प्रार्थना-पत्र और धारा 86 के अधीन प्रस्तुत आपत्ति-पत्र का निर्णय करते समय पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रत्येक आस्थान के ऐसे अन्तरण या बंटवारे की वैधता की जांच करेगा, जो धारा 23 और 37 के प्रावधानों के अनुकूल प्रार्थी के पक्ष में या उसके द्वारा या उसकी ओर से किया गया हो, और पुनर्वासन अनुदान के निमित्त प्रार्थी को देय धनराशि घोषित करने में वह ऐसे अन्तरण या बंटवारे पर विचार नहीं करेगा।

91. आपत्ति पत्रों के निस्तारण के संबंध में आज्ञा—दावों और आपत्ति-पत्रों के निस्तारण के संबंध में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा में ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किए जाएं।

92. आस्थानों के विवरण—धारा 86 के अधीन दाखिल की गई आपत्तियों के निर्णय के बाद तथा धारा 90 के अधीन जाँच पूरी हो जाने पर पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रार्थी के विषय में एक ऐसा विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्न ब्यौरे दिए जाएंगे—

(क) ऐसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह अधिनियम लागू हो, प्रार्थी के समस्त आस्थानों के ब्यौरे,

(ख) ऐसे समस्त आस्थानों की अध्याय 3 के अधीन अवधारित शुद्ध आस्तियाँ,

(ग) निहित होने की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर ऐसे समस्त आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझे गये कुल भू-राजस्व,

(घ) जहाँ प्रार्थी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का अंग है, तो समस्त ऐसे स्थानों के ब्यौरे, जिनके विषय में प्रार्थी या उसके पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज या पर्वज को मुआवजा देय हो या दिया गया हो, ऐसे समस्त आस्थानों को अध्याय 3 के अधीन अवधारित शुद्ध आस्तियों तथा पूर्वोक्त दिनांक पर ऐसे समस्त आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझे गए भू-राजस्व, और

(ङ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जायं।

93. वक्फ, न्यास या विन्यास के संबंध में विवरण—वक्फ, न्याय या विन्यास के विषय में धारा 92 के अधीन तैयार किये जाने वाले विवरण में उस वर्ग का उल्लेख होगा, जिसमें धारा 76 के अधीन किये गये वर्गीकरण के अनुसार वह आता हो और यदि वह वक्फ, न्याय या विन्यास उक्त धारा के वर्ग (ख) में आता हो, तो निम्नलिखित और ब्यौरों का भी उल्लेख होगा—

(क) उसके अन्तर्गत समस्त सम्पत्ति और आस्थानों के ब्यौरे,

(ख) ऐसी सम्पत्ति और आस्थान जो—

(i) ऐसे प्रयोजन के लिए पूर्णत: अलग कर दिये गये हों जो धर्मोत्तर या दानोत्तर हों,

(ii) ऐसे प्रयोजनों के लिये पूर्णत: अलग कर दिए गए हैं जो धर्मोत्तर या दानोत्तर से भिन्न हो,

(iii) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए भी पूर्णत: अलग न किए गए हों।

(ग) अलग-अलग ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति या आस्थान से होने वाली सकल और शुद्ध आस्तियाँ,

(घ) खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) में वर्णित सम्पत्ति और आस्थानों से होने वाली कुल आय के वे भाग, जो

(i) धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हों; और

(ii) धर्मोत्तर या दानोत्तर से भिन्न, प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हैं; या आने के लिए आशयित हों।

(ङ) कुल आय के उस अंश का, जिसका उल्लेख खण्ड (घ) के उपखण्ड (i) में है और उस कुल आय का, जिसका उल्लेख खण्ड (घ) के उपखण्ड (ii) में है, अनुपात,

(च) (i) खण्ड (घ) के उपखण्ड (i) में वर्णित आस्थानों की शुद्ध आस्तियाँ

(ii) खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में वर्णित आस्थानों की शुद्ध आस्तियाँ

(iii) खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित ऐसे आस्थानों की शुद्ध आस्तियाँ, जिनकी आय धर्मोत्तर या दानोत्तर उपयोग में आती है या आने के लिये है,

(iv) खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित ऐसे आस्थानों की शुद्ध आस्तियाँ जिनकी आय धर्मोत्तर या दानोत्तर से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में आती है या आने के लिये है,

(छ) आस्थानों की ऐसी शुद्ध आस्तियों का जोड़, जो

(i) धर्मोत्तर या दानोत्तर,

(ii) धर्मोत्तर या दानोत्तर से भिन्न,

प्रयोजनों के लिये, अलग कर दी गयी हो, उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिये आशयित हो,

(ज) खण्ड (छ) के उपखण्ड (i) और (ii) में आने वाले आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझे गए भू-राजस्व।

94. धारा 93 के अधीन सम्पत्ति के वर्गीकरण और कुल आय के विभाजन के सिद्धान्त—धारा 93 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति और आस्थानों का वर्गीकरण और उक्त धारा के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिये कुल आय का विभाजन करते समय पुनर्वासन अनुदान अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) वक्फ, न्यास या विन्यास के संस्थापक की, यदि कोई इच्छा हो, तो उसका,

(ख) सम्पत्ति और आस्थानों की आय के उन भागों का जो इन प्रयोजनों में सामान्य रूप से उपयोग किये और लगाये गये हों,

(ग) न्याय, साम्या और शुद्ध अन्तःकरण के सिद्धान्तों का।

95. आस्थान की शुद्ध आस्तियों का विभाजन—धारा 93 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिये उक्त धारा के खण्ड (च) के उपखण्ड (iii) और (iv) में वर्णित आस्थानों की शुद्ध आस्तियों का विभाजन करते समय पुनर्वासन अनुदान अधिकारी शुद्ध आस्तियों को उक्त धारा के खण्ड (ङ) में उल्लिखित अनुपात में विभाजित करेगा।

96. धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों या अन्य प्रयोजनों के लिये आस्थानों के भू-राजस्व का अवधारण—ऐसे अस्थानों के संबंध में, जिनकी आय—

(क) धर्मोत्तर या दानोत्तर, और

(ख) धर्मोत्तर या दानोत्तर, से भिन्न,

प्रयोजनों के लिये उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिए आशयित हो, निर्धारित या निर्धारित समझे गए भू-राजस्व अवधारित करने के लिये धारा 93 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित समस्त अस्थानों पर निर्धारित भू-राजस्व उक्त धारा के खण्ड (ङ) में वर्णित अनुपात में विभाजित किये जायेंगे।

97. पुनर्वासन अनुदान की रकम का अवधारण—धारा 92 के अधीन विवरण तैयार हो जाने पर पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रत्येक मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की रकम अवधारित करेगा।

98. अनुदान की रकम—वक्फ, न्यास या विन्यास की दशा को छोड़कर और ऐसे उपान्तिक समायोजनों के साथ, जो विहित किये जायं, किसी मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की रकम धारा 92 के अधीन तैयार किये गये विवरण में वर्णित शुद्ध आस्तियों का ऐसा गुणाकार होगी, जो अनुसूची 1 में दी हुई सारणी के अनुसार लागू हो।

99. वक्फ, न्यास या विन्यास के विषय में पुनर्वासन अनुदान की मात्रा—वक्फ, न्यास या विन्यास के विषय में देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा निम्नलिखित होंगी—

(क) यदि वक्फ, न्यास या विन्यास धारा 76 में वर्णित वर्ग (क) में आता हो, तो ऐसी वार्षिक वृत्ति जो ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास के अन्तर्गत सभी आस्थानों की पक्की निकासी में से वक्फ, न्यास या विन्यास को देय मुआवजे पर $2^1/_2$ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज घटाकर बची धनराशि के बराबर हो,

(ख) यदि वक्फ, न्यास या विन्यास धारा 76 में वर्णित वर्ग (ग) में आता हो, तो वह धनराशि जो धारा 98 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,

(ग) यदि वक्फ, न्यास या विन्यास धारा 76 में वर्णित वर्ग (ख) में आता हो तो—

(i) धारा 93 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (i) में वर्णित आस्थानों के संबंध में ऐसी वार्षिक वृत्ति जो खण्ड (क) में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,

(ii) धारा 93 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (ii) में वर्णित आस्थानों के संबंध में ऐसी धनराशि, जो धारा 98 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार लगाई जाय।

100. कतिपय वर्गों के मध्यवर्तियों की दशा में पुनर्वासन अनुदान—मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के स्थायी पट्टेदार के विषय में इस अध्याय के प्रावधान ऐसे प्रासंगिक परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ, जो विहित किये जायं, लागू होंगे।

[1][**100-क. कतिपय वक्फों, न्यासों और विन्यासों की वार्षिक वृत्ति के पुनः अवधारण के लिए विशेष उपबंध**—(1) जहाँ कि किसी व्यक्ति ने, जो धारा 76 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी वक्फ, न्यास या विन्यास की ओर से कार्य कर रहा हो या कार्य करना अभिप्रेत हो, धारा 99 के अधीन उस वक्फ, न्यास या विन्यास को देय वार्षिक वृत्ति का दावा करने का लोप किया हो, अथवा उसके संबंध में गलत दावा किया हो, अथवा उस वक्फ, न्यास या विन्यास को देय वार्षिक वृत्ति का अवधारण करने में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा कोई गलती की गयी हो, और ऐसे लोप, गलत दावे या त्रुटि के परिणामस्वरूप उसे देय के रूप में अवधारित धनराशि उक्त धारा 99 के अधीन वास्तव में, देय धनराशि से कम हो, अथवा इस प्रकार अवधारित धनराशि वार्षिक वृत्ति के रूप में न हो, वहाँ, उस वक्फ, न्यास या विन्यास की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति उस वक्फ, न्यास या विन्यास को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय वार्षिक वृत्ति की धनराशि के पुनः अवधारण के लिए प्रार्थना-पत्र पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र [2][30 जून, 1972 को या इसके पूर्व] दाखिल किया जा सकता है और वह ऐसे प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए, और इस अधिनियम या तदधीन बनाए

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1969 की धारा 2 द्वारा धारा 100-क और 100-ख अन्तःस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

गए नियमों के प्रावधानों में उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो पूर्वोक्त प्रार्थना-पत्र धारा 79 के अधीन प्रार्थना-पत्र था :

परन्तु यह कि किसी वक्फ, न्यास या विन्यास को देय धनराशि का पुनः अवधारण करने में, उस आस्थान के संबंध में, जिससे प्रार्थना-पत्र संबंधित हो नकद या बन्धपत्रों के रूप में अथवा अंशतः नकद और अंशतः बन्धपत्रों के रूप में पहले ही दी गयी अथवा इस प्रकार देय के रूप में पहले अवधारित की गयी धनराशि, यथास्थिति कम कर दी जाएगी अथवा समायोजित कर दी जायेगी।

(3) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी अन्य उपबंध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे।

100-ख. कतिपय वक्फों, न्यासों और विन्यासों के लिए विशेष अनुतोष—(1) प्रत्येक ऐसे वक्फ, न्यास या विन्यास को—

(क) जो पूर्णतः धर्मोत्तर या दानोत्तर, प्रयोजनों के लिए हो; और

(ख) जो 8 अगस्त, 1946 के पूर्व सृजित किया गया हो; और

(ग) जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी ऐसे आस्थान में थी जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गया हो, किसी भूमि के संबंध में अभ्यर्पिती या अनुदान गृहीता के रूप में भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार रखता था—

इस बात के होते हुए भी कि उसका नाम उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का 3) की धारा 32 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) से (घ) तक के अधीन रखे गए अधिकार अभिलेख में अभिलिखित नहीं किया गया था, और तद्नुसार वह इस अधिनियम के अधीन कोई मुआवजा तथा पुनर्वासन अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, निहित होने के दिनांक से ऐसी वार्षिक वृत्ति का भुगतान किया जाएगा जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्वोक्त रूप में उसे देय वार्षिक भू-राजस्व में से उसका पंद्रह प्रतिशत, अनुमानित प्रबन्ध व्यय तथा डूबंत ऋणों के कारण, काट कर शेष के बराबर होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई वक्फ, न्यास या विन्यास [1][30 जून, 1972 को या इसके पूर्व] उपधारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(3) इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, जहाँ तक कि उनका संबंध पुनर्वासन अनुदान के अवधारण तथा भुगतान से है, उपधारा (1) के अधीन वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।]

101. अपील—पुनर्वासन अनुदान अधिकारी की ऐसी आज्ञा के विरुद्ध जिसके द्वारा उसने धारा 85 के अधीन दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया हो या धारा 88 के अधीन किसी आपत्ति पत्र का निस्तारण किया हो अथवा जो धारा 90, [2][98, 99, 100-क या 100-ख] के अधीन दी गई हो जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकेगी।

[3][**101-क. सिविल न्यायाधीशों को अपील अंतरित करने का अधिकार**—(1) जिला न्यायाधीश अपने समक्ष विचाराधीन पुनर्वासन अनुदान अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा 101 के

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 40 सन् 1969 द्वारा शब्द और अंक "98 या 99" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

अधीन किसी अपील को अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी सिविल न्यायाधीश को अन्तरित कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन अन्तरित अपीलों का निस्तारण जिला न्यायाधीश द्वारा धारा 101 के अधीन अपील का निस्तारण करने की प्रक्रिया के अनुसार होगा।]

102. पुनरीक्षण—इस बात के विषय में अपने सन्तोष के लिये कि धारा 101 के अधीन अपील के निर्णय में जिला न्यायाधीश की आज्ञा [1][या धारा 101-क के अधीन सिविल न्यायाधीश की आज्ञा, यथास्थिति] विधि के अनुसार है या नहीं, उच्च न्यायालय उक्त अपील का अभिलेख मंगाकर उस विषय में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह युक्तियुक्त समझे ।

103. "भू-राजस्व" की परिभाषा—इस अध्याय में भू-राजस्व" पद के अन्तर्गत माताहतदार, दवामी काश्तकार तथा अवध में स्थायी पट्टेदार द्वारा प्रवर स्वामी या स्वामी को यथास्थिति, देय लगान भी सम्मिलित है।

104. अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया—अध्याय 4 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ पुनर्वासन अनुदान के भुगतान पर भी लागू होंगे।

105. नियम बनाने की शक्ति—(1) इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) यह अवधारित करने की प्रक्रिया कि कोई वक्फ, न्यास या विन्यास धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रकृति के हैं या नहीं;

(ख) धारा 97 के अधीन किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का प्ररूप और प्रक्रिया;

(ग) धारा 82 के अधीन शपथ पत्र का प्ररूप और उसे प्रस्तुत करने का ढंग;

(घ) धारा 85 के अधीन प्रकाशित होने वाले सामान्य नोटिस का प्ररूप;

(ङ) वह प्ररूप और प्रक्रिया, जिसमें धारा 85 और 86 के अधीन आपत्ति पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे;

(च) धारा 88 के अधीन प्रस्तुत किये गए आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) धारा 89 के अधीन दिलाये जाने वाले प्रबन्ध परिव्ययों के अवधारण का ढंग;

(ज) धारा 90 के अधीन जांच की प्रक्रिया;

(झ) धारा 92 और 93 के अधीन तैयार किये जाने वाले विवरणों का प्ररूप और उन्हें तैयार करने का ढंग,

(ञ) वे विषय, जो विहित किये जाने वाले हैं और विहित किये जायं।

अध्याय 6

खान और खनिज पदार्थ

106. खानों के संचालन का इस अध्याय द्वारा नियमित (शासित) होना—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी खानों को चलाने और उनसे खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार निहित होने की तिथि से इस अध्याय के प्रावधानों द्वारा नियमित (शासित) होगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा जोड़ा गया।

107. मध्यवर्ती द्वारा चलाई जाने वाली खानें—(1) निहित होने की तिथि से ऐसी सब खानों के मामले में, जो इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों और उक्त तिथि से ठीक पूर्व की तिथि पर चालू रही हों तथा जिन्हें मध्यवर्ती स्वयं चला रहा हो मध्यवर्ती के ऐसा चाहने पर यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती को पट्टे पर दे दी गई है और ऐसे मध्यवर्ती को उन खानों को पट्टेदार के नाते अपने कब्जे में रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले उक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार और मध्यवर्ती के बीच तय हो जायं या यदि इस प्रकार तय न हो पायें, तो वे जिन्हें धारा 110 के अधीन नियुक्त खान अधिकरण तय कर दे :

परन्तु यह कि ऐसे सब प्रतिबन्ध और शर्तें चलाने के नये पट्टों के प्रदान को नियमित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी।

108. खानों और खनिज पदार्थों के चालू पट्टे—(1) यदि किसी आस्थान या आस्थानों के निहित होने की तिथि से ठीक पहले उक्त आस्थान या आस्थानों के अथवा उसके या उनके किसी भाग के अन्तर्गत किसी खान या खनिज पदार्थों का कोई चालू पट्टा वर्तमान हो, तो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत सम्पूर्ण आस्थान या आस्थानों के अथवा उसके या उनके उस भाग के विषय में यह समझा जायेगा कि निहित होने के दिनांक से राज्य सरकार ने उसे उस चालू पट्टे के पट्टेदार के पक्ष में पट्टे की शेष अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया है और ऐसे पट्टेदार को उस पट्टे की सम्पत्ति अपने कब्जे में रखने का अधिकार रहेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये पूर्वोक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ वे ही होंगे, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट चालू पट्टे के थे, किन्तु उनमें एक प्रतिबन्ध यह और होगा कि यदि राज्य सरकार का यह मत हो कि पट्टेदार ने इस अधिनयम के प्रारम्भ की तिथि से पहले कोई पूर्वेक्षण या विकास कार्य नहीं किया है, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उक्त दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय तीन मास की लिखित नोटिस देकर पट्टे को समाप्त कर दे :

परन्तु यह कि वर्तमान खान सम्बन्धी पट्टों के उपांतरणों का विनियमन करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों में कोई उपांतरण करने में इस धारा में कही गई कोई बात बाधक नहीं समझी जायेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खान और खनिज पदार्थों के पट्टेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि भूतपूर्व मध्यवर्ती से इस आधार पर कोई क्षतिपूर्ति मांग सके कि उक्त खान और खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा दिये गये पट्टे की शर्तें इस अधिनियम का प्रचालन प्रारम्भ हो जाने के कारण पूरी किये जाने के योग्य नहीं रह गई हैं।

109. खानों से सम्बद्ध भवन और भूमि—जहाँ किसी आस्थान या आस्थानों के अधीन खानों और खनिज पदार्थों का कोई पट्टा धारा 107 या 108 के कारण राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ समझा जाय, तो ऐसे सब भवन और भूमि, जो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत न हों, उस भूमि के सहित, जिस पर खान सम्बन्धी कोई निर्माण, मशीनरी, ट्रामवे या साइडिंग स्थित हों, आस्थान या आस्थानों के निहित होने के दिनांक से राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर दे दी गई समझी जायेगी, चाहे वे उस आस्थान के अन्तर्गत हों या ऐसी

किसी दूसरे आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों, जो इस अधिनियम के प्रचालन में आने के कारण राज्य में निहित हो गये हों और पट्टे के अन्तर्गत खानों के चलाने और खनिज पदार्थों के निकालने से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिये पट्टेदार के उपयोग और कब्जे में हो और पट्टेदार को अधिकार होगा कि वह ऐसे सब भवन और भूमि ऐसे युक्तियुक्त और न्याय लगान पर अपने कब्जे में रखे, जो राज्य सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो या यदि तय न हो, तो उस लगान पर, जिसे धारा 110 के अधीन नियुक्त खान अधिकरण निश्चित कर दे।

110. खान अधिकरण—(1) धारा 107, 109 और 111 के प्रयोजनों के लिये नियुक्त प्रत्येक खान अधिकरण में एक अध्यक्ष और एक सदस्य होगा, जिनमें से पहला कोई जिला न्यायाधीश और दूसरा कोई खान विशेषज्ञ होगा और दोनों राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) धारा 107 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों के तय करने में खान अधिकरण को यह अवधारित करने का अधिकार रहेगा कि कितनी सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई समझी जाय।

(3) अधिकरण उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय।

(4) यदि किसी विषय पर अध्यक्ष और सदस्य में कोई मतभेद हो, तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के पास वह विषय अभिदेश के लिये भेज देगा और अधिकरण ऐसे न्यायाधीश के निर्णय से बाध्य होगा।

111. खानों और खनिज पदार्थों के पट्टे का समय से पहले समाप्त हो जाने के निमित्त मुआवजा—(1) जहाँ धारा 108 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त प्रतिबन्ध अनुसरण में खानों या खनिज पदार्थों का कोई पट्टा राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाय, तो समय से पूर्व पट्टे की समाप्ति के निमित्त पट्टेदार, राज्य सरकार से ऐसा मुआवजा पाने का अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो जाय या इस प्रकार तय न होने पर, जो धारा 110 के अधीन नियुक्त खान अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मुआवजा अवधारित करते समय अधिकरण और बातों के साथ उस मामले की असलीयता का और ऐसे काल का, जिस तक वह पट्टा चालू रह चुका है, ध्यान रखेगा।

112. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

भाग 2

अध्याय 7

गाँव सभाएँ और भूमि प्रबन्धक समितियाँ

[1][113. [* * *]

114. [* * *]

115. [* * *]

116. [* * *]]

[2][117. **कुछ भूमि आदि का गाँव सभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना**—(1) धारा 4 में उल्लिखित अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राज्य सरकार,

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा धारा "113 से 116" तक लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा,] यह घोषित कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से निम्नलिखित सभी या कोई वस्तु, अर्थात्—

(i) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं;

(ii) जंगल;

(iii) जोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर, अन्य सभी पेड़;

(iv) मीनाशय;

(v) ऐसी भूमि पर, जिन पर धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के प्रावधान लागू होते हों अथवा धारा 9 में निर्दिष्ट स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले; और

(vi) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां, रास्ते और आबादी के स्थल—

जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस सम्पूर्ण गाँव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित गाँव सभा या किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी में, अथवा अंशत: एक ऐसे स्थानिक प्राधिकारी (जिसमें गाँव सभा भी सम्मिलित है) और अंशत: दूसरे में निहित हो जायेंगे :

परन्तु राज्य सरकार के लिए पूर्वोक्त प्रख्यापन ऐसे अपवादों तथा प्रतिबन्धों के अधीन करना वैध होगा जिन्हें [2][ऐसे आदेश में निर्दिष्ट] किया जाय।

(2) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार [3][सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा,] प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (1) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के पश्चात् किसी गाँव सभा अथवा किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी में, या तो इस अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 126 के अधीन निहित कर दिये गये हों, ऐसे सम्पूर्ण गाँव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी (जिसमें गाँव सभा भी सम्मिलित है) में निहित हो जायेंगे।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को किसी गाँव सभा में निहित करने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा की गई हो, और ऐसे गाँव या गाँव का भाग, जिसमें वह वस्तु स्थित हो, गाँव सभा के मण्डल के बाहर हो, तो ऐसी गाँव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति, उस वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम अथवा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, गाँव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो मानो वह गाँव या गाँव का भाग भी उस मण्डल के अन्दर स्थित हो।

(4) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को गाँव सभा से भिन्न किसी स्थानिक प्राधिकारी में निहित करने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा की

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 3 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा शब्द "अधिसूचना में निर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापति।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 3 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

गई हो और ऐसा गाँव अथवा गाँव का भाग जिसमें वह वस्तु स्थित हो ऐसे स्थानिक प्राधिकारी की सीमाओं के बाहर हो, अथवा यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा के हो जाने के पश्चात् वह वस्तु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 126 के अधीन नगर महापालिका में निहित हो जाय, या जैसी स्थिति हो, निहित हो चुकी हो, तो ऐसा स्थानिक प्राधिकारी उस वस्तु के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम अथवा उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उनके अधीन गाँव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो :

परन्तु यह कि स्थानिक प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित किया जाय।

(5) यदि उपधारा (1) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु गाँव सभा से भिन्न किसी स्थानिक प्राधिकारी में निहित हो जाय तो धारा 126 तथा 127 के प्रावधान ऐसे किन्हीं अपवादों तथा उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार [1][सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित रीति से प्रकाशित करेगी] तदर्थ निर्दिष्ट करे, ऐसे स्थानिक प्राधिकारी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार किसी भी समय [2][सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित रीति से प्रकाशित करेगी] जो पूर्वोक्त किसी वस्तु के सम्बन्ध में, या तो सामान्यतया अथवा किसी गाँव सभा या अन्य स्थानिक प्राधिकारी के सम्बन्ध में, की गई किसी [3][घोषणा, अधिसूचना या आदेश] को संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है, और ऐसी वस्तु को वापस ले सकती है और जब कभी राज्य सरकार कोई ऐसी वस्तु इस प्रकार वापस ले ले तो, यथास्थिति, गाँव सभा या स्थानिक प्राधिकारी उस वस्तु में अथवा उस वस्तु पर उसके द्वारा किये गये केवल विकास कार्य ही के कारण, यदि कोई हो, मुआवजा पाने का हकदार होगा और उसको उसी के लिए मुआवजा दिया जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस प्रकार वापस लेने के पश्चात्, वापस ली गयी वस्तु को उसी या किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी (जिसके अन्तर्गत गाँव सभा भी है) में निहित करने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नई घोषणा कर सकती है, और यथास्थिति, उपधारा (3), (4) और (5) के प्रावधान ऐसी घोषणा पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

टिप्पणी

अधिसूचना—जारी करना—जहाँ भूमि गाँव सभा से सम्बन्धित नहीं है, वहाँ अवधारित किया गया था कि जारी की गयी अधिसूचना अवैध थी और समर्थनीय नहीं थी।[4]

भूमि की कुर्की—सक्षम प्राधिकारी या तो भूमि प्रबन्धक समिति या गाँव सभा की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 117 के अधीन आच्छादित भूमि को आवंटित कर सकता है किन्तु अधिनियम की धारा 132 के अधीन आच्छादित भूमि किसी व्यक्ति के पक्ष में आवंटित नहीं की जा सकती।[5]

ग्राम पंचायत में निहित होना—अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सम्पत्ति का निहित होना निर्देश, प्रबन्धन और नियंत्रण के सम्बन्ध में है और न कि पूर्ण निहित होने में, चाहे जो भी हो, कोई स्वामित्व ग्राम पंचायत में निहित नहीं है।[6]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 की धारा 2 द्वारा शब्द "घोषणा या अधिसूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. *ओम प्रकाश* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2005 (98) आर० डी० 427 (एच० सी०)।
5. *राजपति देवी* बनाम *कलेक्टर, देवरिया*, 2003 (94) आर० डी० 502 : 2003 आर० एन० एस० 611 : 2003 (1) यू० पी० आर० जे० 679 : 2003 आर० आर० 412 (एच० सी०)।
6. *विनोद कुमार पाण्डेय* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2005 (99) आर० डी० 490 (एच० सी०)।

भूमि का पुनर्ग्रहण—जहाँ उसी प्रयोजन के लिए भूमि से पुनर्ग्रहण को चुनौती दी गयी थी, वहाँ सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष शिकायत करने का निर्देश दिया गया था।[1]

इस धारा की उपधारा (1) और (6) के अध्ययन पर, चारागाह, तालाब, जलमग्न भूमि, रास्ता और विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि को पुनः ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति पर कोई अवरोध नहीं है। गाँव सभा का एक मात्र अधिकार प्रतिकर प्राप्त करना है।[2]

वर्तमान मामले में, धारा 122-ख (4-च) के प्रावधान लागू नहीं थे और इसलिए यह इस धारा की उपधारा (6) के अधीन भूमि का पुनः ग्रहण करने के लिए राज्य के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।[3]

धारा के अधीन अधिसूचना—अभिखण्डित करने की शक्ति—विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक विशिष्ट प्राधिकार में करने की शक्ति, उसी प्राधिकारी को अधिसूचना को अकृत करने के लिए सशक्त करता है। अधिनियम की धारा 117 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार, न कि पंचायत राज का निदेशक अधिसूचना को रद्द करने की शक्ति रखती है।[4]

[5][**117-क. गांव सभा या अन्य स्थानिक प्राधिकारी द्वारा राज्यक्षेत्रातीत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान**—(1) जहाँ—

(क) किसी गाँव सभा के मण्डल के भीतर स्थित कोई गाँव अथवा गाँव का कोई भाग 7 जुलाई, 1949 के पश्चात् किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी (जो गाँव सभा न हो) की सीमाओं में सम्मिलित हो जाता है; या

(ख) किसी अन्य स्थानिक प्राधिकारी (जो गाँव सभा न हो) की सीमाओं के भीतर स्थित कोई गाँव अथवा गाँव का भाग 7 जुलाई, 1949 के पश्चात् किसी गाँव सभा के मण्डल में सम्मिलित हो जाता है; या

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (vi) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु उक्त धारा के अधीन किसी ऐसी गाँव सभा या अन्य स्थानिक प्राधिकारी में, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न हो, निहित की गई हो—

तो राज्य सरकार, [6][साधारण या विशेष आदेश द्वारा जो विहित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा] यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे गाँव या उसके भाग के भीतर जोत के क्षेत्र के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (ग) की दशा में ऐसे गाँव या उसके भाग के शेष के भीतर, जिसके सम्बन्ध में उक्त खण्ड में निर्दिष्ट वस्तु हो, ऐसी गाँव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति अथवा अन्य स्थानिक प्राधिकारी, जो [7][ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट] किया जाय, ऐसे किन्हीं अपवादों, प्रतिबन्धों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम या उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन किसी गाँव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित, उसे अधिरोपित या प्रदत्त हों।

(2) कोई गाँव सभा या अन्य स्थानिक प्राधिकारी जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, 1965 के आरम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र या वस्तु के सम्बन्ध में उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकार के कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन या अधिकारों का प्रयोग कर रही हो तब तक ऐसे कृत्यों का सम्पादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करती रहेगी जब तक कि

---

1. *महावीर सिंह बनाम राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल*, 2002 (93) आर० डी० 197 : 2003 आर० एन० एस० 180 : 2002 (2) यू० पी० आर० जे० 1307 : 2002 (4) ए० डब्ल्यू० सी० 3162 (एच०) (बी० आर०)।
2. *देव नाथ यादव बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (111) आर० डी० 145 : 2010 (6) ए० डब्ल्यू० सी० 5742 : 2010 (7) ए० डी० जे० 306 : 2010 (5) ए० एल० जे० 321 : 2010 (2) ए० सी० जे० 1437 (एच० सी०)।
3. *महेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (111) आर० डी० 725 (एच० सी०)।
4. ***यतीन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू० पी०*, 2011 (114) आर० डी० 50।**
5. धारा 117-क उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 सन् 1962 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित और बाद में उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 की धारा 5 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 3 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 4 द्वारा शब्द "अधिसूचना में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उक्त उपधारा के अधीन [1][अधिसूचना या आदेश] द्वारा उसमें कोई उपांतरण या बातिलीकरण न कर दिया जाय।

(3) इस धारा के प्रावधान, धारा 117 की उपधारा (3) से (6) तक में दी गयी किसी बात के अतिरिक्त होंगे और न कि उसके अल्पीकरण में।]

118. [*उ० प्र० अधिनियम सं० 36 सन् 1958 की धारा 8 द्वारा लोपित।*]

119. हाटों, बाजारों, मेलों और निजी पारघाटों आदि का [2][जिला परिषद्] या दूसरे प्राधिकारी में निहित होना—धारा 117 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी समय [3][साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जो विहित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा] घोषित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसे हाटों, बाजारों, मेलों, निजी पारघाटों और जल प्रणालियों, जो इस अधिनियम के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार [4][गांव सभा] में निहित हो गई हों, [5][जिला परिषद्] या निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को अंतरित और उसमें निहित हो जायेगी और तब उस बोर्ड या प्राधिकारी को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, तत्समय प्रवृत्त की जा सकने वाली विधि के अनुसार इसके प्रबन्ध, अधीक्षण, [6][परिरक्षण] और नियंत्रण का भार सौप दिया जायेगा।

120. [*उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 8 द्वारा लोपित।*]

121. [*उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा लोपित।*]

122. [*उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा लोपित।*]

122–क. भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण––(1) इस अधिनियम के अध्यधीन रहते हुए, गाँव सभा के निमित्त तथा उसकी ओर से धारा 117 के अधीन गाँव सभा में निहित समस्त भूमि, गाँव की सीमाओं के भीतर स्थित जंगलों (जोत, बाग या आबादी में स्थित पेड़ों में छोड़कर) पेड़ों, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल–प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों और हाटों तथा मेलों के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियंत्रण का भार, भूमि प्रबन्धक समिति पर होगा।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों तथा कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) भूमि का बन्दोबस्त एवं प्रबन्ध;

(ख) गाँव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन एवं अभियोजन;

(ग) कृषि का विकास एवं उन्नति;

(घ) जंगलों तथा पेड़ों का परिरक्षण, व्यवस्था एवं विकास;

(ङ) आबादी के स्थलों तथा ग्राम्य संचार साधनों की व्यवस्था एवं विकास;

(च) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(छ) सहकारी कृषि का विकास;

(ज) पशुपालन का विकास, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट पालन भी है;

(झ) जोतों की चकबन्दी;

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 द्वारा शब्द "अधिसूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 द्वारा शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के जगह प्रतिस्थापित।.
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 3 द्वारा शब्द "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 अनुसूची 8 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ञ) कुटीर उद्योगों का विकास;

(ट) मीनाशयों तथा तालाबों की व्यवस्था तथा विकास; और

(ठ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जायं।

(3) भूमि प्रबन्धक समिति का सभापति अथवा कोई अन्य प्रदाधिकारी या सदस्य ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, भूमि प्रबन्धक समिति के निमित्त तथा उसकी ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संचालन एवं अभियोजन के लिए समस्त अन्य कार्य करने का अधिकारी होगा।

122-ख. भूमि प्रबन्धक समिति और कलेक्टर के अधिकार—[1][(1) जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी गाँव सभा या किसी स्थानिक प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति पहँचायी जाय या उसका दुर्विनियोजन किया जाय या जहाँ कोई गाँव सभा या स्थानिक प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार हो और ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के प्रावधानों से भिन्न प्रकार से अध्यासन किया जाय, वहाँ, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक प्राधिकारी सम्बद्ध सहायक कलेक्टर, को विहित रीति से सूचना देगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से या अन्य प्रकार से सहायक कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी है या उसका दुर्विनियोजन किया गया है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहाँ वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए ऐसी नोटिस में वर्णित मुआवजा उससे क्यों न वसूल किया जाय या, जैसी स्थिति हो, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे व्यक्ति पर उस नोटिस के तामील के दिनांक से [2][तीस दिन] से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा सहायक कलेक्टर इस निमित्त बढ़ाने की अनुमति दे, कारण न बताये या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय तो सहायक कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिये मुआवजे की रकम ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाय।

(4) यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा।

(4-क) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सहायक कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 333 के खण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधारों पर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(4-ख) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1982 द्वारा (3.6.1981 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 11 सन् 2002, धारा 2 द्वारा (21.6.2002 से) शब्द "तीन मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(4-ग) धारा 333 या धारा 333-क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए—

(i) इस धारा के अधीन सहायक कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4-क) और (4-घ) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा;

(ii) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4-घ) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4-घ) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में अपने द्वारा दावाकृत अधिकार को स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद फाइल कर सकता है।

(4-ङ) सहायक कलेक्टर के किसी आदेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद जो उपधारा (4-घ) में निर्दिष्ट है, फाइल नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (4-क) के अधीन कलेक्टर को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद 'कलेक्टर' से उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के प्रावधानों के अधीन 'कलेक्टर' के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत अपर कलेक्टर भी है।]

[1][(4-च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गाँव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) [2][13 मई, 2007] के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, और [3][उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी जायेगी और उसके लिये उस भूमि में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में अपने अधिकारों की घोषणा के लिये कोई वाद संस्थित करना आवश्यक न होगा।]]

स्पष्टीकरण—पद 'खेतिहर मजदूर' का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में इसके लिये दिया गया है।

[4][(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ग से 115-ज के नियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन बनाये गये और सदैव से बनाये गये समझे जायेंगे मानों यह धारा सभी सारभूत दिनांक पर प्रवृत्त थी और तदनुसार पूर्ववत् बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दी जाय।]

टिप्पणी

क्षेत्र—यह स्पष्ट है कि धारा 122-ख की उपधारा (4-च) उस व्यक्ति के, जो गाँव सभा की भूमि का अधिभोगी है, अनन्तरणीय अधिकारों सहित भूमिधर के रूप में उसे घोषित करने के लिए अधिकार की घोषणा की ईप्सा करने के लिए प्रावधान नहीं है। वास्तव में यह प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, यदि ऐसे व्यक्ति को गाँव सभा की भूमि से बेदखल किये जाने की ईप्सा की जाती है, जो नियम 115 के साथ अधिनियम की धारा 122-ख की उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाही में हो सकता है या किसी अन्य कार्यवाही को अंगीकार करके हो सकता है, जहाँ बेदखली की ऐसी शक्ति कलेक्टर या सम्बद्ध किसी अन्य प्राधिकारी को दी जाती है।[5]

---

1. उपधारा (4-च) उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 सन् 2007 द्वारा (25.8.2007 से) शब्द और अंक "1 मई, 2002" के जगह प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 11 सन् 2002 की धारा 2 द्वारा (21.6.2002 से) प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 द्वारा उप-धारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. *शम्भूनाथ* बनाम *कमिश्नर विंध्याचल रीजन, मिर्जापुर*, 2007 (102) आर० डी० 136 : 2007 आर० एन० एस० 283 (एच० सी०)।

नगर पालिका परिषद् के सदस्य के परिवाद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाही का प्रारम्भ और उक्त प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 49-ग में नोटिस का जारी करना अवैध नहीं है क्योंकि धारा 122-ख और 1952 के नियम के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने की शक्ति को 1952 के नियम 115-घ के उप-नियम (5) के बाबत यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रयोज्य बनाया गया है। इसलिए, नोटिस कलेक्टर के संज्ञान में आने वाले अन्यथा तथ्यों के आधार पर जारी की जा सकती है।[1]

धारा 122-ख (4-च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विधवा कृषि श्रमिक को कोई विशेष या अतिरिक्त अधिकार प्रदान नहीं करती।[2]

इस धारा के अधीन, सहायक कलेक्टर सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पूर्णरूप से सशक्त है।[3]

लाभ की उपलब्धता—जहाँ भूमि चकबंदी कार्यवाही के दौरान हरिजनों के लिए आरक्षित है और हरिजन 30 जून, 1985 के पूर्व से कब्जाधारी था, वहाँ वह हकदार था और इसलिए बेदखली का आदेश अपास्त किया गया था।[4]

बेदखली आदेश की वैधता—राजस्व अभिलेख में भूमि नवीन परती के रूप में वर्णित की गयी थी, अत: कृषि के योग्य नहीं थी। याची ने उसे कृषि योग्य बनाया था और उसमें फसलों को बोया था। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में सम्परिवर्तित करना न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक है, इसलिए बेदखली के बदले याची गाँव सभा को विवादस्पद भूमि के उस समय के, जब उसने उसका कब्जा ग्रहण किया था बाजार मूल्य के समान गाँव सभा को क्षति का भुगतान करेगा।[5]

वर्तमान मामले में, गाँव सभा की भूमि पर अभिकथित अप्राधिकृत अधिभोग की अवधि या तो नोटिस में या कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान तनिक भी विनिर्दिष्ट नहीं थी। उच्च न्यायालय ने क्षति अधिरोपित करने के आदेश को विखण्डित किया था।[6]

अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली—गाँव सभा की भूमि के अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गयी है फिर भी 30 वर्षों का विलम्ब बेदखली के आदेश को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त है लेकिन, मकान गाँव सभा की भूमि के छोटे टुकड़े पर पहले निर्मित किया गया था, इसलिए बेदखली के बदले में क्षति का अधिनिर्णय उचित उपचार था।[7]

क्षति का निर्धारण—भूमि के सदोष अधिभोग के मामले में, गाँव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को, यथास्थिति, कारित क्षति का निर्धारण ऐसे सदोष अधिभोग या उसके किसी भाग के प्रत्येक वर्ष के लिए सम्बद्ध भूखण्ड को लागू स्वीकृति मौरूसी दरों पर संगठित किराये की धनराशि के 100 गुना पर किया जायेगा।[8]

स्थल निरीक्षण—जहाँ याची तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ था और आक्षेप दाखिल किया था तथा यह भी अनुरोध किया था कि स्थल निरीक्षण किया जाये किन्तु कोई कारण नहीं दिया गया था कि क्यों उक्त अनुरोध नामंजूर किया गया था। वहाँ अवधारित किया गया था कि यह उचित विचार था कि स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए और इसके पश्चात बेदखली का आदेश, यदि याची चक मार्ग के किसी भाग का अधिभोगी होना पाया गया था, पारित किया जाना था।[9]

---

1. *मोहम्मद शरीफ* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2011 (114) आर० डी० 76।
2. *राज कुमार* बनाम *राजस्व परिषद्, उ० प्र० इलाहाबाद*, 2010 (110) आर० डी० 178 : 2010 (4) ए० डब्ल्यू० सी० 3779 (एच० सी०)।
3. *पट्टूदास* बनाम *स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (110) आर० डी० 650 (एच० सी०)।
4. *पंचू* बनाम *कलेक्टर, गोरखपुर*, 2006 (101) आर० डी० 562 (एच० सी०)।
5. *किशोर सिंह* बनाम *एडीशनल कमिश्नर, आगरा*, 2007 (102) आर० डी० 303 : 2007 आर० एन० एस० 375 (एच० सी०)।
6. *विनोद कुमार* बनाम *स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (111) आर० डी० 731 : 2010 (5)-ए० डब्ल्यू० सी० 4879 : 2010 (3) ए० सी० सी० 990 (एच० सी०)।
7. *सुखदेव* बनाम *कलेक्टर बांदा*, 2007 (102) आर० डी० 83 : 2007 आर० एन० एस० 261 : 2007 आर० एल० टी० 291 (एच० सी०)।
8. *मेसर्स जे० के० डेयरी एण्ड फूड लि०* बनाम *ए० डी० एम० (एफ० एण्ड आर०) अपर कलेक्टर, जे० पी० नगर*, 2007 (102) आर० डी० 375 : 2007 आर० एन० एस० 389 (एच० सी०)।
9. *बबऊ राम* बनाम *एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एल० आर०)*, 2008 (104) आर० डी० 201 (एच० सी०)।

अनुसूचित जाति समुदाय का व्यक्ति—लाभ के लिए हकदार—आवेदक अनुसूचित जाति के समुदाय का व्यक्ति होने के कारण अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) के लाभ का हकदार था और भूमि के आवंटन के लिए अर्ह व्यक्ति भी हो सकता था।[1]

जहाँ प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में अभिलिखित की गयी थी, जो पाँच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पट्टा पर आबंटित की गयी थी, इसलिए पट्टा की अवधि के अवसान के पश्चात् व्यक्ति भूमि को जोतने के विधिक अधिकार को धारण करने से प्रविलत हो गया था। व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं था, अत: धारा 122-ख (4-च) के अधीन लाभ का हकदार नहीं था।[2]

लोक उपयोगिता की भूमि—जहाँ विवादास्पद भूमि लोक उपयोगिता की थी, वहाँ यह अवधारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) के अधीन कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।[3]

धारा के अधीन अधिकार—जहाँ भूमि का असामी पट्टा प्रदान किया गया था, वहाँ अधिकार पट्टा के शर्तों के अधीन व्यवस्थापित किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था।[4]

अधिकारों की घोषणा—तहसीलदार की अधिकारिता—यह अवधारित किया गया था कि व्यक्ति को अनन्तरणीय अधिकारों से भूमिधर घोषित करने के लिए तहसीलदार को अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) के अधीन अधिकार और हक की घोषणा प्रदान करने की कोई अधिकारिता नहीं है।[5]

कृषि श्रमिक का लाभ—व्यक्ति कभी भी भूमि का कब्जाधारी अभिलिखित नहीं किया गया था और न ही वे स्वयं को कृषि श्रमिक होने का अभिवाक् किये थे, इसलिए अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) के अधीन लाभ उनको स्वीकार्य नहीं था।[6]

अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) के अधीन भूमिधर के रूप में व्यक्ति की स्वीकृति यह है कि उसे कृषि श्रमिक होना चाहिए और आजीविका का उसका मुख्य स्रोत कृषि श्रम है।[7]

सुविधाजनक ढंग—स्पष्ट किया गया—वर्तमान में व्यच्छेदन तारीख मई 2002 है। जब कभी व्यच्छेदन तारीख परिवर्तित हो जाती है, तब कुछ लोग व्यच्छेदन की तारीख से अपने पूर्व कब्जे का साक्ष्य निर्मित करना प्रारम्भ करते हैं। इस सम्बन्ध में अत्यधिक सुविधा पूर्ण ढंग लेखपाल से प्ररूप 49-क में बेदखली की नोटिस जारी कराना है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को व्यच्छेदन की तारीख के पूर्व बेदखली कार्यवाही प्रारम्भ न करने के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।[8]

वाद की पोषणीयता—केवल क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करना गाँव सभा के स्वत्व अधिकार को निर्निहित नहीं करेगा, जब तक अधिनियम की धारा 17 के अधीन उस प्रभाव की कोई अधिसूचना नहीं है। अत: गाँव सभा लगातार अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाही पोषणीय थी।[9]

सारभूत अधिकार—जहाँ कार्यवाही अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन स्थगित की गयी थी। वहाँ यह अवधारित किया गया था कि यह किसी सारभूत अधिकार में अवधारित नहीं करता।[10]

हक का न्यायनिर्णयन—धारा 122-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है, जहाँ हक का वास्तविक तथ्य अन्तर्ग्रस्त नहीं था। कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त है, इसलिए पक्षकारों के अधिकार कार्यवाही में अवधारित नहीं किये जाते।[11]

बेदखली और क्षति—वर्तमान मामले में साक्ष्य पर आधारित क्षति के साथ बेदखली का आदेश त्रुटिपूर्ण निर्णीत नहीं किया गया था। अप्राधिकृत अधिभोगी, अन्तरिम आदेश के अधीन 1984 से अप्राधिकृत अधिभोग में था, इसलिए 612/- की क्षति अधिक नहीं थी।[12]

---

1. *कामता प्रसाद* बनाम *बिहारी*, 2006 (100) आर० डी० 240 : 2006 आर० एन० एस० 396 (बी० आर०)।
2. *मुख्तार* बनाम *अपर आयुक्त (ऐडमिनिस्ट्रेशन) लखनऊ*, 2010 (110) आर० डी० 58 (एच० सी०)।
3. *रामरूप* बनाम *स्टेट*, 2008 (104) आर० डी० 32 (बी० आर०) (एच०)।
4. *राज कुमार* बनाम *गाँव सभा*, 2006 (100) आर० डी० 11 : 2006 आर० एन० एस० 322 (बी० आर०)।
5. *राम अवध पाल* बनाम *एल० एम० सी०*, 2008 (104) आर० डी० 209 (बी० आर०)।
6. *स्टेट* बनाम *बाबू लाल/राम प्यारे*, 2007 (102) आर० डी० 309 (बी० आर०)।
7. *मुन्ना लाल* बनाम *एडीशनल कमिश्नर (एडमिनिस्ट्रेशन) कानपुर*, 2005 (99) आर० डी० 141 (एच० सी०)।
8. *सिया राम* बनाम *एडीशनल कमिश्नर (ए० डी० एम०) कानपुर*, 2007 (103) आर० डी० 210 (एच० सी०)।
9. *रामेश्वर प्रसाद* बनाम *तहसीलदार/असिस्टेण्ट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, सम्भल, मुरादाबाद*, 2009 (108) आर० डी० 483 (एच० सी०)।
10. *घनश्याम सिंह* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2005 (98) आर० डी० 489 (एच० सी०)।
11. *लिखी राम उर्फ मोल्ला* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2002 (93) आर० डी० 126 : 2002 आर० एन० एस० 344 : 2002 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 521 (एच० सी०)।
12. *मीठू लाल* बनाम *एडीशनल कलेक्टर, मैनपुरी*, 2005 (99) आर० डी० 3 (एच० सी०)।

जहाँ छोटे किसान 100 से 150 वर्ग गज माप के भूमि के छोटे टुकड़े पर संनिर्माण किये थे, नजराना धन भी उनके द्वारा निक्षेप किया गया था, वहाँ बेदखली आदेश गाँव सभा के पास क्षति के रूप में 15,000 रुपये के निक्षेप के अध्यधीन अपास्त किया गया था।[1]

याची अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन संक्षिप्त कार्यवाही में बेदखल नहीं किया जा सकता और इसलिए क्षति का उद्ग्रहण भी विधि के प्रतिकूल है।[2]

लगभग 250 वर्ग गज का छोटा भू-खण्ड, जो किसी महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन जैसे तालाब या रास्ता के लिए आरक्षित नहीं है, जिसमें कुछ दुकानें 1953 से संनिर्मित की गयी हैं, गिराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि भू-खण्ड की पहचान अब खलिहान के रूप में हो गयी है। अत: ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त क्षति लोक प्रयोजन को पूरा करेगी।[3]

जहाँ ग्राम सभा की भूमि पर कोई अतिचार नहीं था और प्रश्नगत मकान अन्य भू-खण्ड पर खड़ा था, वहाँ यह अवधारित किया गया है कि इस धारा के अधीन प्रतिकर के भुगतान के साथ बेदखली का निर्देश देते हुए पारित आदेश अवांछित था।[4]

आवश्यक पक्षकार—अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाही में ग्राम पंचायत, भूमि प्रबन्धक समिति या अभिलिखित भूमिधर आवश्यक पक्षकार हैं और इसलिए व्यक्तिगत तामीली आवश्यक है।[5]

तालाब/बड़ा जलाशय—जहाँ व्यक्ति जल द्वारा आच्छादित भूमि का अप्राधिकृत अधिभोगी है, वहाँ कोई भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगा, इसलिए अधिनियम की धारा 122-ख (4-च) का लाभ भूमिहीन हरिजन को उपलब्ध नहीं है। निर्णीत किया गया कि बेदखली के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।[6]

परिसीमा—वर्तमान मामले में, याची पिछड़े वर्ग की महिला थी और पुनरीक्षण समय के अन्तर्गत निर्धनता के कारण दाखिल नहीं किया जा सका था क्योंकि उसका पति आजीविका अर्जित करने के सम्बन्ध में गाँव से बाहर था। अत: पुनरीक्षण को समय के अन्तर्गत दाखिल किया गया माना जायेगा।[7]

पूर्व न्याय—अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन पारित आदेश पश्चातवर्ती हक वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त नहीं होता। वास्तव में धारा 122-ख (4-घ) के परिणामस्वरूप ऐसा निर्णय हक के मामले में नियमित वाद के परिणाम के अध्यधीन है।[8]

पुनरीक्षण—बेदखली के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 122-ख (4-क) के अधीन वर्जित नहीं है। यह अवधारित किया गया था कि व्यथित व्यक्ति को आदेश की चुनौती देने के लिए कानूनी अधिकार है।[9]

इस मामले में, कार्यवाही धारा 122-ख के अधीन आरम्भ की गई थी और वह वर्ष 2000 में आदेश द्वारा समाप्त की गई थी। इस बीच उक्त धारा 3-6-1981 से संशोधित कर दी गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया गया था। प्रतिवाद पुनरीक्षण याचिका की पोषणीयता के बारे में था क्योंकि धारा संशोधित कर दी गई थी और तद्धीन पुनरीक्षण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट था न कि आयुक्त जैसा कि यह संशोधन के पूर्व था। इन तथ्यों के आलोक में न्यायालय ने यह धारित किया कि पुनरीक्षण आयुक्त के समक्ष असंशोधित धारा के तहत होगा क्योंकि कार्यवाही संशोधन की तिथि पर लम्बित थी।[10]

पुनरीक्षण की पोषणीयता—यह धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां कि आदेश नियम 115-त सपठित नियम 115-ड के सन्दर्भ योग्य है और धारा 122-ग से आच्छादित नहीं है वहाँ पुनरीक्षण होगा। प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत भूमि का आवंटन जो कि अधिनियम की धारा 122-ग के अधीन नहीं था बल्कि भिन्न योजना अर्थात् नियम 115-ड के अधीन था। इसलिए, पुनरीक्षण प्राधिकारी यह धारित करने में सही नहीं था कि पुनरीक्षण पोषणीय नहीं था।[11]

---

1. *मोहम्मद इदरीस* बनाम *ऐडीशनल कलेक्टर, कानपुर देहात,* 2010 (110) आर० डी० 176 (एच० सी०)।
2. *निरंजन प्रसाद* बनाम *कलेक्टर, मथुरा,* 2010 (109) आर० डी० 728।
3. *रामेश्वर प्रसाद* बनाम *तहसीलदार/असिस्टेण्ट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, सम्भल, मुरादाबाद,* 2009 (108) आर० डी० 483 (एच० सी०)।
4. *खजान सिंह* बनाम *स्टेट ऑफ यू० पी०,* 2010 (109) आर० डी० 156।
5. *मुन्ना लाल* बनाम *एडीशनल कमिश्नर (एडमिन०) कानपुर डिवीजन,* 2005 (99) आर० डी० 141 (एच० सी०)।
6. *छोटेलाल* बनाम *एडीशनल (अपर) कलेक्टर, इलाहाबाद,* 2004 (97) आर० डी० 149 : 2004 आर० एन० एस० 940 : 2004 (3) ए० डब्ल्यू० सी० 2649 (एच० सी०)।
7. *कौशल्या देवी* बनाम *कलेक्टर, पीलीभीत,* 2010 (110) आर० डी० 802 (एच० सी०)।
8. *शकुन्तला* बनाम *बोर्ड आफ रेवेन्यू, यू० पी०, इलाहाबाद,* 2006 (101) आर० डी० 713 (एच० सी०)।
9. *बहादुर* बनाम *एडीशनल कलेक्टर, आगरा,* 2005 (98) आर० डी० 743 (एच० सी०)।
10. ***राम स्वरूप*** बनाम ***कलेक्टर/डी०एम०, बुलन्दशहर,*** 2011 (114) आर० डी० 1।
11. *लाला राम* बनाम *कमिश्नर, आगरा डिवीजन, आगरा,* 2011 (114) आर० डी० 102।

प्रतिप्रेषण—जहाँ विलम्ब के लिए कारण पर विचार नहीं किया गया था और केवल यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था कि पुनरीक्षणकर्ता विलम्ब को स्पष्ट करने के लिए समर्थ नहीं था, वहाँ इसे असमर्थनीय निर्णीत किया गया था और मामला विलम्ब को माफ करने के लिये दिये गये कारणों के विचारण के लिए पुनरीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था।[1]

यह अवधारित किया गया था कि अपीलीय न्यायालय को एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और तहसीलदार को पक्षकारों को सुनने के पश्चात् नये सिरे से मामले का विनिश्चय करने के लिए अनुमति दिया जाना चाहिए।[2]

पुनर्विलोकन—पुनर्विलोकन के प्रावधान कठोरता से इस धारा के अधीन कार्यवाही में उपलब्ध नहीं हैं, जो संक्षिप्त कार्यवाही की प्रकृति में है।[3]

धारा 122-ख के अधीन कार्यवाही का—नियमित वाद के अधीन होना—यह धारित किया गया है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्व न्याय के रूप में क्रियाशील नहीं होता है क्योंकि गांव सभा अथवा राज्य उसमें पक्षकार नहीं था। सिविल न्यायालय का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अधीन ग्राह्य है। इस धारा के अधीन कार्यवाही में पारित आदेश स्वत्व पर आधारित नियमित वाद के परिणाम के अध्यधीन है जैसा कि धारा 122-ख (4-घ) में उपबन्धित है।[4]

पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए हकदार व्यक्ति—अधिनियम की धारा 122-ख की उपधारा (4-क) के अधीन सहायक कलेक्टर के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण का अधिकार रखता है। इसलिए, पुनरीक्षण पोषणीय है यदि यह व्यक्ति सहायक कलेक्टर द्वारा उक्त धारा के अधीन पारित आदेश से पीड़ित है। प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता को न तो सूचना दी गई है और न ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अन्तिम निर्णय ही पारित किया गया था। इसलिए वे अधिनियम की धारा 122-ख में न तो यथा अनुध्यात प्रभावित पक्षकार और न ही पीड़ित पक्षकार धारित किये गये थे।[5]

प्रक्रियागत अननुपालन—मामले का प्रत्यावर्तन—वैधकृत—धारा 122-ख के अन्तर्गत अमलदरामद को निरस्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध निगरानी स्वीकार कर ली गई थी। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अवर न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था, प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और कब्जे के सम्बन्ध में निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया था। ऐसे में यह धारित किया गया कि प्रत्यावर्तन का आदेश वैध था और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।[6]

[7][**122-ग. अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतिहर मजूदरों आदि के लिए आवास स्थलों के निमित्त भूमि का आबंटन**—(1) परगने का भारसाधक सहायक कलेक्टर, स्वत: अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर निम्नलिखित वर्गों की भूमि में से किसी वर्ग की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा [8][अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों] और खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के लिए आबादी के स्थलों की व्यवस्था करने के लिए विशेषांकित (earmark) कर सकता है—

(क) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट और उक्त धारा के अधीन गाँव सभा में निहित भूमि;

(ख) धारा 194 के अधीन अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि;

(ग) कोई अन्य भूमि जो धारा 13, धारा 14, धारा 163, धारा 186 या धारा 211 के अधीन खाली समझी जाय अथवा खाली हो जाय;

---

1. *शिवाला* बनाम *कलेक्टर, हमीरपुर*, 2010 (111) आर० डी० 133 : 2006 (6) ए० डब्ल्यू० सी० 5997 : 2010 (8) ए० डी० जे० 180 (एच० सी०)।
2. *श्यामजी* बनाम *स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (109) आर० डी० 221।
3. *केशव तिवारी* बनाम *मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया*, 2009 (108) आर० डी० 467 : 2010 (1) जे० सी० एल० आर० 75।
4. *दया राम* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2011 (114) आर० डी० 573।
5. *प्रवीण कुमार* बनाम *कलेक्टर, फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिरोज़ाबाद*, 2011 (114) आर० डी० 777।
6. *मोहम्मद हनीफ* बनाम *राम प्रसाद*, 2012 (115) आर० डी० 3 (एच) (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू)।
7. उ० प्र० अध्यादेश सं० 8 सन् 1971 की धारा 2 द्वारा (24.5.1971 से) जोड़ा गया।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा (23.8.2004 से) प्रतिस्थापित।

(घ) यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विशेषांकित और हरिजनों के लिए आबादी के स्थल के रूप में आरक्षित भूमि उसके द्वारा अपर्याप्त समझी जाय, और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार से उपलब्ध भूमि का कोई भाग।

(2) इस अधिनियम की धारा 122-क, 195, 196, 197 और 198 या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 4, 15, 16, 28-ख और 34 में किसी बात के होते हुए भी, भूमि प्रबन्धक समिति, परगने के भारसाधक साहयक कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के निमित्त गृहों के निर्माण के लिए—

(क) उपधारा (1) के अधीन विशेषांकित कोई भूमि;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विशेषांकित और हरिजनों के लिए आबादी के स्थलों के रूप में आरक्षित कोई भूमि;

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (4) में निर्दिष्ट और गाँव सभा में निहित कोई आबादी का स्थल;

(घ) उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित कोई भूमि;

आबंटित कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन आबंटित किए जाने में निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुपालन किया जायेगा—

[1][(i) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से संबंधित कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;]

(ii) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो;

[2][(iii) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में किसी भी श्रेणी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति;

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;]

[3][(iv) कोई विकलांग व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो।]

स्पष्टीकरण 1—पद "खेतिहर मजदूर" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है।

[4][*स्पष्टीकरण 2*—पद 'ग्रामीण शिल्पी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जायं,और शिल्पी के

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 सन् 2007 की धारा 3 द्वारा (31.7.2007 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 सन् 2007 की धारा 3 द्वारा (31.7.2007 से) प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा बढ़ाया गया।
4. स्पष्टीकरण 2 उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

अन्तर्गत कोई बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका या तो स्वयं अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से कोई शिल्प करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को जिसकी कुल आय (जिसके अन्तर्गत उसकी या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चों की आय भी है) एक वर्ष में दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, ग्रामीण शिल्पी नहीं समझा जायेगा।]

[1][*स्पष्टीकरण 3*—पद ''विकलांग व्यक्ति'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत होंगे जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में उल्लिखित नि:शक्तता से ग्रस्त हो।]

स्पष्टीकरण [2][4]—उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी जिसके पास या तो कोई गृह न हो अथवा उसके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए आवास-व्यवस्था अपर्याप्त हो।

[3][*स्पष्टीकरण 5*—पद ''गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है।]

(4) यदि परगने के भारसाधक, सहायक कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि भूमि प्रबन्धक समिति ने उपधारा (2) के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन या अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं किया है, अथवा ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या समीचीन है तो वह स्वयं ऐसी भूमि को उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आबंटित कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन आबंटित कोई भूमि आबंटिती द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, धृत की जायेगी।

(6) कलेक्टर स्वत: इस धारा के अधीन भूमि के किसी आबंटन के संबंध में विहित रीति से जांच कर सकता है और आबंटन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर विहित रीति से जांच करेगा, और यदि उसका यह भी समाधान हो जाय कि आबंटन अनियमित है,तो वह आबंटन को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात् आबंटित की गई भूमि में आबंटिती और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अधिकार,आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(7) उपधारा (4) के अधीन सहायक कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (6) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और उपधारा (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और [4][धारा 333 और धारा 333-क] के प्रावधान उसके संबंध में लागू नहीं होंगे।

(8) [*उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा लोपित।*]

[5][(9) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम 115-ठ में उपनियम (2) सदैव से लोपित समझा जायेगा।]

टिप्पणी

क्षेत्र— अधिनियम की धारा 122-ग और नियमावली का नियम 115-ठ और 115-ड केवल नैसर्गिक व्यक्ति को स्थल के आबंटन को अनुध्यात करता है और इसलिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नियम 115-ड के अधीन आबंटन के लिए अर्ह नहीं है। यह अवधारित किया गया है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के पक्ष में पट्टा उचित रूप से रद्द किया गया था।[6]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा (23.8.2004 से) स्पष्टीकरण 3 अन्त:स्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा (23.8.2004 से) पुनर्संख्यांकित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 27 सन् 2004 द्वारा (23.8.2004 से) से बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 की धारा 6 द्वारा अन्त:स्थापित।
6. *योग संस्थान* बनाम *कलेक्टर मुरादाबाद*, 2002 (93) आर० डी० 13 : 2002 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 84 : 2002 आर० एन० एस० 243 : 2002 बी० एन० एस० 103 (एच० सी०)।

उद्देश्य—अधिनियम की धारा 122-ग का प्रयोजन गृहस्थल के लिए भूमि का आबंटन है। उद्देश्य वर्णित संवर्ग से सम्बन्धित उन व्यक्तियों को गृहस्थल आबंटित करना है, गृह समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, जिससे उनके कल्याण को अग्रसारित किया जाये और भूमि प्रबन्धक समिति के कार्य आबादी स्थल का विकास है।[1]

भूमि का आबंटन—जहाँ खलिहान भूमि का प्रयोग खलिहान के प्रयाजनों के लिए नहीं किया गया है, वहाँ अवधारित किया गया कि विशेष परिस्थितियों में उसका आबंटन अधिनियम की धारा 122-ग के अधीन अर्ह व्यक्ति को आबादी प्रयोजन के लिए किया जा सकता था।[2]

जहाँ आबंटन वर्ष 1994 में किया गया था किन्तु कोई प्रयास आबंटन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर या तो कब्जा ग्रहण करने या संनिर्माण करने के लिए नहीं किया गया था। दखलनामे का निष्पादन वर्ष 2003 में किया गया था। सुसंगत पहलुओं का विचारण मामले में नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने नये सिरे से विनिश्चय के लिए मामले को प्रतिप्रेषित किया था।[3]

पट्टा की स्वीकृति—की वैधता—वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया समाधान के आधार पर नोटिस केवल कलेक्टर द्वारा उसकी स्वप्रेरणा पर याची को जारी की गयी है। पट्टा की स्वीकृति की नियमितता या अनियमितता की जाँच उच्च न्यायालय द्वारा किसी सामग्री के आधार पर नहीं की जा सकती, जिसे अभिलेख पर होना कहा गया है। कलेक्टर के लिए उस पर उस प्रावधान के लिए विचार करना है, जो उसे सशक्त करता है।[4]

भारसाधक सहायक कलेक्टर—कृत्यों का निर्वहन—उपखण्ड का भारसाधक सहायक कलेक्टर अधिनियम की धारा 122-ग के अधीन समनुदेशित कृत्यों का पालन करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी है, इसलिए यह निर्देश देना उचित होगा कि जब तक अधिनियम और नियमावली के अधीन अभिव्यक्त प्रावधानों को सक्षम विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित नहीं किया जाता, तब तक सम्बद्ध उपखण्ड के भारसाधक सहायक कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून अधिकारी ऐसी संक्षिप्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकारों और हितबद्ध व्यक्तियों को सुनने के पश्चात् संक्षिप्त ढंग में अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों को प्रभावी करेगा।[5]

पुनरीक्षण—धारा 122-ग (6) के अधीन शक्ति के प्रयोग में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अन्तिम है और अधिनियम की धारा 333 के अधीन पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं हो सकता।[6]

[7][**122-घ. आबंटितियों को कब्जा दिया जाना**—(1) जहाँ धारा 122-ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भूमि गृह-निर्माण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को आबंटित की जाय और आबंटिती से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन हो, वहाँ सहायक कलेक्टर, आबंटिती के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि पर कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहाँ वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग, जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में आबंटिती को दिया जाय।

---

1. *योग संस्थान* बनाम *कलेक्टर मुरादाबाद*, 2002 (93) आर० डी० 13 : 2002 (1) ए० डब्ल्यू० सी० 84 : 2002 आर० एन० एस० 243 : 2002 बी० एन० एस० 103 (एच० सी०)।
2. *अमर सिंह* बनाम *रति राम*, 2008 (104) आर० डी० 12 (बी० आर०) (एच०)।
3. *जगदेव* बनाम *कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन*, 2009 (108) आर० डी० 490।
4. *राम छबीले* बनाम *कलेक्टर बलरामपुर*, 2006 (101) आर० डी० 248।
5. *राम नारायण* बनाम *सब-डिवीजनल आफीसर, कैराना, मुजफ्फरनगर*, 2007 (103) आर० डी० 478 : 2007 आर० एन० एस० 794 : 2007 (2) यू० पी० आर० जे० 1318 : 2007 आर० एल० टी० 735 (एच० सी०)।
6. *राजेश्वर उपाध्याय* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2005 (98) आर० डी० 768 (एच० सी०)।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से, यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके है, और

(ख) आबंटिती ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है,

वहाँ न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए, अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और आबंटिती को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहाँ उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(5) जहाँ उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहाँ न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन, अपराधों पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।]

टिप्पणी

कब्जे का प्रत्यावर्तन—वर्तमान मामले में आबंटिती कब्जे के प्रत्यावर्तन के पश्चात् बलपूर्वक बेदखल किया गया था। इस धारा के अधीन कार्यवाही लम्बित थी और पट्टा आज तक रद्द नहीं किया गया था। अतः आबंटिती को कब्जा में बने रहने का प्रत्येक अधिकार है।[1]

[2][**123. कतिपय गृह के स्थलों का बन्दोबस्त उसके वर्तमान स्वामियों के साथ किया जायेगा**—[3][(1)] धारा 9 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने, उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि न हो, कोई गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह [4][13 मई, 2007] को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर जो विहित किये जायं, धारण किया जायेगा]।

[5][(2) जहाँ धारा 122-ग की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह [6][3 जून, 1995] को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खातेदार द्वारा, ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर जो विहित किये जायं, ऐसे गृह स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

---

1. *भेत राम बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2010 (110) आर० डी० 695 (एच० सी०)।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1971 की धारा 3 द्वारा पुनः अधिनियमित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 सन् 1974 द्वारा संशोधित एवं पुनः संख्यांकित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 सन् 2007 द्वारा (25.8.2007 से) शब्द और अंक "1 मई, 2002" के जगह प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 सन् 1974 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 9 सन् 1997 की धारा 3 द्वारा शब्द "30 जून, 1985" (23.5.1997 से) प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर [1][3 जून, 1995] को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों, तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।]

टिप्पणी

क्षेत्र—अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) के सामान्य अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जहाँ धारा 122-ग (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर मकान का निर्माण किया है, जो अधिनियम की धारा 9 की विषय-वस्तु नहीं है या धारा 122-ग (2) में निर्दिष्ट किसी मकान का सन्निर्माण किया है, जो किसी लोक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि नहीं है और ऐसा गृह 30 जून, 1985 को विद्यमान है, तो गृहस्थल ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर गृह के स्वामी द्वारा अवधारित किया जायेगा, जैसा कि नियमावली द्वारा विहित है। उक्त प्रावधान सम्बद्ध उपखण्ड के भारसाधक सहायक कलेक्टर द्वारा किसी औपचारिक आबंटन आदेश की अपेक्षा नहीं करता बल्कि परिनियम स्वयं अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अधीन नियम शर्तों के समाधान पर ऐसे बन्दोबस्त की मान्यता देता है।[2]

संशोधन—का प्रभाव—संशोधनकारी अधिनियम, 1985 में किसी चीज के अभाव में धारा 123 को भूतलक्षी होना नहीं कहा जा सकता और उस तारीख को लम्बित वाद में लागू नहीं होगा, जब अधिनियम वर्ष 1985 में संशोधन किया था, इसलिए 1974 के संशोधन का लाभ उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो 1974 के संशोधन और 1985 के संशोधन के बाद प्रविष्ट हुआ था क्योंकि वह भूतलक्षी नहीं है और उस तारीख को जब, अधिनियम का संशोधन 1985 में प्रवर्तित किया गया था, तब वाद पहले से लम्बित था।[3]

भविष्यलक्षी प्रभाव—अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान या तो अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा यह निर्दिष्ट करने के लिए प्रावधान नहीं करते कि नियत तारीख से न्यायालय की विधिमान्य डिक्री या आदेश शून्य होगा या अकृत किया जायेगा। अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1974 कहीं भी अधिकथित नहीं करता कि न्यायालय की डिक्री या तो अभिव्यक्त प्रावधान द्वारा या विवक्षा द्वारा अविधिमान्य या अकृत होगी। अधिनियम की धारा 123 (2) का प्रावधान विधि के न्यायालय द्वारा पारित किसी विधिमान्य डिक्री को कोई अभिभावी प्रभाव प्रदान नहीं करता। वास्तव में पद "अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी" जैसा कि धारा 123 (2) में दिया गया है, उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों तक सीमित है। उक्त पद का विस्तार अधिनियम के परे किसी चीज तक नहीं किया जा सकता।[4]

नियम 115-ड का अनुपालन—केवल लगान/प्रतिकर का निक्षेप आबंटन के किसी अधिकार को निहित नहीं करेगा, जब तक कि नियम 115-ड के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता, इसलिए यदि अनुपालन को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, तो लाभ उपलब्ध नहीं है।[5]

आबादी भूमि का हक—जहाँ व्यक्ति ने अन्य खातेदार की भूमि पर आवास का निर्माण किया था, वहाँ उसे लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता और सिविल न्यायालय को आबादी भूमि के हक की घोषणा करने की अधिकारिता है।[6]

[7][**123-क. गाँव पंचायत की सम्पत्ति अथवा धन के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग के लिए दण्ड**—(1) [8][भूमि प्रबन्धक समिति] का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन [9][गाँव सभा] में निहित किसी भी सम्पत्ति के खोने, ह्रास अथवा दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि ऐसा खोना, ह्रास

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 9 सन् 1997 की धारा 3 द्वारा शब्द "30 जून, 1985" (23.5.1997 से) प्रतिस्थापित।
2. *राम नारायण* बनाम *सब डिवीजनल आफीसर, कैराना, मुजफ्फरनगर*, 2007 (103) आर० डी० 478 : 2007 आर० एन० एस० 794 : 2007 (2) यू० पी० आर० जे० 1318 : 2007 आर० एल० टी० 735 (एच० सी०)।
3. *कायम सिंह* बनाम *बोर्ड आफ रेवेन्यू, यू० पी०, इलाहाबाद*, 2007 (102) आर० डी० 472 : 2007 आर० एन० एस० 426 : 2007 आर० एल० टी० 363 (एच० सी०)।
4. *मजीद* बनाम *रहमत उल्लाह*, 2007 (102) आर० डी० 235 : 2007 आर० एन० एस० 333 (एच० सी०)।
5. *शीला* बनाम *कलेक्टर झांसी*, 2005 (98) आर० डी० 746 (एच० सी०)।
6. *छोटे लाल* बनाम *राम लखन*, 2004 (97) आर० डी० 10 : 2004 आर० एन० एस० 839 (एच०) (बी० आर०)।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

अथवा दुरुपयोग उसके [1][भूमि प्रबन्धक समिति] के सदस्य होते हुये उसकी उपेक्षा अथवा मिथ्याचार, का प्रत्यक्ष परिणाम हो, और [2][गाँव सभा] के किसी ऐसे सदस्य द्वारा, जो सम्बद्ध मंडल में रहता हो विहित अधिकारी की आज्ञा से अथवा [3][भूमि प्रबन्धक समिति] द्वारा मुआवजा के लिए वाद पेश किया जा सकता है।

(2) यदि विहित प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन वाद पेश करने की स्वीकृति दे देता है अथवा स्वीकृति नहीं देता है तो असंतुष्ट सदस्य ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अथवा विहित अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील पेश कर सकता है।

(3) राज्य सरकार स्वयमेव उपधारा (1) में उल्लिखित वाद पेश कर सकती है।]

[4][**123-ख गाँव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दण्ड**—(1) जहाँ किसी व्यक्ति को गाँव सभा में निहित किसी भूमि से इस अधिनियम के अधीन बेदखल कर दिया गया है, और वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो उसके माध्यम से या अन्यथा, दावेदार हो, तत्पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है, वहाँ ऐसा अध्यासी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाला न्यायालय, उस व्यक्ति को, ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल कर दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर, चाहे उपधारा (1) के अधीन अभियोजन चलाया जाय या नहीं, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा पुनः ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।]

टिप्पणी

क्षेत्र—अधिनियम की धारा 123 (2) का प्रावधान किसी ऐसे प्रावधान को समाविष्ट नहीं करती है जो यह दर्शित करता है कि एक न्यायालय द्वारा पारित की गयी वैध डिक्री नियत तिथि से अधिनियम की धारा 123 (2) के अधिनियमन के कारण अकृत एवं शून्य हो जायेगी।[5]

[6][**124. गाँव कोष**—(1) इस अधिनियम के अधीन गाँव सभा, गाँव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां गाँव कोष में जमा की जायेंगी :

[7][प्रतिबन्ध यह है कि धारा 122-ख के अधीन वसूल की जाने योग्य क्षतिपूर्ति या मुआवजे की धनराशि संचित गाँव कोष में जमा की जायेगी।]

(2) वह कुल धन जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व गांव समाज कोष के नाम में था चाहे वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उसमें वास्तव में जमा कर दिया गया हो या न किया गया हो गांव कोष को अन्तरित हो जायेगा और उसमें जमा हो जायेगा।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. *विश्वनाथ* बनाम *सुल्तान*, 2008 (104) आर० डी० 398 : 2008 आर० एन० एस० 400 (उ० न्या०)।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][**125. गाँव कोष का अधिनियम के सम्बन्ध में उपयोग**—गाँव पंचायत द्वारा भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन अथवा अपने कृत्यों के निर्वहन से सम्बन्धित व्ययों की पूर्ति के लिए रखा गया कोष विहित रीति से उपयोग में लाया जायेगा।]

[2][**125-क. संचित गाँव कोष**—[3][(1) प्रत्येक जिले के लिए एक संचित गाँव कोष संघटित किया जायेगा जिसमें—

(क) धारा 124 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति या मुआवजे की धनराशि, और

(ख) उपधारा (2) के अधीन देय सभी अंशदान, जमा किये जायेंगे।]

(2) जिले की प्रत्येक गाँव पंचायत कलेक्टर को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय का ऐसा अंश देगी जो कलेक्टर द्वारा विहित रीति से निश्चित किया जायेगा और जो धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन गाँव कोष में जमा की गयी कुल धनराशि के [4][पच्चीस प्रतिशत] से अधिक न होगा।

(3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस धारा के अधीन संचित गांव समाज कोष में रखे गये या रखे जाने के लिये अपेक्षित समस्त धन संचित गाँव कोष में अन्तरित हो जायेगा तथा उसमें जमा किया जायेगा।

(4) कोष का उपयोग निम्नलिखित कार्य में किया जायेगा :

(क) धारा 127-ख के अधीन नियुक्त पैनल के वकीलों के शुल्क और भत्तों का भुगतान;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गाँव सभा अथवा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों, प्रार्थना-पत्र अथवा अन्य कार्यवाहियों के संचालन तथा अभियोजन के संबंध में किये गये व्ययों का भुगतान;

(ग) सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियों के विकास पर किये गये व्ययों का भुगतान; और

(घ) अन्य किसी ऐसी धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा कोष पर उचित रूप से भारित व्यय घोषित करे।]

126. भूमि प्रबंधक समिति का राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों को कार्यान्वित करना—(1) [5][* * *] राज्य सरकार ऐसी आज्ञायें और निर्देश [6][भूमि प्रबन्धक समिति] को दे सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) [भूमि प्रबन्धक समिति] और [7][उसके] पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि तुरन्त ऐसी आज्ञाएं कार्यान्वित करें और ऐसे निदेशों का पालन करें।

टिप्पणी

क्षेत्र—इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निर्देश सामाजिक न्याय की वृद्धि के लिए और समाज के कमजोर वर्ग के बड़े भाग को नियोजन के लिए प्रावधान करने के लिए है।[8]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 16 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 सन् 1975 द्वारा शब्द "15 प्रतिशत" की जगह प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 17 द्वारा कतिपय शब्द लोपित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 द्वारा शब्द "उनके" के जगह प्रतिस्थापित।
8. *राम कुमार* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2005 (99) आर० डी० 823 (एच० सी०)।

127. कुछ परिस्थितियों में भूमि प्रबन्धक समिति के कार्यों के निर्वहन की वैकल्पिक व्यवस्था—यदि किसी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि—

(क) [भूमि प्रबन्धक समिति] ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या प्रतिहेतु के न रहते हुये भी नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में [भूमि प्रबन्धक समिति] असमर्थ हो गई है या हो सकती है, या

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन [भूमि प्रबन्धक समिति] के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या अधिकारिक द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों के साथ जो विहित किये जायं, किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक प्रावधान बना सकती है, जो उसको इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

127-क. [1][* * *]

127-ख. पैनल के वकील—[2][(1) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, या जो सामान्यतया अथवा किसी मामले में या मामलों के किसी निर्दिष्ट वर्ग के लिए, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की गाँव सभाओं के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट की जाये, एक या अधिक वकील नियुक्त कर सकती है जो पैनल के वकील कहलायेंगे।

(2) पैनल का वकील, उपधारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बिना किसी लिखित प्राधिकार के ऐसे क्षेत्र के किसी गाँव सभा की ओर से जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, किसी न्यायालय के समक्ष गाँव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद अथवा अन्य मामले में जो उसे सौंपा गया हो, उपस्थित हो सकता है और वकालत तथा कार्यवाही कर सकता है।

(3) किसी न्यायालय में पैनल का वकील उस क्षेत्र के गाँव सभा का, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे गाँव सभा के विरुद्ध जारी किये गये प्रक्रम को प्राप्त करने के लिए अभिकर्ता होगा।

(4) पैनल का कोई वकील भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी गांव सभा की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अभिदेश में न तो कोई करार या समझौता करेगा और न उसे वापस लेगा।]

टिप्पणी

रिट याचिका—की पोषणीयता—रिट याचिका दाखिल करने के लिए समुचित प्रस्ताव और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति, जैसा कि प्रावधान के अधीन अपेक्षित है, के अभाव में, गैर सरकारी अधिवक्ता को ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने का कोई प्राधिकार नहीं है।[3]

[4][**127-ग. गाँव सभा के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन प्रावधान**—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन संगठित समस्त [5][गाँव सभा] समाप्त हो जायेंगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम या उक्त विधि के

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा "धारा 127-क" लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. *ग्राम पंचायत, पुश्वली* बनाम *स्टेट आफ यू० पी०*, 2007 (102) आर० डी० 201 : 2007 आर० एन० एस० 324 : 2007 आर० एल० टी० 315 (एच० सी०)।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1962 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना, नियम या आज्ञा में अथवा किसी संविदा या अन्य लेख में किसी 'गाँव समाज का निर्देश, यथासम्भव उस गाँव समाज के क्षेत्र के लिये स्थापित गाँव सभा का निर्देश समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति या किसी संविदा के अधीन किसी गाँव समाज में निहित या उसकी अपनी, सभी प्रकार की सम्पत्ति, कोष तथा अधिकार और उस पर आरोपित समस्त दायित्व, उनसे संबंधित सभी शर्तें और प्रासंगिक बातों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा इसके संशोधित किये जाने के दिनांक से, [1][गाँव सभा] के क्षेत्र के लिए संघटित गाँव सभा की सम्पत्ति, कोष, अधिकार तथा दायित्व हो जायेंगे।

(3) सभी वादों तथा कार्यवाहियों में, जिनमें गाँव-समाज एक पक्ष हो, उक्त गाँव समाज के क्षेत्र के लिए संघटित गाँव सभा एक पक्ष के रूप में गाँव समाज के स्थान पर प्रतिस्थापित की जायेगी और की गयी समझी जायेगी और वह ऐसी सभी कार्यवाही करने की हकदार होगी जिसे करने की हकदार वह उस दशा में होती जब वह प्रारम्भ से ही वाद या कार्यवाही का एक पक्ष होती।]

128. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) [2][* * *]

[3][(कक) ऐसा ढंग जिसके अनुसार, और ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा [4][धारा 117 की उपधारा (6)] के अधीन देय मुआवजा अवधारित किया जायेगा और दिया जायेगा;]

(ख) ऐसी शर्तें और प्रतिबन्ध जिन पर धारा 119 के अधीन कोई हाट, बाजार, मेला, निजी उतराई का घाट या जल प्रणाली [5][गाँव सभा] से [6][जिला परिषद्] या अन्य प्राधिकारी को अंतरित की जायेगी।

[7][(खख) [* * *]

[8][(ग) मुआवजे की वसूली या क्षतिपूर्ति सहित भूमि के कब्जा लेने की प्रक्रिया;]

(घ) [9][भूमि प्रबन्धक समिति] द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन, कार्यों का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करने का ढंग और प्रक्रिया;

[10][(ङ) धारा 122-ग के अधीन भूमि प्रदिष्ट करने की प्रक्रिया;

[11][(ङङ) वे निबन्धन और शर्तें जिन पर धारा 122-ग के अधीन आबंटित भूमि या धारा 123 में निर्दिष्ट भूमि धृत की जायेगी;

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा खण्ड (क) लोपित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1954 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1965 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की अनुसूची 8 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 की धारा 8 द्वारा शब्द "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 सन् 1961 की धारा 273, अनुसूची 8 के साथ पढ़े, द्वारा खण्ड (ग) लोपित।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 सन् 1976 की धारा 8 द्वारा सदैव के लिए अन्तःस्थापित समझा जाएगा।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 21 द्वारा शब्द "गाँव पंचायत या समिति" की जगह प्रतिस्थापित।
10. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1971 की धारा 4 द्वारा पुनः अधिनियमित।
11. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1971 की धारा 4 द्वारा पुनः अधिनियमित।

(च) वे विषय, जिनके संबंध में और वह ढंग जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा धारा 126 के अधीन [भूमि प्रबन्धक समिति] को निर्देश दे;

(छ) धारा 127 के अधीन [भूमि प्रबन्धक समिति] के कार्यों और कर्तव्यों के किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रक्रिया और कार्यवाही;

(ज) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये हिसाब की बहियों, अन्य रजिस्टर और विवरण रखने की प्रक्रिया और प्ररूप;

(झ) [1][* * *]

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ [भूमि प्रबन्धक समिति] द्वारा किये जाने वाले पत्र-व्यवहार की रीति और दस्तावेजों और संविदाओं का निष्पादन।

(ट) [भूमि प्रबन्धक समिति] द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन;

[2][(टट) [3][गांव सभा] में निहित भूमियों और वस्तुओं की क्षति और उन पर अनधिकार कब्जे के अवधारण की, अनधिकार कब्जे को हटाने की तथा क्षति के लिये मुआवजे के निर्धारण और भुगतान की संक्षिप्त प्रक्रिया;]

(ठ) इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने से संबंध रखने वाले किसी विषय में [भूमि प्रबन्धक समिति] या किसी सरकारी अधिकारी का सामान्य रूप से मार्गदर्शन; और

(ड) ऐसे अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों या किये जायं।

अध्याय 8

भू-धृति अधिकार

भू-धृति का वर्गीकरण

129. भू-धृति का वर्गीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भू-धृतिधारकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे—

[4][(1) संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर;

(2) असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर;

(3) असामी;

[5][(4) सरकारी पट्टेदार।]

[6][**129-क**—अस्थिर और अस्थायी कृषि के क्षेत्रों अर्थात् झांसी जिले के हार-ट्रेटा भूखण्डों और बुन्देलखण्ड में अवर श्रेणी की भूमि के खण्डों के संबंध में इस अध्याय और अध्याय 10 के प्रयोजनों के लिये शब्द "खाता" का आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिसमें तत्समय कोई खातेदार तत्सम्बन्धी किसी रूढ़ि या प्रथा के अनुसार वास्तव में खेती करता हो।]

उत्तराखण्ड संशोधन

[7][129-ख. उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (एतस्मिन्पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 154 (4) (1) (क), 154 (4) (2) (ड), 154 (4) (2) (च) और 154 (4) (3) के प्रयोजनों के लिए भूमिधर का निम्नलिखित संवर्ग होगा; अर्थात्—

(4) विशेष संवर्ग का भूमिधर।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा लोपित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 सन् 1959 की धारा 19 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 की अनुसूची 8 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा अन्त:स्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1953 द्वारा (1.7.1952 से) जोड़ी गई।
7. उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29 सन् 2003 द्वारा (15.1.2004) जोड़ा गया।

[1][**130. संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधार**—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 131 में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो, संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के आरम्भ होने की तिथि के ठीक पूर्व भूमिधर था;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त तिथि के ठीक पूर्व, धारा 131 के, जैसा वह उक्त तिथि के ठीक पूर्व थी, खण्ड (क) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट, सीरदार था;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या अनुसार किसी अन्य ढंग से उक्त तिथि को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले।]

131. असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर—निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा, और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व धारा 195 के अधीन कोई भूमि सीरदार के रूप में या उक्त तिथि को या उसके पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठा दी जाय;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या अनुसार किसी अन्य ढंग से उक्त तिथि को या उसके बाद ऐसे भूमिधर का अधिकार अर्जित कर ले;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन कोई भूमि आवंटित हो या की जाय।

[2][(घ) दिनांक 1 जुलाई, 1981 से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 26-क या धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जाय या किया गया है।]

टिप्पणी

सीरदार भूमिधर हो गया—संशोधन के परिणामस्वरूप पट्टाधारक 1.7.1969 को सीरदार हो गया और विवत दिन पर पट्टाधारक विवादास्पद भूमि का कब्जाधारी था और सीरदार के रूप में अधिकार अर्जित किया था और अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता द्वारा वह भूमि का भूमिधर हो गया था।[3]

अधिभोगी का अधिकार—यह धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 18 एवं 19 किसी भूमि का कब्जा लेने या बनाये रखने के लिए एक भूमिधर के रूप में अधिभोगी को अधिकार देती है और राजस्व अभिलेखों में व्यक्तियों के नाम की प्रविष्टि को जिला मजिस्ट्रेट के शासकीय आदेश द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है और न ही बिना किसी क्षतिपूर्ति के अधिग्रहण कार्यवाहियों के अधीन उन्हें जबरन बेदखल किया जा सकता है।[4]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. *स्टेट ऑफ उत्तरांचल* बनाम *एडीशनल चीफ रेवेन्यू कमिश्नर, नैनीताल*, 2006 (100) आर० डी० 670 : 2006 आर० एन० एस० 627 (उत्तरांचल एच० सी०)।
4. *उत्तराखण्ड राज्य* बनाम *रवी कुमार*, 2008 (104) आर० डी० 731 : 2008 आर० एन० एस० 429 (उ० न्या०)।

[1][**131–क. कतिपय परिस्थितियों में, गाँव सभा या राज्य सरकार की भूमि में भूमिधरी अधिकार**—धारा 132 और 133–क के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जोत और कब्जे में जिला मिर्जापुर के कैमूर रेन्ज के दक्षिण भाग में 30 जून, 1978 के पूर्व से, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन अधिसूचित भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि हो जो धारा 117 के अधीन किसी गाँव सभा में निहित हो या राज्य सरकार की हो, असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर हो गया समझा जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति की जोत और कब्जे में भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हों, असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित ढंग से सीमांकित किया जायेगा।]

टिप्पणी

क्षेत्र—यह स्पष्ट है कि वन अधिनियम की धारा 6 के अधीन दावा एफ० एस० ओ० द्वारा केवल 15 अप्रैल, 1987 तक प्राप्त किया जा सकता था। कोई दावा याची द्वारा समय के अन्तर्गत नहीं किया गया था। इसलिए, याची किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल अपील में अपीलीय न्यायालय के समक्ष शीघ्र आवेदन दाखिल नहीं कर सकता और अपील के निरस्तीकरण के पश्चात् भी दाखिल नहीं कर सकता।[2]

[3][**131–ख. अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधार हो जायेगा**—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 के आरम्भ होने के ठीक पूर्व अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय (अन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट के प्रारम्भ पर असंक्रमणीय (अनन्तरणीय) अधिकार वाला भूमिधर हो, या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह गाँव सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जायेगा।]

132. वह भूमि जिसमें [4][भूमिधरी] अधिकार प्राप्त नहीं होंगे—धारा 131 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 19 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित भूमि में [5][भूमिधरी] अधिकार प्राप्त नहीं होंगे—

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 14 सन् 1987 की धारा 2 द्वारा (15.4.1987 से) अन्त:स्थापित।
2. *सुखनंदन बनाम ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, पिपरी, सोनभद्र,* 2011 (112) आर० डी० 629 (एस० सी०)।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 19 सन् 1955 की धारा 2 द्वारा (14.1.1995 से) अन्त:स्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 1977 की धारा 4 द्वारा (28.1.1977 से) शब्द "सीरदारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) शब्द "सीरदारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) पशुचर भूमि या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के प्रयोग में आती हो;

(ख) अस्थिर या अस्थायी खेती के ऐसे भूखण्ड, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; और

[1][(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर दिया हो कि वह टौंगिया रीति से वन लगाने के लिये अभिप्रेत या विनिर्दिष्ट है अथवा [2][गाँव सभा] या किसी स्थानिक प्राधिकारी की बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित अथवा अधिकृत भूमि और विशेषत: तथा इस खण्ड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(i) सेना के खेमों के लिये निश्चित भूमियां,

(ii) रेल अथवा नहर की सीमाओं के अन्दर की भूमियां,

(iii) किसी छावनी की सीमाओं के अन्दर की भूमियां,

(iv) कच्ची खाद के क्षेत्र तथा खत्ता भूमि में सम्मिलित भूमियां जिनका इसी स्थिति से स्वामित्व स्थानिक प्राधिकारी में हो,

(v) उ० प्र० नगर सुधार अधिनियम, 1919 (1919 का 7) की धारा 42 के अधीन स्वीकृत योजना के अनुसार किसी नगर सुधार न्यास द्वारा अर्जित भूमियां अथवा उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की धारा 8 के खण्ड (क) अथवा (ग) में वर्णित प्रयोजन के निमित्त नगरपालिका द्वारा अर्जित भूमियां, और

(vi) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (1954 का 5) के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट भूमियां।]

टिप्पणी

क्षेत्र— इस धारा के अधीन आच्छादित भूमि में कोई भूमिधरी अधिकार और हक प्रोद्भूत नहीं होता।[3]

आबंटन का वर्जन— तालाब, जलाशय मूल्यवान सामाजिक सम्पत्ति हैं, इसलिए इनका बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता और न ही पर्यावरण सन्तुलन, जल परिरक्षण और संरक्षण को बनाये रखने के लिए किसी व्यक्ति को उसका आबंटन नहीं किया जा सकता।[4]

'देवस्थान' और 'हरिजन आबादी'—'देवस्थान' और 'हरिजन आबादी' लोक उपयोगिता के संवर्ग के अन्तर्गत आता है, इसलिए इसका बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता।[5]

गड़ही भूमि— जहाँ भूमि गड़ही भूमि के रूप में अभिलिखित की गयी थी, वहाँ वह कटक के आबंटन कार्यवाही के लिए चकबन्दी योजना का भाग नहीं हो सकती।[6]

धारणा खण्ड— प्रावधान यह दर्शित करते हैं कि अधिनियम की धारा 132 में उल्लिखित भूमि का, नियत तिथि अर्थात 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व सीरदार या भूमिधर के रूप में किये गये आबंटन को वर्षानुवर्षी असामी के रूप में समझा जायेगा, इस प्रकार धारणा खण्ड 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये आबंटन पर लागू होगा।[7]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 22 द्वारा खण्ड (ग) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 33 सन् 1961 द्वारा शब्द "गाँव समाज" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. *इकबाल अहमद* बनाम *डिप्टी डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन, देवरिया*, 2006 (101) आर० डी० 317 : 2006 आर० एन० एस० 855 (एच० सी०)।
4. *मनोहरलाल* बनाम *कलेक्टर झांसी*, 2006 (100) आर० डी० 700 : 2006 आर० एन० एस० 646 (बी० आर०)।
5. *राम सेवक* बनाम *जगदीश*, 2004 (96) आर० डी० 365 (बी० आर०)।
6. *इकबाल अहमद* बनाम *डिप्टी डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन, देवरिया*, 2005 (98) आर० डी० 580 (एच० सी०)।
7. *वकीला* बनाम *उ० प्र० राज्य*, 2008 (104) आर० डी० 456 : 2008 आर० एन० एस० 429 (उ० प्र०)।

133. असामी—प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित वर्णों में आते हैं असामी कहे जाएंगे और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों, या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्—

[1][(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आस्थानों के अर्जन के परिणामस्वरूप धारा 11, 13 अथवा 21 के अन्तर्गत असामी हो जाय;]

[2][(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पूर्व किसी भूमिधर या सीरदार ने, या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमिधर ने अपने जोत में सम्मिलित भूमि को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टे पर उठा दी हो;

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे निहित होने के दिनांक पर या उसके बाद [3][भूमि प्रबन्धक समिति] या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा 132 में उल्लिखित भूमि पट्टे पर उठा दी हो; और

[4][(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन किसी अन्य ढंग से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।]

[5][**133-क. सरकारी पट्टेदार**—प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टे पर उठाई गई हो, ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहा जा सकेगा और इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तत्संबंधी पट्टे की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार उस पर अधिकार रखने का अधिकारी होगा।]

टिप्पणी

क्षेत्र—यह धारा प्रशासकर्ता के अधिकार को निर्बन्धित करती है। यह उनके अधिकार को विस्तारित नहीं करती।[6]

भूमिधरी अधिकारों का उपार्जन

[7][**134.** [* * *]

135. [* * *]

136. [* * *]]

[8][**137. घोषणा का रद्द किया जाना**—(1) धारा 135 [9][जैसा कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी] के अधीन की गई घोषणा को, किसी हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) सहायक कलेक्टर निम्नलिखित किसी आधार पर रद्द या उपान्तरित कर सकता है, अर्थात् —

(क) घोषणा कपटपूर्वक, मिथ्या सुझाव प्रस्तुत करके, या मामले से सम्बद्ध कोई सारभूत बात, सहायक कलेक्टर से छिपाकर, प्राप्त किया गया था;

(ख) घोषणा किसी ऐसे तथ्य के असत्य अभिकथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान करने के लिये आवश्यक था चाहे ऐसा अज्ञानवश या असावधानीवश किया गया हो; और

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16 सन् 1952 की धारा 26 द्वारा 1 जुलाई, 1952 से प्रभावी द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 23 द्वारा शब्द "गाँव सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 37 सन् 1958 की धारा 24 द्वारा "खण्ड (घ)" प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 37 सन् 1958 की धारा 25 द्वारा जोड़ा गया।
6. *मुनेन्द्र विश्वास* बनाम *स्टेट ऑफ यू० पी०*, 2009 (108) आर० डी० 549।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) धारा 134, 135 और 136" लोपित।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35 सन् 1976 द्वारा "धारा 134 से 137-क तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 1977 द्वारा (28.1.1977 से) अन्तःस्थापित।